खण्ड–34, अंक–09
गुरूवार, 17 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक 07 जून, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	–	–	–	"क"
प्रश्नोत्तर	–	–	–	1–52
नियम– 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	–	–	–	52–53
विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चल्थी में शराब की दुकान खोले जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना				53
उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा दल में तैनात अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	–	–	–	53–54
जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमता के ग्राम सापूनगर से सिडकुल को जोड़ने हेतु कैलाश नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	–	–	–	54
ऋषिकेश में एक और महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	–	–	–	54
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के मजखाली में राजकीय महाविद्यालय स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना				55
जनपद देहरादून के अन्तर्गत शिमला बाईपास से 18 कि०मी० सिगलीनाला से 35 कि०मी० धर्मावाला रोड के नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	–	–	–	55–56
प्रदेश में नन्दा देवी राजजात यात्रा 2013 के आयोजन हेतु बजट के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	–	–	–	56–57
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	–	–	–	57–58
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित) –				58
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफरिश (स्वीकृत)	–	–	–	59–60
कार्य –स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	–	–	–	61
विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के द्वितीय मंगलवार को तारांकित प्रश्न संख्या–04 के उत्तर में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	–	–	–	61–63

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत) – – –	63–76
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः– – – –	76
अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति (स्वीकृत)	76–87
अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत) –	87–96
अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान (स्वीकृत) – –	96–112
अनुदान संख्या–28 पशुपालन (स्वीकृत) – – –	112–117
अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार (स्वीकृत) – – –	117–125
अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण तथा अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (स्वीकृत) – – –	125–137
अनुदान संख्या–24 परिवहन (स्वीकृत) – – –	137–145
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित) – – –	145–146
उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित)	146–148
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	148–149
जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिन्सर–बैजनाथ–पिण्डारी ग्लेशियर सर्किट का कार्य लगभग 728.54 करोड़ की स्वीकृति के बाद पूर्ण न होने पर विभागीय, अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य – – –	149–151
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में गरूड़ गंगा से गरूड़ वृहद् पेयजल योजना बनाने की कार्यवाही दो वर्षों से लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	151
नत्थी – – –	152–153

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री बंशीधर भगत
30—श्री भीमलाल आर्य
31—श्री मदन कौशिक
32—श्री मदन सिंह बिष्ट
33—श्री मनोज तिवारी
34—श्री मयूख सिंह
35—श्री महावीर सिंह
36—श्री माल चन्द
37—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38—श्री यतीश्वरानन्द
39—श्री यशपाल आर्य
40—श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
41—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42—श्री राजकुमार
43—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44—श्री राजेश शुक्ला
45—श्री ललित फर्स्वाण
46—श्री विक्रम सिंह नेगी
47—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49—श्री बिशन सिंह चुफाल
50—श्रीमती शैला रानी रावत
51—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52—श्री संजय गुप्ता
53—श्री सरवत करीम अंसारी
54—श्रीमती सरिता आर्या
55—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री हरक सिंह रावत
61—श्री हरबन्स कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरिदास
64—श्री हरीश धामी
65—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66—श्री हेमेश खर्कवाल

गुरूवार, दिनांक 07 जून, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने का प्राविधान

*1–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता देने की प्रक्रिया में निश्चित समयावधि पर अनुदान सूची में लेने के प्राविधान थे?

यदि हाँ, तो ऐसे पुराने विद्यालयों को अनुदान श्रेणी में कब तक लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा, पेयजल एवं कृषि मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा गया है कि " उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 में अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।" लेकिन जैसा विगत दिनों में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक–दो विद्यालयों के लिये सहायता की घोषणा की है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कुछ अन्य विद्यालयों को भी आप सवित्त मान्यता देने जा रहे हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने उत्तर दिया है कि वर्ष 2006 के बाद से अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन विद्या अनुदान दिये जाने का प्रावधान है और यह

सरकार के बजट पर निर्भर करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार यह तय करती है कि कितना बजट इसमें पोषित किया जायेगा। अनुदान दिये जाने का प्राविधान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वह ऐसे ही विद्यालयों के संदर्भ में है। हमारे प्रदेश में वर्तमान में 106 विद्यालय हमारी अनुदान सूची में हैं और उनकी मांग है कि हमको सवित्त मान्यता दी जाय। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वह सरकार के संज्ञान में है और बजट को देखते हुये यह निर्णय लिया जायेगा कि इस समय कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाय।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा में घनश्याम खंतवाल असनखेत इण्टर कालेज है, जिसको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार चला रहा है, यह विद्यालय कई वर्षों से चल रहा है और उन्होंने भी सवित्त मान्यता के लिये आवेदन किया है, जो सरकार के पास लम्बित है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एक ऐसा विद्यालय, जिसे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार चला रहा है, को सरकार सवित्त मान्यता देने पर विचार करेगी? साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन भी चाहता हूँ कि क्या सरकार उस विद्यालय को चलाने की कृपा करेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा विद्यालय को चलाने की बात की है तो निश्चित तौर से सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 2006 में जब यह अधिनियम आया कि सवित्त मान्यता देने का प्राविधान नहीं है, इसके बाद कितने विधालयों को सवित्त मान्यता दी गई और कितने विद्यालयों को खुलने के बाद अनुदान दिया गया तथा वर्ष 2006 से 2012 तक जो अनुदान दिया गया, उससे सरकार पर कितना बोझ पड़ा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहता हूँ कि जो अनुदान सूची में लिये गये वर्ष 2002 से 2007 तक.......(व्यवधान) वर्ष 2000 से 2005 तक 105 विद्यालय और वर्ष 2006 से 2012 तक मात्र 17 विद्यालय इसमें लिये गये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास सूची है, विद्यालयों को चलाने के लिये, उसके अनुसार एक हाईस्कूल को चलाने के लिये एक वर्ष में 50 लाख रूपये का खर्चा आता है और इसी प्रकार से इण्टरमीडियेट कालेज का भी खर्चा आता है। जो विद्यालय अनुदान सूची में आना चाह रहे हैं, उनकी संख्या 106 है और उसका जो खर्चा आयेगा, वह 21 करोड़ रूपया प्रतिवर्ष आयेगा। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में सरकार यह मनन करती है कि इस समय जो हमारा बजट है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक साल का आपने कहा कि 50 लाख होता है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, एक साल का 50 लाख।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार के घोषणा पत्र में कहा भी है कि अनुदान सूची में तमाम अशासकीय विद्यालयों को लाया जायेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सभी विद्यालयों को अनुदान सूची में लाया जायेगा और कब तक लाया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह बजट पर निर्भर करता है और जितने संसाधन होंगे उसी हिसाब से अनुदान सूची में लिया जायेगा। ये सरकार की मंशा पर निर्भर है। (व्यवधान) सरकार 5 साल पूरे चलेगी और 5 साल में जितने विद्यालय होंगे अनुदान सूची के, उन पर विचार करेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता में लिया जायेगा तो क्या उनका प्रान्तीयकरण भी किया जायेगा, क्योंकि सैलरी आदि सरकार देगी। क्या सरकार इनका प्रान्तीयकरण करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, प्रान्तीयकरण पहले भी सरकार ने किये हैं। प्रान्तीयकरण का प्रोसेस है। जो हमारे विभाग में विचाराधीन हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, करने का है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आश्वासन है आपका ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आश्वासन क्या करने का है। प्रान्तीयकरण तब होता है जब वहां की मैनेजमेंट कमेटी यह प्रस्ताव करे कि इस विद्यालय का प्रान्तीयकरण किया जाय। अदरवाईज कमेटी नहीं करेगी, जो प्रबन्धन कमेटी होती है वो अगर नहीं चाहती है तो नहीं होगा, अगर चाहती है तो होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जिनका प्रस्ताव आया हुआ है, उनका तो करेंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जिनका प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, जीना जी, आपका उत्तर आ गया है, आप बैठिये।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कितने विद्यालय हैं जो कि मैनेजमेंट द्वारा प्रान्तीयकरण के लिए आपके पास प्रस्तावित हैं और जो प्रस्तावित हैं, उनका आप कब तक प्रान्तीयकरण कर देंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस समय हमारे पास 106 विद्यालय हैं, ये टोटल अनुदान सूची के हैं। प्रान्तीयकरण की अनुदान सूची के अन्तर्गत ही ये सारी फॉरमेलिटीज है। उसी के तहत बजट के हिसाब से बात करेंगे।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार जिले के ऐसे कितने विद्यालय हैं अशासकीय, प्रान्तीय सूची में वित्त मान्यता के लिए जिनकी फाईलें आयी हुई हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, कल की जो कार्यसूची प्राप्त हुई है, उसमें मेरा सवाल दिया गया है। जो प्रश्न मैंने पूछा था, वही बदल दिया गया मान्यवर, मैंने गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न पूछा, ऊधमसिंह नगर में यूनिवर्सिटी है, सवाल बना दिया गया कि नैनीताल में यूनिवर्सिटी है। नैनीताल का जवाब दिया जा रहा है मान्यवर, नैनीताल में यूनिवर्सिटी है ही नहीं और वो जमीन का मामला है

जनपद पौड़ी के वि0ख0 एकेश्वर के मवाणा–कपटेल गांव पेयजल योजना की मरम्मत

*2–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मवाणा–कपटेलगांव पेयजल योजना से पेयजल को नियमित आपूर्ति बाधित होने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

क्या सरकार उक्त योजना की अविलम्ब मरम्मत करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हां।

वर्तमान में योजना पर सामान्य मरम्मत कर दोनों ग्रामों की पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है,'जी हाँ,' यानि कि क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है पानी की दोनों गांवों में और उसमें टूट–फूट है और दूसरी तरफ लिखा है उन्होंने कि मरम्मत कर दी गयी है। मान्यवर, मेरा कहना है, अभी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मुश्किल से आधा घंटा पानी खुल रहा है और आधे घंटे में सबको पूरा नहीं हो पा रहा है और सामान्यतः मरम्मत की बात की है, लेकिन वहाँ स्रोत गड़बड़ है, टैंक बंद है। इसको कब तक आप ठीक करवा देंगे और पूरी तरह पानी सुचारू रूप से मिल जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य जी को सन्तुष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें विभाग के तौर पर पता किया, स्रोत में भू–स्खलन होने के कारण स्रोत डैमेज

हो गया और उसके बाद कार्यवाही उसको ठीक करने की हुई और उस योजना को ठीक किया गया। इससे पानी के स्रोत में जो कमी आयी है मान्यवर, इससे पेयजल आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, लेकिन जो इसको ठीक करने का सवाल है, इसमें बकायदा विभाग को निर्देशित कर दिया है कि इस योजना को पुनर्गठित किया जाय ताकि अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

टी0ई0टी0 लागू होने से पूर्व बी0एड0/बी0पी0एड0 प्रतिशत बेरोजगारों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की भांति नियुक्ति

*3–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में प्रशिक्षित बेरोजगार जिन्होंने टी0ई0टी लागू होने से पूर्व बी0एड0/बी0पी0एड0 प्रशिक्षण लिया है, उन्हें सरकार सीधे विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत नियुक्ति देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित करने हेतु अधिकृत संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011 के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ–साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि वर्ष 2008–2010 में जब टी0ई0टी0 का कानून लागू हुआ, उससे पूर्व जो बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 थे, तो क्या सरकार उनको टी0ई0टी0 में सम्मिलित करने जा रही है? जो उस कानून के अधीन ही नहीं आये, जब कानून लागू हुआ और जिन्होंने कानून लागू होने से पूर्व यह प्रशिक्षण लिया है, उनके भविष्य का सवाल है, इसमें सरकार कुछ प्रयास करना चाह रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है वह चिन्ता का विषय है, यह वास्तव में सरकार महसूस करती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के माध्यम से जो कानून बना है टी0ई0टी0 का, उसके माध्यम से ही अब एल0टी0, बी0टी0सी0 में अध्यापकों की नियुक्ति की बात है, इसमें जो शेष रह गये हैं इसमें बकायदा सरकार के माध्यम से आउट सोर्सिंग से उनको रोजगार देने की बात की गई है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस पर सरकार पूर्ण रूप से गम्भीर है। जिन लोगों ने डी0पी0एड0 और बी0पी0एड0 किया है उसको आउट सोर्सिंग के माध्यम से नौकरी देने की कार्यवाही गतिमान है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, क्या सरकार पूर्व में किये हुए एम0पी0एड0 और डी0पी0एड0 के तहत पूरे प्राईमरी से लेकर जूनियर तक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, जिससे इसका समाधान निकल सके?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मेरे उत्तर का आशय वही था।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जिन लोगों ने टी0ई0टी0 पास की है, इसके लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 के लिए विज्ञप्ति 2253 की जारी की गई थी और आवेदन भी माँगे गये थे, उनकी नियुक्ति कब तक की जायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के प्रश्न का यह जवाब देना चाहता हूँ कि यह खुशी की खबर है कि ये लोग कोर्ट में गये थे कोर्ट से बकायदा डायरेक्शन किया गया कि इनकी नियुक्ति की जाये। 2253 जो टी0ई0टी0 परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के माध्यम से जारी की गई।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता के साथ–साथ टी0ई0टी0 की परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि इसमें सामान्य वर्ग के लिए कितना प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए कितने प्रतिशत उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसमें जो सामान्य और रिजर्वेशन कोटे का सवाल है उसी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होगी।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, उत्तीर्ण करने के लिए कितना प्रतिशत आवश्यक है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तीर्ण करने का प्रतिशत उसमें नहीं है, परीक्षा सब देते हैं। परीक्षा तो जनरल होती है।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, उसमें अनुत्तीर्ण भी हो रहे हैं। उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग को कितने अंको की आवश्यकता होती है और अनुसूचित जाति के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सामान्य वर्ग के लिये 60 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 55 प्रतिशत अंक तय हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, दिनांक 29–07–2011 को जो अधिसूचना जारी हुई है, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्या यह पूरे देश में लागू है या कोई प्रदेश ऐसा भी है जिसमें लागू नहीं है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह पूरे देश और प्रदेश में लागू है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, जो पूर्व में टी0ई0टी0 नियुक्तियां निकाली गयी थीं। सरकार उनको जिलेवार बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो टी0ई0टी0 के पदों की संख्या है, वह जिले स्तर पर मांगी गयी है। जो पहले संख्या मांगी गयी थी उस संख्या के आधार पर ही पद विज्ञापित किये गये थे। अब पूरे प्रदेश में यह समस्या आयी है कि पद बढ़ाये जायं। चूंकि अभी विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है, जब प्रमोशन होंगे तब पद रिक्त होंगे। उसी आधार पर जितने पद रिक्त होंगे तब जाकर बढ़ाने का प्रश्न हो सकता है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, इनमें कई विसंगतियां हो रही हैं, जो सूचना आपके पास है और जो सूचना के अधिकार में संख्या मांगी गयी है, वह अलग–अलग आ रही हैं। इसको दिखा लीजिए। जितने भी पद रिक्त हैं उनका एक कट ऑफ डेट निश्चित करके भले ही आज तक की हो, उन सारे को मंगा कर, सरकार उन पर भी नियुक्तियां करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, ऐसी कोई बात होगी, चाहे विभागीय स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो यदि कोई सूचना नहीं आयी है तो उनको मंगाया जायेगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने टी०ई०टी परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बी०टी०सी० का परीक्षण भी ले रहे हैं। क्या बी०टी०सी० परीक्षण लेने वाले अभ्यर्थी को भी टी०ई०टी० के माध्यम से भी, विशिष्ट बी०टी०सी० में लिया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो बी०टी०सी० परीक्षण ले रहे हैं वह तो ऑलरेडी उसमें हैं। उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्रम में एक आदेश जारी कर दें। (व्यवधान)

श्री नारायणराम आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं। क्या उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में बैकलॉग भरने की कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन का कोटा होता है नियुक्ति के सवाल पर भी, बैकलॉग में स्क्रूटनी करके तब उसको करते हैं।

पर्यटन नगरी मसूरी के लिये दीर्घकालीन पेयजल की योजना

*4–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी पर्यटक नगरी में वर्षों पुरानी बिछी पेयजल लाईन जीर्ण–शीर्ण होने के कारण पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को पेयजल उपलब्ध करने हेतु अपर्याप्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी शहर के लिए कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद देहरादून के मसूरी नगर हेतु यमुना नदी से पम्पिंग पेयजल (स्रोत संवर्द्धन) योजना प्रस्तावित है। योजना के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं भूमि अध्यापित हेतु आगणन तैयार किये जा रहे हैं। योजना के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं भूमि अध्यापित होने के पश्चात विस्तृत आगणन विरचित कर नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृत एवं धनावंटन किया जायेगा। तदोपरान्त ही योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 'जी हां'। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मसूरी नगर में कब तक नयी पेयजल लाईन डाल दी जायेगी ? दूसरा जैसा आपने कहा कि दीर्घकालीन योजना प्रस्तावित है तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी दीर्घकालीन योजना प्रस्तावित है ? तीसरा आपने कहा कि यमुना नदी से पेयजल पम्पिग योजना प्रस्तावित है। यह योजना कब प्रस्तावित हुई थी और आज की डेट में क्या स्थिति है और उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य का ध्यान जो उन्होंने प्रश्न किया है उस पर केन्द्रित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में मसूरी में जो पेयजल आपूर्ति की जा

रही है उसमें छः पम्पिंग योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है सभी ग्रेविटी की लाईनें हैं, जिनके माध्यम से पेयजल आपूर्ति होती है। क्योंकि मसूरी विश्व का माना हुआ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। मान्यवर, वहाँ पर मेन लोड ज्यादा होता है, इसलिए हमको वहाँ पर वर्तमान में 14.42 एम0एल0डी0 की आवश्यकता है, लेकिन हम वर्तमान में 7.67 एम0एल0डी0 दे पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि मसूरी की जो पेयजल की समस्या है उस पर गम्भीरता से एक ठोस कार्य योजना बनाने की बात हुई थी, जिसमें एक बार हाल्डली फाल्ड पम्पिंग योजना का मामला चला जिसमें प्रस्तावित भूमि की बात आई, तो वहाँ के गाँव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो वह मामला फिर वैसे ही दब गया। दूसरी बार जब सर्वे की बात आई तो वहाँ पर जो स्रोत था या जहाँ से इन्टेक वॉल बनने की बात आई थी, तो वहाँ पर भी वह जगह सही नहीं थी। उसके बाद तीसरी बात मुख्य रूप से यह आई कि उसके लिए एक वृहद् पम्पिंग योजना के निर्माण की योजना बनाई जाए, उसके तहत मसूरी में हमारे पास इस समय यमुना नदी से 4 स्टेज की पेयजल पम्पिंग योजना शायद हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पम्पिंग योजना होगी। इसमें जो अनुमानित लागत है जो इसकी पी0एफ0आर0 तैयार की गई है, विभाग के माध्यम से हमने उसका सर्वे करवाया है और इसकी पी0एफ0आर0 हमने तैयार करवा ली और इसकी जो लागत आ रही है वह 182 करोड़ 23 लाख 75 हजार रूपया है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैंने लागत नहीं पूछी है, मैंने तो आपसे यह पूछा है कि जो आपने नई पेयजल योजना स्वीकार की है जो मसूरी की लाइनें खराब हैं, मैंने यह पूछा है कि शहर के अन्दर नई लाईन कब बिछाई जायेगी और यह पूछा कि यमुना से जो पम्पिंग योजना है वह कब प्रस्तावित हुई थी और आज किस स्टेज में है और मैंने यह नहीं पूछा कि कितने की बन रही है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वर्तमान में जो पेयजल लाईनें हैं जहाँ पर पेयजल लाईनें खराब हैं उनके पुनर्गठन करने के लिए आदेश कर दिये हैं कि जिस मुहल्ले में और जिस इलाके में पेयजल लाईनें खराब हैं, उनको पुनर्गठित किया जाय और तत्काल वहाँ पर व्यवस्था की जाए।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यह कब करा देंगे ? एक महीने में करा देंगे, दो महीने में करा देंगे यह आप कब करा देंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं उनका पूरा उत्तर आने दीजिए।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, पहले आप मेरा जवाब सुन लेते तो अच्छा होता। आपने सवाल किया कि वर्तमान में पेयजल लाइनें खराब पड़ी हैं और उनको ठीक किया जायेगा या नहीं किया जायेगा, तो उनको ठीक किया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, कब तक ठीक किया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जितनी जल्दी हो सके। हमने एक टाईम बाण्ड शेड्यूल बनाया है, हमने 3 प्रकार की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें जहाँ ज्यादा क्षति डैमेजिंग की पोजीशन है उसमें हमने 15 दिन का समय रखा है, जहाँ पर ज्यादा क्षति हो जाती है वहाँ पर 15 दिन के अन्दर वह लाईन मेन्टेन हो जानी चाहिए और जहाँ पर कम क्षति है वहाँ पर 7 दिन के अन्दर वह लाईन मेन्टेन हो जानी चाहिए, यह हमने आदेश किया है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मसूरी में टोटल कितनी पानी की आवश्यकता है और कितना पानी उपलब्ध है और फ्लोटिंग पापुलेशन कितनी है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी:–

मान्यवर, इसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सवाल नहीं होता है, इसमें एम0एल0डी0 का हिसाब होता है। मसूरी एक ऐसा शहर है जिसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का कोई आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि कभी यात्री ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, उसमें दो कैटेगिरी हैं एक तो यात्रा सीजन का है एक डाउन सीजन का है, तो उसी के हिसाब से इसमें हमने एम0एल0डी0 की बात की है।

श्री गणेश जोशी:–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि यह यमुना पम्पिंग योजना कब प्रस्तावित हुई और आज की डेट में उसकी क्या स्थिति है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसमें जो प्रस्तावित की बात है, इसके लिए वर्ष 2000 में बात चली थी कि यहाँ पर पानी पूरा नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए लिफ्ट पम्पिंग योजना की बात की गई, इसके तहत जो हाल्डली फाल्ट की बात आई थी तो इस हाल्डली फाल्ट के सर्वे की बात आई थी। मान्यवर, उसमें लोगों ने विरोध किया, आपसी डिसप्यूट था उसके बाद फिर उसी के क्रम में लगातार इसके सर्वे की बात आयी। तीसरे टर्म में यह बात आयी कि यमुना नदी से इसको फोर्थ स्टेज में मसूरी के लिए पम्पिंग योजना बनायी जाय, जिसकी लागत की पी0एफ0आर0 मैंने आपके सामने सूचित कर दी है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि मसूरी प्रमुख पर्यटक स्थल है और लाखों पर्यटक यहां पर आते हैं, लेकिन जब उनको मसूरी में पानी नहीं मिलता है तो तब वे यहां से क्या इम्प्रेशन लेकर जाते होंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस योजना पर शीघ्र से कार्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपर जोन के लिए पानी की दिक्कत को देखते हुए गलोगी से पेयजल योजना लागू की गयी थी और उसके साथ फिल्टर प्लांट लगना भी प्रस्तावित था, लेकिन फिल्टर प्लांट न लगने के कारण इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पाया। मान्यवर, इस पानी से लोगों की दाल नहीं गल रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, प्लांट कब तक लग जायेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानीः–

मान्यवर, यह जल्दी से जल्दी लग जायेगा।

भीमताल के फल उत्पादित क्षेत्र में वारदाना फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव

*5–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड जो फल उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा विपणन की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण उद्यानपतियों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा ?

क्या सरकार कोई कदम उठायेगी तथा किसानों को फल उत्पादन वाले क्षेत्रों में वारदाना फैक्ट्री खोलेगी जिससे फल उत्पादित क्षेत्र के किसानों को उचित दर पर वारदाना उपलब्ध हो सकें ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विकास खण्ड रामगढ़ में फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने पर विचार करेगी ताकि उद्यानपतियों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, उद्यान, बालविकास एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)

जी नहीं।

जी हाँ।

किसानों को औद्यानिकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु "उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड" का गठन प्रस्तावित है। वर्तमान में किसानों को सेब तथा माल्टा फसलों के उचित मूल्य दिलाने हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना तथा फलों की पैकिंग हेतु बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर की योजनाये संचालित हैं।

फल उत्पादन क्षेत्रों में वारदाना फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री दान सिंह भण्डारी:-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो पूरी फल बेल्ट है मैंने अपने प्रश्न में माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या विपणन बोर्ड का गठन प्रस्तावित है, इसमें आपका उत्तर आया कि "उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड" का गठन प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि यह बोर्ड कब तक गठित हो जायेगा ? मेरा दूसरा प्रश्न है जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि फलों की पैकिंग हेतु बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर की योजनाएं संचालित हैं तो इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि राज्य सेक्टर से कितने पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराये गये हैं और जिला सेक्टर से कितने पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराये गये हैं ?

श्रीमती अमृता रावत--

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जो जानकारी है, वह बताना चाहती हूँ। जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा है कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड जो फल उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं माननीय सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि भीमताल की दूरी हल्द्वानी से बहुत कम है और हल्द्वानी में पहले से ही विपणन की सारी योजना है और वहीं से फलों, सब्जियों आदि का विपणन होता है, इसलिए वहां पर मण्डी पहले से ही स्थापित है। भीमताल में किसानों की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। चूंकि हल्द्वानी में मण्डी होने से उनका विपणन बड़ी आसानी से हो जाता है। मान्यवर, आपने दूसरी बात विपणन बोर्ड के गठन की बात कही है तो इसका गठन, कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया है और दो माह के अंदर हम इसे कर लेंगे।

श्री दान सिंह भण्डारी--

मान्यवर, बॉक्सों की स्थिति क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत--

मान्यवर, पिछले साल टोटल 154000 बॉक्सों का निर्माण करवाया गया था और केवल नैनीताल में ही 71769 बॉक्स किसानों को दिये गये थे।

श्री दान सिंह भण्डारी--

मान्यवर, कौन सी योजनान्तर्गत दिये गये ?

श्रीमती अमृता रावत--

मान्यवर, ये टोटल हैं, ये जिला और राज्य दोनों योजनाओं से दिये गये हैं।

श्री माल चन्द--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और मेरा पहला बिन्दु है, क्या सरकार फल आने से पहले पेटियां पहुँचायेगी ? मेरा दूसरा बिन्दु है, हिमाचल पैटर्न पर क्या उद्यानों को समर्थन मूल्य मिलेगा ?

मान्यवर, तीसरा प्रश्न मेरा है कि वर्तमान समय में और विगत वर्षों में ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। समितियों के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था है कि उनको फसल बीमा मिलता है। क्या सरकार उत्तराखण्ड में उनको फसल बीमा देगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है कि फसल आने से पहले पेटियों की व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि फसल आने से पहले पेटियों की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जाएगी। दूसरा जो समर्थन मूल्य की बात की है, उसमें अभी कोई घोषणा नहीं हुई है।

श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल में व्यवस्था है कि वहाँ पर किसानों को जो ऋण मिलता है, उसका बीमा होता है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र हिमाचल से लगा हुआ है और यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि जिन किसानों के फल ओलावृष्टि से नष्ट हो गये हैं या अतिवृष्टि से या सड़क टूट गयी है, समय पर फल नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसका बीमा उस ऋण के साथ है या नहीं ?

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड में बीमा अन्य प्रकार की क्षति में लागू है केवल ओलों के द्वारा जो नुकसान होता है, उसके लिए बीमा लागू नहीं है।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, जब अतिवृष्टि से सड़क टूट जाती है और फसल समय से मण्डी तक नहीं पहुँच पाती है उसके लिए भी सरकार कुछ सोचेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पहले जिस कम्पनी ने ओलों से नुकसान का बीमा किया था, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अगले साल अपनी इस योजना को रोक दिया और किसी प्रकार का नुकसान यदि वर्षा नहीं हो रही है, आर्द्रता की कमी या अधिकता है, बारिश कम हुई है या बारिश अधिक हुई है, उसमें किसान को बीमा की पूरी राशि दी जाती है केवल ओलावृष्टि में बीमा नहीं मिलता।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, हिमाचल से लगा हुआ हमारा प्रदेश है तो क्या वहाँ के पैटर्न को यहाँ पर लागू करेंगे ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कोई कम्पनी आने को तैयार नहीं है। कोई कम्पनी ही नहीं आ रही है, तो हम क्या करें ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जो पैकिंग बॉक्स की बात की गयी, उसको खरीदने के लिए क्या तरीका सरकार ने अपनाया है और उन पैकिंग बॉक्स की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, किसानों को अपने फल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की गयी है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं मूल्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पैकिंग लेने का तरीका क्या है ? क्या उसके लिए निविदा होती है, टेण्डर होते हैं या सीधे खरीद लेते हैं और क्या इनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीच में कोई एजेन्सी रखी है जो इनको चैक करे। क्योंकि आये दिन ऐसे बाक्स आते हैं जो पैकिंग करते ही टूट जाते हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? बॉक्स किसानों को मिलते हैं। और जो.........

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इसमें सरकार के द्वारा 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जो...........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते है कि विभाग जो बॉक्स खरीदता है। इसकी प्रक्रिया क्या है?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, बॉक्स खरीदने के लिए टेण्डर किया जाता है और भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल होता है।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष नैनीताल की फल बैल्ट के लिए आपने जो बॉक्स लिए वह किस कम्पनी के थे और कितने लोगों ने टेण्डर डाले?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि नैनीताल में टोटल 71769 बॉक्स दिये गये।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपने कहा कि टेण्डर डाले जाते हैं। यह आप जिलेवार डालते होंगे या एक साथ डाल देते हैं ? अगर जिलेवार आप डालते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनपद नैनीताल में कितने लोगों ने टेण्डर डाला और किसका टेण्डर स्वीकृत किया ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इसकी सूचना आपको बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, आम, लीची तथा आडू फलों का उत्पादन तो होता है, लेकिन प्रॉपर विपणन न होने के कारण इन फलों का बहुत बड़ा प्रतिशत इन्हीं पेड़ों के नीचे ढेर बनकर रह जाता है। उसे एकत्रित नहीं किया जाता है, वह बेकार चला जाता है।....

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया प्रश्न करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने सम्बोधन में यह कहा है कि विपणन के लिये कोई भी कम्पनी आने को तैयार नहीं है।...

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने ओलावृष्टि के बीमे के लिये कहा है, बाकी के लिये तो व्यवस्था है, आर्द्रता की कमी, आर्द्रता की अधिकता, वर्षा का कम या अधिक होना, इन सबके लिये कम्पनियां बीमे के लिये तैयार हैं, लेकिन ओलावृष्टि के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं विपणन के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या विपणन को सरकारी क्षेत्र में लाने पर कोई विचार हो रहा है? अगर विपणन व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में आ जाये तो प्रदेश में फल के उत्पादन में कई गुना फर्क आ जायेगा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, फलों और सब्जियों की मार्केटिंग के लिये व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और सरकार इसके प्रति बहुत चिन्तित है। इसीलिये उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ताकि किसानों को उचित समय पर उनकी उपज का मूल्य मिल सके।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में वित्त पोषण एवं वित्त विहीन की मान्यता में विसंगति तथा निर्धारित मानक

*6–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कुछ अशासकीय विद्यालयों को वित्त सहित एवं कुछ विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो विसंगति के क्या कारण हैं ?

सरकार द्वारा वित्त पोषण एवं वित्त विहीन के लिए क्या मानक रखे गये हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–11 (क) एवं धारा– 18(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन वर्णित विनियम के अध्याय–7 में परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता हेतु मानक निर्धारित हैं। (बिन्दुवार मुख्य ekud I gXu g½I Hkh fo| ky; kadsfy, ,d I eku ekud fu/kZjr g. †

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–11 (क) एवं धारा–18 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्रदान की जाती है।" लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि धारा–18 (4) भाग क में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि वित्त विहीन या वित्त सहित, इनकी कैटेगरी कहीं पर भी अलग नहीं की गई हैं, उसमें यह लिखा गया है कि मान्यता दी जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस विसंगति के क्या कारण हैं कि किसी विद्यालय को वित्त सहित मान्यता दी जा रही है और किसी विद्यालय को वित्त विहीन मान्यता दी जा रही है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जब अशासकीय विद्यालय मान्यता के लिये आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन एक फारमेट में आता है, जिसमें पहले से ही यह लिखकर देना पड़ता है कि हमें मान्यता दी जाय और भविष्य में हम कभी भी वित्त के लिये एप्लाई नहीं करेंगे। धारा–18 (4) के अन्तर्गत सरकार का विशेषाधिकार है कि इसके अधीन ही वित्त विहीन और सवित्त की बात आती है। लेकिन जब कोई विद्यालय मान्यता के लिये एप्लाई करता है, उसमें संस्था की ओर से एक एफिडेविट दिया जाता है कि हम भविष्य में वित्त के लिये एप्लाई नहीं करेंगे। धारा–18 (4) के अन्तर्गत सरकार का विवेक है कि यदि वह विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको वित्त पोषित किया जाय।

---

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या–152–153 पर)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ चूँकि सारे विद्यालयों के लिये एक ही मानक होते हैं लेकिन जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार इस प्रदेश में थी, उस समय कुछ को सवित्त मान्यता दी गई और कुछ को नहीं दी गई। ऐसा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक विद्यालय है, लहरसैंण पब्लिक हाईस्कूल, उसके साथ के सारे विद्यालयों को मान्यता दी गई, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई, इसके क्या कारण हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य जी के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। आपका प्रश्न बहुत उचित है। लेकिन जो विद्यालयों को मान्यता देने का सवाल है, उसमें सरकार के माध्यम से एक क्रम बनाया गया है। किसने पहले अप्लाई किया, किसने बाद में अप्लाई किया और उसी के तहत विद्यालयों को मान्यता देने का वित्त सहित प्रावधान सरकार के (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपके मानक अगर पूरे होंगे वो भी सरकार के बजट पर डिपेंड है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, आपका आश्वासन चाहता हूँ माननीय मंत्री जी।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। वर्तमान में माननीय विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा और शिक्षा जगत को एक नई दिशा मिलेगी। यह हम विश्वास दिलाते हैं।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यह आश्वासन है आपका, मतलब होगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आश्वासन है। हम जो कहते हैं, वही करते हैं।

श्री नारायण राम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वित्तविहीन और सवित्त मान्यता हेतु जो मानक निर्धारित किये गये हैं। इसमें कक्षा 6,7एवं 8 में 135 छात्र, जहां पर बालिका विद्यालय है, उसके लिए मानक 75 निर्धारित किया गया है। वो अब पर्वतीय क्षेत्रों में सम्भव नहीं है। शिक्षा के उन्नयन को देखते हुए जिस प्रकार

से राजकीय हाईस्कूलों में व्यवस्था में शिथिलीकरण किया गया है। क्या सरकार इन मानकों में शिथिलता करेगी? एक बिन्दु और है, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड में जो माध्यमिक मान्यता प्राप्त सवित्त विद्यालय हैं, उसमें वर्ष 2005 से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में 07 वर्षों से जो लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार उन प्रधानचार्यों को किस तिथि से विनियमितीकरण करेगी और जो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में जा रहा है, उसे तो प्रधानाचार्य का वेतनमान दिया जा रहा है जो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा पा रहा है, उसे नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार समानता की नीति बनाने पर कोई विचार कर रही है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

निश्चित तौर से माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य जी को संतुष्ट करना चाहता हूँ। अगर कहीं असमानता है तो उस पर सरकार पूर्ण रूप से विचार करेगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वित्त सहित विद्यालयों को और वित्त विहिन विद्यालयों को जो इनको इस प्रकार की मान्यता मिलती है, उनको सरकार की तरफ से क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सरकार की तरफ से जब वित्त में आ जाते हैं तो सारी सुविधाएं, उनको पेंशन मिलती हैं। जब तक अनुदान नहीं मिलता है तब तक वो विद्यालय अपने संसाधनों से अपनी व्यवस्था चलाता है। जब अनुदान मिल जाता है, इसलिए अनुदान के लिए अप्लाई करते हैं ताकि सरकार की तरफ से उनको चलाने के लिए धन मिल जाय। (व्यवधान) जो राजकीय विद्यालयों का होता है, वही सुविधा मिलती है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बहुत से आश्रम पद्धति के विद्यालय, विशेष रूप से ऊधम सिंह नगर में चल रहे हैं (व्यवधान) समाज कल्याण का है तो जवाब तो यही देंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वो समाज कल्याण के हैं।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूँ प्रश्न कुछ नारायणराम आर्य जी से मिलता हुआ है। इसमें बिन्दु–10 में 6, 7 एवं 8 में जैसे

135 की छात्र संख्या और 75 की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि पूर्व में ऐसे विद्यालय रहे हैं जिन्होंने ये मानक को पूरा किया है और उनको मान्यता भी मिली और सवित्त भी बनाये गयें। वर्तमान में वही विद्यालयों में छात्र संख्या घट करके 22, 23 तथा 24 हो गयी है। क्या सरकार छात्र संख्या घटने के कारण उन विद्यालयों को बंद करेगी, अगर बंद करेगी तो वहां पर अध्यापक का कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए क्या योजना है ? (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

इसका प्रश्न ही नहीं उठता मान्यवर, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, जिस प्रकार से छात्र संख्या घट रही है तो उन विद्यालयों को बंद करने की स्थिति में उन अध्यापकों के लिए भी विचार होगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, विद्यालय बंद होगा ही नहीं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं मान्यता का प्रश्न कह रहा हूँ। बहुत समय से वह मान्यता के लिए बात कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण के माध्यम से संचालित होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भगत जी, आप बैठिये।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत गो0ब0प0 कृषि वि0वि0 की शेष भूमि तथा कृषि भूमि अन्य संस्थाओं को न दिये जाने का निर्णय

*7–श्री राजेश शुक्ला–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय की अब तक कितनी कृषि भूमि अन्य संस्थाओं को दी गयी है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कितनी भूमि शेष है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पर्यावरण विदों, वैज्ञानिकों एवं क्षेत्र की जनता द्वारा उक्त उपजाऊ कृषि भूमि अन्य संस्थाओं को न दिये जाने के सुझावों/सिफारिशों पर सरकार शीघ्र विचार कर कोई निर्णय लेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

जनपद नैनीताल के अंतर्गत विश्वविद्यालय के शोध एवं कृषि विज्ञान केन्द्र यथा राज्य बायोटैक्नोलॉजी केन्द्र, पटवाडांगर तथा कृषि विज्ञान केन्द्र ज्योलीकोट कार्यरत है। उक्त केन्द्र की भूमि पर विश्वविद्यालय का स्वामित्व है जिस पर शोध, प्रसार आदि गतिविधियाँ संचालित होती हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कुल 10016.29 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

अब इस विश्वविद्यालय की भूमि सामान्यतः अन्य विभागों / संस्थाओं को कृषि से इतर प्रयोजनों के लिए नहीं दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न ही नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की अब तक कितनी कृषि भूमि अन्य संस्थाओं को दी गई है। तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कितनी भूमि शेष है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पर्यावरण विदों, वैज्ञानिकों एवं क्षेत्र की जनता द्वारा उक्त उपजाऊ कृषि भूमि अन्य संस्थाओं को न दिये जाने के सुझावों/सिफारिशों पर सरकार शीघ्र विचार कर कोई निर्णय लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं उसी का उत्तर दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के तराई स्टेट फार्म को विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कुल भूमि 14241.35 एकड़ है। विश्वविद्यालय की विभिन्न शोध, महाविद्यालयों, आवासों, सड़कों आदि में उपयुक्त भूमि 4086.067 है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, जो लिखित उत्तर आया है, इन दोनों में अन्तर है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तर वालों ने बताना चाहा कि कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कितने संस्थान आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी केन्द्र पटवाडांगर भी उसके अन्दर है, कृषि विज्ञान केन्द्र ज्योलीकोट भी उसी के अन्दर है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत तो प्रदेश की बहुत सी संस्थायें आती हैं, केवल नैनीताल का क्यों आया है। भरसार और रानीचौरी भी तो उसी के अन्तर्गत आते हैं। पटवाडांगर ज्योलीकोट में है जो नैनीताल में है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने मान लिया कि जनपद नैनीताल की जगह यहाँ जनपद ऊधमसिंह नगर होना चाहिए था। इसको दिखवा लिया जायेगा कि नैनीताल कैसे छप गया।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि जब जवाब आया होगा, कृषि सचिव से लेकर नीचे तक अधिकारी हैं। क्या इन अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि पंतनगर विश्वविद्यालय किस जनपद में है। पंतनगर विश्वविद्यालय हमारा एशिया का ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। उत्तराखण्ड है। उत्तराखण्ड बनने के पहले की किताब ला रहे हैं। माननीय सदस्यों की जो किरकिरी हो रही है इसके पीछे हमारे अधिकारियों की लापरवाही है। ये अधिकारियों की लापरवाही है। 11 साल राज्य बने हो गये हैं। 11 साल पुराना उत्तर आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आखिरी का सुन लीजिए। शासन के आदेशानुसार विभिन्न सार्वजनिक सरकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई भूमि का विवरण इस प्रकार है– तराई विकास निगम, हल्दी को हस्तान्तरित भूमि 25.20 एकड़। 46वीं बटालियन टास्क फोर्स को हस्तान्तरित भूमि 150.00 एकड़ मान्यवर, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद को हस्तान्तरित भूमि 2.00 एकड़, वह वर्ष 1993 में दिया गया है। जिला प्रशासन ऊधमसिंह नगर को हस्तान्तरित भूमि 299.72 एकड़, जिला अस्पताल हल्दी को हस्तान्तरित भूमि 1.50 एकड़, भारत सरकार रेल विभाग को हस्तान्तरित भूमि 160.36 एकड़, भारत सरकार विमानपत्तन विभाग को हस्तान्तरित भूमि 242.31 एकड़, एकीकृत औद्योगिक संस्थान को हस्तान्तरित भूमि 3291.6349 एकड़, उत्तराखण्ड पुलिस विभाग को हस्तान्तरित भूमि 2.34 एकड़ उत्तराखण्ड मण्डी समिति को हस्तान्तरित भूमि 50.00 एकड़, इसी प्रकार 4225.06 एकड़ भूमि अन्य विभाग को हस्तान्तरित हैं। वर्तमान में जो भूमि गोविन्द बल्लभ पन्तनगर विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है वह 10016.29 एकड़ है। (घोर व्यवधान के मध्य) आपने दूसरा सवाल पूछा क्या भविष्य में यह भूमि बाहर तो नहीं दी जायेगी? इस विश्वविद्यालय की भूमि जो तय की गयी है। सामान्यतः अन्य विभागों को या संस्थाओं को कृषि से इतर प्रयोजन के लिए नहीं दी जायेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पन्तनगर विश्वविद्यालय की 3291.63 एकड़ भूमि सिडकुल को दी गयी। मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि जो 3291 एकड़ भूमि में इंडस्ट्री स्थापित हुई है उस इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन से पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के फसल अनुसंधान केन्द्रों में इसका प्रतिकूल

प्रभाव पड़ रहा है और उससे उसकी रिसर्च प्रभावित हो रही है? क्या सरकार के संज्ञान में यह तथ्य हैं और सरकार इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो इंडस्ट्री लगती है, उनको पर्यावरण विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है। पर्यावरण विभाग ने उनको एन0ओ0सी0 दे रखी है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि विश्व विद्यालय के क्रॉप रिसर्च सेन्टर्स पर इसका जो असर पड़ रहा है। वह आपके संज्ञान में है की नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सिडकुल की जितनी इंडस्ट्री लगी हैं उसका पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा, अभी तक ऐसी कोई शिकायत विश्वविद्यालय की ओर से दर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

वि0स0 क्षेत्र भीमताल अन्तर्गत ग्राम सुनकिया जू0हा0 का उच्चीकरण

1–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुनकिया के जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण हाईस्कूल स्तर पर करवाये जाने हेतु क्या सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वि0स0 क्षेत्र भीमताल स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण हेतु योजना

2–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु क्या सरकार पर्यटन नगरी भीमताल स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है ?

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में स्वीकृत जनपद नैनीताल वैलनेस पर्यटन सर्किट में तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु एम0पी0 थियेटर, साइनेज, लैण्डस्केपिंग, छतरियां, बैंचपार्क, फाउन्टेन, पाथ, सौलिड वैस्ट मैनेजमेंट के कार्य भी स्वीकृत हैं, जिन पर कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौडी के "एकेश्वर स्रोत सम्वर्द्धन पेयजल योजना पटोटी" को प्रारम्भ किये जाने की योजना

3–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में "एकेश्वर स्रोत सम्वर्द्धन पेयजल योजना पटोटी" स्वीकृत हुयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किन कारणों से पेयजल योजना प्रारम्भ नहीं की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विलम्ब के लिए कौन दोषी है तथा कब तक उक्त योजना को प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

योजना की अनुमानित लागत ` 610.76 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा आतिथि ` 510.937 लाख व्यय किया जा चुका है। अत्यधिक कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण पाइप लाइन संरेखण परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2010–11 में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन के कारण पाबौ, पटोटी व दमदेवल मोटर मार्ग के अवरूद्ध हो जाने के कारण सामग्री ढुलान में व्यवधान उत्पन्न होने से शेष कार्य अवरूद्ध हुआ है।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं लम्बे समय तक मार्ग अवरूद्ध होना विलम्ब का कारण रहा है। पाइप लाइन के संरेखण में परिवर्तन करने के कारण वर्तमान में स्वैप पद्धति में कार्य जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन विरचित किये जा रहे हैं। पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने के उपरान्त ही योजना को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पौड़ी के वि0ख0 द्वारीखाल हेतु पेयजल पम्पिंग योजना की स्वीकृति तथा कार्य प्रगति

4–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल क्षेत्र हेतु कोई पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत की गयी है?

यदि हाँ, तो कब और उक्त कार्य की प्रगति क्या है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अभी तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं तथा कब तक जनता को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1692/उन्तीस(2)/06–02(42पे0)/2006 दिनांक 13.10.06 द्वारा ` 2289.20 लाख स्वीकृत की गयी है। योजना पर शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि ` 876.855 लाख से योजना के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और ` 455.20 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना लागत ` 2289.20 लाख राज्य सैक्टर ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1692/उन्तीस(2)/06–02(42पे0)/2006 दिनांक 13.10.06 द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस योजना में विकास खण्ड द्वारीखाल के अलावा विकास खण्ड दुगड्डा एवं जयहरीखाल की कुछ बस्तियां भी सम्मिलित की गयी हैं उक्त शासनादेश के प्रस्तर 16 में उल्लेखित है कि "योजना से जयहरीखाल एवं लैंसडाउन छावनी परिषद को भी आच्छादित किया जायेगा, जिसका पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया जाय" के अनुपालन में योजना में जयहरीखाल एवं लैंसडाउन छावनी परिषद् को सम्मिलित करते हुए योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमानित लागत ` 4825.77 लाख शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। शासन स्तर पर लिए गये निर्णय अनुसार योजना में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र (छावनी परिषद्) के लिए अलग–अलग पेयजल व्यवस्था हेतु आगणन तैयार किये जा रहे हैं।

जनपद पौड़ी के "चौबट्टाखाल पम्पिंग योजना" की स्वीकृति तथा प्रगति विवरण

5–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल तहसील के अन्तर्गत "चौबट्टाखाल पम्पिंग योजना" कब स्वीकृत हुयी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुयी तथा कब तक उक्त पम्पिंग योजना से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल की "चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल" योजना दिसम्बर, 2006 में स्वीकृत की गयी।

प्रश्नगत योजना की स्वीकृति होते ही ग्रामीण क्षेत्र की समस्त पेयजल योजनाओं के लिये स्वैप पद्धति लागू हो जाने के फलस्वरूप स्वैप पद्धति के अन्तर्गत एन0आर0डी0डब्यू0पी0 कार्यक्रम में प्राक्कलन तैयार कर विभागीय योजना चयन समिति से अनुमोदित कराकर वित्त व्यय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है। योजना की स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला के नौगांव, पुरोला, मोरी में नगदी फसलों के निर्यात एवं रख–रखाव हेतु लघु मण्डियों की व्यवस्था।

6–श्री माल चन्द–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव, पुरोला, मोरी में क्षेत्रीय उत्पादित नगदी फसलों के निर्यात व रख–रखाव हेतु सरकार लघु मण्डियों की व्यवस्था करेगी?

यदि हॉं, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव में कृषि मण्डी का निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र पुरोला में नगदी फसलों के निर्यात व रख–रखाव हेतु लघु मण्डियों की व्यवस्था/स्थापना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला के नौगांव, पुरोला, मोरी के कृषकों तथा बेरोजगार युवकों को कृषि की आधुनिक तकनीकी, उन्नत बीज, फसलों की गुणवत्ता हेतु कृषि केन्द्र की स्थापना,

7—श्री माल चन्द—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी क्षेत्र के कृषकों तथा बेरोजगार नवयुवकों में कृषि की आधुनिक तकनीकी की बारीकियों, उन्नत बीजों तथा फसलों की गुणवत्ता की जानकारी देने हेतु सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि केन्द्र स्थापित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या इस प्रकार की कोई सिफारिश महामहिम राज्यपाल द्वारा भी की गई है?

श्री विजय बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। एक जनपद में एक ही कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की प्रथा है। जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्व से स्थापित है।

स्थिति ज्ञात की जा रही है।

वि0स0 क्षेत्र लोहाघाट में रा0 इ0 का0 खेतीखान, चौमेल, पुलहिण्डोला में कृषि विषय संचालन का प्रस्ताव,

8—श्री पूरन सिंह फर्त्याल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में राजकीय इंटर कॉलेज खेतीखान, चौमेल, पुलहिण्डोला में सरकार कृषि विषय संचालित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार

9–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या महिला बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां विषम परिस्थितियों में बहुत कम मानदेय पर कार्य कर रही हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए उनके मानदेय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय अन्य पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सेवायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पर आधारित हैं, जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रू0 3000/– दिया जा रहा है। वर्तमान महंगाई के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रू0 1500/– प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य की तुलना में अन्य पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त मानदेय रू0 300/– प्रतिमाह तथा उ0प्र0 राज्य में रू0 200/– प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है।

हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में पेयजल योजना की स्वीकृति

10–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय जनता कई वर्षों से एक नलकूप व टंकी बनाये जाने की मांग करती रही है ?

क्या विभाग द्वारा प्राक्कलन भी शासन को पूर्व में भेजा गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रावली महदूद, में नलकूप व टंकी बनाने की योजना शीघ्र स्वीकृत करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हॉं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सैक्टर में पेयजल योजनाओं के सभी कार्य वर्तमान में डिमाण्ड मोड में स्वैप सिद्धान्तों पर समुदाय के माध्यम से कराये जाते हैं।

राजीव गांधी पेयजल सर्वेक्षण मिशन–2003 के अनुसार रावली महदूद बस्ती पूर्ण सेवित श्रेणी की बस्ती है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह बस्ती आंशिक सेवित बस्ती में परिवर्तन होने के कारण वास्तविक प्रास्थिति परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात् स्वैप सिद्धान्त पर पुनरीक्षित योजना का प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसमें नये नलकूप व टंकी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।

हरिद्वार में रानीपुर के शिवालिक नगर में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना

11–श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवालिक नगर में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग क्षेत्रीय जनता लगातार कर रही है ?

यदि हॉं, तो क्या शिवालिक नगर में विद्यालय खोले जाने की कोई योजना सरकार बना रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक नगर में क्षेत्रीय जनता से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत 01 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय तथा 03 किमी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था है तथा उक्त क्षेत्र इन मानकों के अनुसार पूर्णतः संतृप्त है।

जनपद हरिद्वार के मकतब/मदरसा में अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार

12--श्री सरवत करीम अंसारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में मकतब/मदरसा में अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मकतब/मदरसा मद में भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में धनराशि स्वीकृत नहीं की जा रही हैं।

ज्वालापुर वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत जलापूर्ति सुचारू किये जाने की कार्यवाही

13--श्री चन्द्र शेखर--

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर विधान सभा के अन्तर्गत घाट क्षेत्र में गर्मी के मौसम में जल स्तर गिर जाने के कारण सरकारी नलों, हैण्डपम्पों, से पानी की आपूर्ति पूर्णतया बन्द हो जाती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू करने हेतु कार्यवाही करेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी नहीं। जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाड़ (घाट) क्षेत्र में हैण्डपम्पों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। गर्मी के मौसम में जल स्तर घट जाने के कारण पेयजल आपूर्ति में आंशिक रूप से कमी हो जाती है।

हैण्डपम्पों में अतिरिक्त पाइपों की लोअरिंग एवं मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नैनीताल के ओखलकांडा स्थित हरीशताल, देवगुरू, देवस्थल आदि पर्यटक स्थलों को पर्यटन मानचित्र में लाये जाने का प्रस्ताव

14–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड ओखलकांडा स्थित हरीशताल, देवगुरू, देवस्थल ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं? क्या सरकार इसे पर्यटन मानचित्र पर लाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

ओखलकांडा स्थित हरीशताल पर्यटन मानचित्र में दर्शाया गया है। देवगुरू देवस्थल को पर्यटन मानचित्र में दर्शाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल के ओखलकांडा, रामगढ़, धारी को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किये जाने का विचार

15–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकांडा, रामगढ़, धारी प्रदेश में फल उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को फल पट्टी क्षेत्र घोषित करते हुए, कृषकों को आधुनिक बागवानी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेंगे

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षा विभाग सीमेट (राजकीय शैक्षणिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) में पदों का विवरण तथा सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति

16—श्री गणेश जोशी

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग सीमेट (राजकीय शैक्षणिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) में पदों का विवरण तथा उन पदों से सम्बन्धित योग्यता क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि सीमेट में कितने शिक्षक पी०एच०डी० (प्रबन्धन) तथा एम०बी०ए० (शिक्षा शास्त्र) डिग्रीधारक हैं जो प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य कर रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सीमेट में एम०बी०ए० (शिक्षा शास्त्र) डिग्रीधारकों को सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

अपर निदेशक का एक पद तथा विभागाध्यक्ष (संयुक्त निदेशक स्तर) के दो पद संवर्गीय हैं, जो उत्तराखण्ड सामान्य शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों से भरे जायेंगे। शेष पद यथा—वित्त अधिकारी, प्रोफेशनल, जूनियर प्रोफेशनल आदि विभागीय शिक्षकों आदि से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने का प्राविधान है। अतः पृथक से योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है।

04 शिक्षक पी०एच०डी० योग्यताधारी हैं तथा एम०बी०ए० (शिक्षा शास्त्र) कोई नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

एम०बी०ए० (शिक्षा शास्त्र) डिग्रीधारकों को नियुक्ति प्रदान किये जाने का नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों की डिग्रियां सत्यापन किये जाने की कार्ययोजना

17—श्री गणेश जोशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों की डिग्रियों का सत्यापन किये जाने का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो कौन इसके लिए सक्षम अधिकारी है, और अभी तक कुल कितने कर्मचारियों/शिक्षकों का सत्यापन हो चुका है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों के प्रमाण–पत्रों को नियुक्ति के समय उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाता है।

प्रदेश में रा0इ0 कॉलेजों/हाईस्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किये जाने की योजना

18–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में राजकीय इंटर कालेजों/हाईस्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किये जाने का कोई प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित हैं और कितने पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक कार्यरत हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा रमसा के तहत प्रत्येक विद्यालय को पुस्तकों के लिए दी जाने वाली धनराशि के सदुपयोग के लिए कोई कार्ययोजना बनाई जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रपोषित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय को रू0 10,000 (रूपये दस हजार मात्र) पुस्तक क्रय हेतु अनुदान दिये जाने की कार्य योजना है।

कार्य योजना अस्तित्व में है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत कृत्रिम झीलों एवं नौका विहार द्वारा रोजगार उपलब्ध किये जाने का प्रस्ताव

19–श्री माल चन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं ?

क्या सरकार प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ–साथ पर्यटकों के आकर्षण व क्षेत्रीय रोजगार हेतु छोटी–छोटी कृत्रिम झीलों का निर्माण कर नौका विहार के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

इन स्थलों पर साहसिक पर्यटन की गतिविधियों के लिए पर्यटकों का आवागमन होता रहता है।

वर्तमान में एतद्सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नैसर्गिक रूप से उपलब्ध स्थलों पर ही ऐसे कार्य कराये जा रहे हैं। यथा मोरी में रिवर राफ्टिंग का विकास किया जा रहा है।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अध्यापकों के रिक्त पद तथा पद सृजन की योजना

20–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में पद सृजन पर रोक लगी है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अध्यापकों के कई पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार अशासकीय विद्यालयों में पद सृजन करने की कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी हाँ।

अनुदान सूची/सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में सृजित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। असहायता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजन नहीं किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लैन्सडौन वि0स0 क्षेत्र के नैनीताल व हल्दूखाल पेयजल योजना का निर्माण

21–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र में नैनीडांडा व हल्दूखाल पेयजल योजना स्वीकृत है ?

यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

नैनीडांडा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, जिसमें हल्दूखाल क्षेत्र भी सम्मिलित है, विभागीय योजना चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त वित्त व्यय समिति को प्रेषित की गयी है। वित्त व्यय समिति से स्वीकृति के उपरान्त योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल के अध्यापकों को मण्डल परिवर्तन का अवसर

22–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि कुमाऊं मण्डल के अध्यापक लम्बे समय से गढ़वाल मण्डल में और गढ़वाल मण्डल के अध्यापक कुमाऊं मण्डल में कार्यरत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इच्छुक अध्यापकों को एक समय वरिष्ठता में छूट देकर मण्डल परिवर्तन का अवसर देगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति हेतु सुसंगत नियमावलियों में मण्डलीय संवर्ग निर्धारित है तथा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों का जनपदीय संवर्ग निर्धारित है।

वि0स0 क्षेत्र सल्ट के रा0इं0 कालेजों में मानकानुसार भवनों का निर्माण कार्य

23–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कुल कितने राजकीय इण्टर कालेजों में मानकों के अनुसार भवन उपलब्ध नहीं हैं

तथा कितने राजकीय इण्टर कालेजों में कक्ष–कक्षाओं की कमी है?

क्या सरकार कमी वाले विद्यालयों में कक्ष–कक्षाओं के निर्माण का कार्य शीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र सल्ट में 26 राजकीय इण्टर कालेजों में मानकों के अनुसार भवन उपलब्ध नहीं है।

26 राजकीय इण्टर कालेजों में कक्ष–कक्षाओं की कमी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर कक्ष–कक्षाओं के निर्माण का कार्य शीघ्र कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र सल्ट में जैविक एवं औषिधीय खेती के प्रोत्साहन योजना में कुल व्यय धनराशि

24–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में किसानों को परम्परागत खेती के साथ–साथ जैविक एवं औषधीय खेती के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गये हैं और इसके लिए किस–किस योजना में कितना–कितना व्यय निर्धारित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्पादित जैविक एवं औषधीय वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जैविक खेती कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्ष 2011–12 में 159 कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयां, 10 बर्मी कल्चर सेन्टरों की स्थापना तथा मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसके अतिरिक्त जैविक उत्पाद परिषद के माध्यम से किसानों के जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

औषधीय खेती के मामले में विधान सभा क्षेत्र सल्ट में गत तीन वर्षों में सतावर के 1,61,975 तेजपात के 6,930 तथा बड़ी इलायची के 4,000 पौधों का कृषिकरण किया गया है।

वर्ष 2012–13 में इस क्षेत्र हेतु जैविक खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 130 कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण एवं 7 बर्मीकल्चर सेन्टरों की स्थापना प्रस्तावित की गयी है, जिसके लिए रू 7,06 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

जैविक उत्पाद परिषद के सहयोग से परिषद में पंजीकृत क्रेता संस्थाओं के माध्यम से कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन कराया जा रहा है। उत्पादित औषधीय एवं सगन्ध पादपों की विपणन व्यवस्था हेतु प्रदेश स्तर पर रामपुर, टनकपुर एवं बीबीवाला (ऋषिकेश) में तीन जड़ी बूटी मण्डियों का संचालन किया जा रहा है।

जैविक उत्पाद परिषद के द्वारा प्रदेश में वर्ष 2011–12 में रू 418.57 लाख का जैविक उत्पादों का विपणन कराया गया है, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र सल्ट से रू3.59 लाख मूल्य के जैविक उत्पादों का विपणन हुआ है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 पुरोला अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी आदि क्षेत्रों में रोप–वे की व्यवस्था

25–श्री माल चन्द–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव, पुरोला, मोरी में ग्रामीण काश्तकारों के आवगमन व खच्चर ढुलान से सही समय पर उत्पादित फसलों को मण्डी में पहुँचाने के उद्देश्य से जगह–जगह छोटे–छोटे रोपवे की व्यवस्था की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्पादित औद्यानिकी फसलों को उत्पादन क्षेत्र से रोड हैड तक पहुँचाने के उद्देश्य से मोरी विकासखण्ड में 03 रोपवे (दुचाडू से टिकोची, थुनारा से काष्टा तथा भुटाणू से सरण) तथा नौगॉव विकासखण्ड में 02 रोपवे (लुदोगी से सेतियॉं एवं स्यूरी से नौगॉव) क्रियाशील है। विकासखण्ड मोरी में 03 रोपवे (खूना से बडोगी, रवाधार से टिकोची तथा दीनापुर से सांकरी) तथा विकासखण्ड नौगॉव में 03 रोपवे (पोसाल से सिमलसारी, भंकोली से घुमकातोक एवं दागुड से राना) के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित है। मोरी विकासखण्ड में खादमी से खरसाली रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है तथा नौगॉव विकासखण्ड में दुरविल से हनुमानचट्टी रोपवे निर्मित हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 पुरोला के अन्तर्गत वाया यमुनोत्री से हरकीदून आने–जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु यात्री शेड व मोबाइल टीम का गठन

26–श्री माल चन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत वाया यमुनोत्री धाम से हरकीदून जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु यात्री शेड व मोबाइल टीम का गठन किया जायेगा जिससे पर्यटकों को यात्रा के दौरान हर तरह की समस्या से निपटने में सहायता मिल सके ?

क्या सरकार यात्री शेड व मोबाइल टीम का गठन करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में यमुनोत्री धाम से हरकीदून जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु यात्री शेड व मोबाईल टीम गठित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र काशीपुर के गिरीताल पेयजल योजना हेतु अवमुक्त राशि एवं विवरण

27—श्री हरभजन सिंह चीमा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर हेतु मु0 527.00 लाख रू0 की स्वीकृत गिरीताल पेयजल योजना के प्रति जल निगम काशीपुर को धन अवमुक्त हो चुका है ?

यदि हाँ, तो अवमुक्त राशि एवं प्रगति का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो उक्त परियोजना के प्रति अब तक धनावंटन न होने का क्या कारण है एवं कब तक धनावंटन किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र काशीपुर हेतु गिरीताल पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना की स्वीकृति से पूर्व ही काशीपुर नगर को ए0डी0बी0 द्वारा चयनित कर लिया गया। अतः काशीपुर नगर की पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही उत्तराखण्ड अरबन सैक्टर डेवलपमेन्ट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत की जानी प्रस्तावित है और इसे ए0डी0बी0 द्वारा ट्रैंच—03 में लिया गया है।

प्रदेश के उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार

28—श्री सरवत करीम अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 रानीपुर के शिवालिक नगर में नई सीवर लाइन बनाने पर विचार

29—श्री आदेश चौहान—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर शिवालिक नगर की सीवर लाइन बन्द (चोक) पड़ी है व सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शिवालिक नगर में नई सीवर लाइनें डलवाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ। जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के शिवालिक नगर में जलोत्सारण योजना का रखरखाव पेयजल विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, अपितु शिवालिक नगर/बी0एच0ई0एल0 द्वारा अधिकृत आवासीय समिति द्वारा किया जाता है।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर शिवालिक नगर में नई सीवर लाईन डाले जाने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत जलोत्सारण योजना प्रस्तावित की जा रही है।

भारत सरकार से योजना स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत रानीपुर के ग्राम सीतापुर एवं सुभाषनगर में नलकूप एवं टंकी का निर्माण

30—श्री आदेश चौहान—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर के गांव सुभाषनगर में पेयजल का संकट बना है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सुभाषनगर में नलकूप व टंकी का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ग्रामीण सैक्टर में पेयजल योजनाओं के सभी कार्य वर्तमान में डिमाण्ड मोड में स्वैप सिद्धान्तों पर समुदाय के माध्यम से ही कराये जाते हैं।

राजीव गांधी पेयजल सर्वेक्षण मिशन–2003 के अनुसार सीतापुर बस्ती पूर्ण सेवित श्रेणी की बस्ती है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह बस्ती आंशिक सेवित बस्ती में परिवर्तन होने के कारण वास्तविक प्रास्थिति परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात स्वैप सिद्धान्त पर पुनरीक्षित योजना का प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसमें नये नलकूप व टंकी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।

प्रास्थिति परिवर्तन के पश्चात योजना स्वीकृत होने पर कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की स्थानान्तरण नीति में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के मानक

31–श्री अजय टम्टा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थानान्तरण नीति में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के क्या मानक रखे गये हैं ?

क्या सरकार द्वारा नीति में बदलाव किया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में शिक्षा विभाग की पृथक से कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर अन्तर्गत ग्राम रामनगर कन्या जू0हा0 का हाईस्कूल में उच्चीकरण

32–श्री राजेश शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में रूद्रपुर विकासखण्ड के ग्राम रामनगर (भमरौला ग्राम सभा) में सन् 1965 से स्थापित कन्या जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा बार–बार मांग उठाये जाने के बाद भी अभी तक इस पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त कन्या जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण यथाशीघ्र करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर स्थित हाईस्कूल का उच्चीकरण,

33–श्री राजेश शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर में स्थित एक मात्र राजकीय हाईस्कूल को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में उच्चीकृत करने पर शिक्षा विभाग कोई कार्यवाही कर रहा है ?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर स्थित रा0बा0इ0 कालेज में छात्राओं के अनुरूप शिक्षण कक्षों का निर्माण एवं शिक्षकों की नियुक्ति

34–श्री राजेश शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जिला ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर में स्थित एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज में छात्रा सं0 1900 के सापेक्ष मात्र 11 अध्यापिकायें हैं तथा शिक्षण कक्षों का अभाव होने से छात्राओं को बाहर खुले में बैठ कर पढ़ना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रा0 बालिका इण्टर कालेज में छात्रा संख्या के अनुरूप शिक्षण कक्षों का निर्माण एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

रमसा एवं जिला योजना अन्तर्गत कक्षों का निर्माण तथा प्रवक्ता एवं एल0टी0 के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0ख0 थौलधार के जुआ पट्टी के अन्तर्गत सुरीधार पम्पिग योजना की स्वीकृति.

35–श्री विक्रम सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के जुआ पट्टी के दर्जनों गांव पेयजल समस्या से त्रस्त हैं ?

यदि हाँ, तो शासन में लम्बित थौलाधार ब्लाक की सुरीधार पम्पिग योजना की स्वीकृति कब तक होगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के विकासखण्ड थौलधार की सुरीधार पम्पिंग पे0यो0, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम में प्रस्तावित है। योजना का परीक्षण पेयजल निगम स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद टिहरी अन्तर्गत प्रतापनगर को जोड़ने के लिये मदननेगी–टिहरी तथा भल्डियाना मोटना रोपवे का निर्माण एवं संचालन

36–श्री विक्रम सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर को जोड़ने के लिये भागीरथी प्राधिकरण द्वारा निर्मित मदन नेगी–टिपरी रोपवे का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

क्या सत्य है कि भल्डियाना मोटणा रोपवे का कार्य भी बन्द है ?

यदि हाँ, तो उक्त रोपवे का निर्माण करवा दोनों रोपवे का संचालन कब तक शुरू होगा ?

श्रीमती अमृता रावत–

टिपरी–मदन नेगी रोपवे पुनर्वास निदेशालय द्वारा संचालित किया जा रहा था। पुनर्वास निदेशालय के द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद से गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से इसके संचालन का अनुरोध किया गया, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

उक्त रोपवे का संचालन पर्यटन विभाग के माध्यम से किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर धात्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार राशन तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुक्ड फूड की नियमित व्यवस्था

37. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या बाल विकास, महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि धात्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन समय पर मिल रहा है तथा आंगबाड़ी केन्द्रों पर कुक्ड फूड की व्यवस्था नियमित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में टेक होम राशन के रूप में धात्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को देय अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा की जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को समय पर धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति की व्यवस्था एवं टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने में समय लगने के कारण कुछ समय अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति बाधित रही है, जिसे वर्तमान में सुचारू कर दिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गठित माता समितियों को कुक्ड फूड के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को कुक्ड फूड हेतु धनराशि समय पर उपलब्ध करा दी गयी है एवं नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुक्ड फूड बन रहा है।

उक्तानुसार।

राज्य के प्रत्येक वि0ख0 में आवासीय विद्यालय खोले जाने की योजना

38—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने विद्यालयों में छात्र संख्या 10 छात्र से 15 छात्र तक है ?

क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों को विकास खण्ड में एक आवासीय विद्यालय स्थापित कर समायोजित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

राज्य के 95 विकास खण्डों में से 87 विकास खण्डों में 10 से 15 छात्र संख्या वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या—1654 है। इसी प्रकार 69 विकास खण्डों में 10 से 15 छात्र संख्या वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या—211 है।

जी नहीं।

सर्व शिक्षा अभियान एवं शासनादेशानुसार बस्ती से 01 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और 03 किमी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का प्राविधान हैं। वर्तमान में राज्य में मानकानुसार अधिकतर बस्तियाँ सेवित की जा चुकी हैं तथा छात्रों को आवासीय सुविधाओं को छोड़कर सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। आवासीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

शहरीकरण से लीची उद्यानों को होने वाली क्षति से बचाव एवं भविष्य में लीची प्रजातियों की सुधार योजना

39.—श्री अजय टम्टा—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरीकरण से लीची उद्यानों को होने वाली क्षति से बचाव हेतु योजना है तथा लीची प्रजातियों के सुधार की भविष्य में क्या योजना है ?

श्रीमती अमृता रावत—

शहरीकरण से लीची उद्यानों को होने वाली क्षति से बचाव हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

लीची प्रजातियों के सुधार हेतु गुणवत्तायुक्त पौध तैयार करना तथा पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार की योजना संचालित हैं। जीर्णोद्धार हेतु पुराने लीची उद्यानों के जीर्णोद्धार हेतु रू0—15000 प्रति हैक्टेयर की दर से राज सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

उद्यान विभाग में नर्सरियों को "उत्पादक नर्सरी" के रूप में विकसित करने हेतु योजना

40–श्री अजय टम्टा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग में नर्सरियों को उत्पादक नर्सरी के रूप में विकसित करने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

उद्यान विभाग में नर्सरियों को उत्पादक नर्सरियों के रूप में विकसित करने के लिए "राजकीय उद्यानों के सुदृढ़ीकरण योजना" तथा "हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन" योजनाऐं संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत विभिन्न फल प्रजातियों के मातृ प्रखण्ड की स्थापना, विभिन्न प्रजातियों के सायन प्रखण्ड की स्थापना, सिंचाई हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की स्थापना, माइक्रो इरिगेशन की स्थापना, पॉली हाउसों/सेडनेटो की स्थापना, जंगली जानवरों से बचाव हेतु नर्सरी घेरबाड़ की योजना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड में जनपदवार अदरक बीज की आपूर्ति

41–श्री अजय टम्टा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जनपद वार अदरक बीज की कुल कितनी आपूर्ति की गई है तथा जनपदवार कितने क्षेत्रफल अदरक बीज बुआई का लक्ष्य रखा गया है ?

श्रीमती अमृता रावत–

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपदवार अदरख बीज की आपूर्ति निम्न विवरणानुसार की गई:–

क्र0 सं0	जनपद	आपूर्ति की गई अदरख की मात्रा (कुन्तल में)
1	अल्मोड़ा	180.00
2	बागेश्वर	180.00
3	नैनीताल	161.00
4	पिथौरागढ़	196.20
5	चम्पावत	139.00

6	ऊधमसिंहनगर	85.00
7	देहरादून	1376.23
8	हरिद्वार	560.00
9	पौड़ी	390.00
10	टिहरी	1449.00
11	चमोली	134.45
12	उत्तरकाशी	109.40
13	रूद्रप्रयाग	10.00
	योगः–	4970.28

वर्ष 2012–13 में अदरक बीज बुआई का जनपदवार लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	जनपद	कुल योग (हैक्टर में)
1	अल्मोड़ा	85
2	नैनीताल	100
3	पिथौरागढ़	54
4	बागेश्वर	89
5	चम्पावत	63
6	ऊधमसिंहनगर	56
7	पौड़ी–कोटद्वार	127
8	टिहरी	114
9	चमोली	64
10	उत्तरकाशी	67
11	हरिद्वार	53
12	रूद्रप्रयाग	44
13	देहरादून	110
	कुल योगः–	1026

जनपद टिहरी के प्रतापनगर अन्तर्गत सेम मुखेम, पौड़ी तथा खैट को पर्यटन प्लान में शामिल करने की योजना

42–श्री विक्रम सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भगवान नागराजा का सर्वोच्च धाम सेम मुखेम है और परियों का निवास पौड़ी एवं कैटव मर्दनी मां दुर्गा का प्रसिद्ध धाम खैट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन मंत्रालय इन धामों का विकास कर टिहरी बांध के पर्यटन प्लान में शामिल करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा टिहरी झील एवं आस–पास के क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण करने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर में स्थाई कुलपति की नियुक्ति

43–श्री राजेश शुक्ला–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रतिष्ठित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में लगभग एक वर्ष से कार्यवाहक कुलपति नियुक्त है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक स्थाई कुलपति की नियुक्ति सरकार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के गांवो में पेयजल एवं सिंचाई संकट के निदान हेतु नदियों एवं गधेरों में झीलों का निर्माण

44–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी गढ़वाल के गांवो में पेयजल एवं सिचाई स्रोतों का अभाव है ?

क्या सरकार पेयजल संकट से बचने के लिए छोटी नदियों एवं गधेरों के जल को रोक कर झीलों का निर्माण करायेगी ?

; fn gk] rks bl dsfy , D; k dk Z; ks uk gS\

; fn ugha] rks D; ka\

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विगत वर्षों में पर्यावरण कारणों से जनपद पौड़ी सहित पूरे उत्तराखण्ड राज्य में स्रोतों के स्राव में आयी कमी के मध्यनजर स्रोत संवर्द्धन एवं संरक्षण कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा विभिन्न पेयजल योजनाओं में चाल–खाल, कन्टूर ट्रेन्चेज, चैकडैम एवं वृक्षारोपण के कार्य सम्पादित कराये गये हैं एवं निरन्तर कराये जा रहे हैं। साथ ही साथ यमकेश्वर विधान सभा अन्तर्गत गहड़, गधेरा तथा थल नदी में झील निर्माण एवं पौड़ी विधान सभा अन्तर्गत ल्वाली ग्राम के समीप झील निर्माण की योजना सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है। जिनके प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी के हाथीपांव स्थित यू0पी0एस0एम0डी0सी0 की भूमि पर औद्योगिक इकाई लगाये जाने पर विचार

45–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबन्ध के उपरान्त माइन्स बन्द होने के कारण यू0पी0एस0एम0डी0सी0 के आवास एवं भूमि राज्य सरकार के अधीन है जो कि अनुप्रयुक्त है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कोई औद्योगिक इकाई लगाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

यू0पी0एस0एम0डी0सी0 की हाथीपांव स्थित 54.35 एकड़ भूमि तथा भवन और पुरूकुल गांव में स्थित 10.60 एकड़ अर्थात कुल 64.95 एकड़ भूमि वर्ष 2000–01 में पर्यटन विभाग द्वारा क्रय की गयी थी।

उक्त भूमि पर रोप–वे परियोजना तथा इको टूरिज्म का विकास प्रस्तावित है।

मसूरी हाथीपांव रोप–वे परियोजना हेतु एल0आर0जी0 (लार्ज रिवेन्यू जनरेटिंग) योजना के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से धनराशि का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर स्वीकृति प्राप्त होने पर रोप–वे परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, हाथीपांव स्थित शेष भूमि पर पी0पी0पी0 मोड में इको टूरिज्म का विकास प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख सिंह, श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार, श्री चन्दन राम दास, श्री राजेश शुक्ला, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री गणेश जोशी एवं श्री अजय टम्टा, श्री यतीश्वरानन्द, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री माल चन्द, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री तीरथ सिंह, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री बंशीधर भगत, श्री महावीर सिंह, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री ललित फर्स्वाण, श्री चन्द्रशेखर, श्री प्रेम सिंह, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री हरबन्स कपूर, श्री संजय गुप्ता, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री उमेश शर्मा (काऊ), श्री अजय टम्टा तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री हेमेश खर्कवाल, श्री राजेश शुक्ला, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री गणेश जोशी एवं श्री अजय टम्टा, श्री प्रेम सिंह, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत केवल 7 सूचनायें लेने की व्यवस्था है, वह 7 सूचनायें ले ली गई हैं, इसलिए जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नहीं आई हैं, उसको अगली बार लाने की कोशिश करें उसको लिया जायेगा।

(माननीय सदस्य डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है,[XXX] इस पर चर्चा होनी जरूरी है।

नोट– [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हेमेश खर्कवाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना [XXX] तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(मान्यवर सदस्य श्री मयूख सिंह सदन से बाहर चले गये।)

विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चल्थी में शराब की दुकान खोले जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चल्थी में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं द्वारा लगभग दो माह से आन्दोलन/धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय भवन स्वामियों द्वारा भी शराब की दुकान खोलने हेतु भवन/दुकान शराब विक्रेताओं को नहीं दी जा रही है। प्रशासन भारी जनाक्रोश एवं विरोध के बावजूद भी शराब की दुकान खुलवाये जाने पर आमादा है। प्रशासन के इस रवैये पर कभी भी शांति व्यवस्था भंग या अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा दल में तैनात अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, उत्तराखण्ड सचिवालय के अधीन सुरक्षा दल में तैनात कार्मिकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 बनायी गयी हैं। जिसके अधीन कार्मिकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गयी हैं। सुरक्षा दल में सामान्य जाति के साथ–साथ अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्मिक भी तैनात हैं। नियमावली में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रक्षक व मुख्य रक्षक में उप निरीक्षक के पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के कार्मिकों की पदोन्नति न होने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। शासन द्वारा माह फरवरी, 2011 में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर पदोन्नति हेतु अर्ह कार्मिकों का चयन कर लिया गया है, परन्तु अभी तक चयन समिति द्वारा चयनित कार्मिकों को पदोन्नति आदेश जारी न होने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यदि

नोट–[xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन द्वारा जारी नियमावली के अधीन पदोन्नति हो जाती तो अब तक वे कार्मिक द्वितीय पदोन्नति के पात्र हो गये होते। नियमावली होने के उपरान्त अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के कार्मिकों की पदोन्नति में जानबूझकर विलम्ब व उनके शोषण करने की दृष्टि से चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप पदोन्नति नहीं की जा रही है। जिससे इस वर्ग में कार्मिकों का मानसिक शोषण हो रहा है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें व्यवधान डालने वाले अधिकारी के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं कार्मिकों के पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने की मांग करता हूँ। इस अति लोक महत्व के प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोकते हुए चर्चा कराये जाने की भी मांग करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के ग्राम साधूनगर से सिडकुल को जोड़ने हेतु कैलाश नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह–

मान्यवर, नानकमत्ता के ग्राम साधूनगर से सिडकुल को जोड़ने हेतु कैलाश नदी पर पुल निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही हैं। साधूनगर क्षेत्र से सिडकुल को जोडने हेतु पुल न होने के कारण ग्रामीण काफी परेशानी में हैं। इस पुल के बन जाने के कारण क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

ऋषिकेश में एक और महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, ऋषिकेश में एक मात्र महाविद्यालय है, जिसमें हजारों छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं, किन्तु गत वर्ष इस महाविद्यालय को स्वायत्तशासी (ऑटोनोमस) घोषित किया गया, जिसके नियम/कानून के अनुसार अनेकों छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। फलतः उन्हें पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे ऋषिकेश व आस–पास क्षेत्र की जनता में भारी निराशा एवं रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर समस्त कार्यवाही रोककर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के मजखाली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में राजकीय महाविद्यालय की मांग जनता द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। मजखाली से अन्य राजकीय महाविद्यालय 20 से 35 कि0मी0 की दूरी पर हैं। जिसके कारण गरीब परिवारों के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण निर्धन परिवार के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जनता की मांग को देखते हुए मजखाली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।

इस अति अवलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूँ कि मजखाली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाये।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत शिमला बाईपास से 18 कि0मी0 सिगलीनाला से 35 कि0मी0 धर्मावाला रोड के नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सहदेव सिंह पुंडीर–

मान्यवर, जनपद देहरादून के विकास नगर तहसील के अन्तर्गत शिमला बाईपास से 18 कि0मी0 सिगलीनाला से 35 किलोमीटर धर्मावाला रोड की हालत काफी जर्जर है। इसका आई0आई0टी रूड़की से सर्वे भी करा लिया गया है। महोदय, इसके नव निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि सहसपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बड़े–बड़े ट्राले व ट्रक का आवागमन होता है, जिस कारण एन0एच0–72 पर प्रेमनगर में कई–कई घंटों तक जाम लग जाता है, जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं इस अति गम्भीर लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे कि अभी–अभी माननीय मयूख सिंह जी, जोकि बड़े सीनियर सदस्य हैं और थोड़ी उत्तेजना में उन्होंने अपने प्रश्न को न लिये जाने के सम्बन्ध में यहां सदन में कहा कि मैं तीन दिन से लगा रहा हूँ, लेकिन [XXX] मान्यवर, यह सीधे–सीधे पीठ की ओर इशारा है, निश्चित रूप से उनका गुस्सा कदाचित सरकार से हो सकता है कि सरकार उनका प्रश्न लेना नहीं चाह रही है, लेकिन उत्तेजना में जो वे कह कर गये हैं, निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और इस सदन के लिए ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूँ

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इस पर कहीं न कहीं आपकी यह व्यवस्था आ जाय कि इसे आज की कार्यवाही से किस तरह से हटाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से यदि पीठ की ओर कोई आक्षेप होगा तो निश्चित रूप से यह जो सदन की जो कार्यवाही है, वह आगे किस तरह से संचालित होगी, यह बहुत ही गम्भीर और दुर्भाग्यपूर्ण इस सदन के लिए और हम सबके लिए है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य मयूख सिंह जी ने, अगर यह कहा है कि तीन दिन से मैं लगातार सूचना लगा रहा हूँ। [XXX] तो इस अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

आज नियम 310 के अन्तर्गत........(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य हरबन्स कपूर जी का नाम भी लिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य हरबन्स कपूर जी की सूचना स्वीकार नहीं की गयी है। आज 07 सूचनाएं स्वीकार की गयी थीं, सातों सूचनाएं बोल दी गयी हैं।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट) –

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा रिवाज भी है, आज अंतिम दिन भी है तो जितने भी माननीय सदस्यों की सूचनाएं आयी हैं.....(व्यवधान)

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय, अध्यक्ष जी, मेरी नियम 300 की सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पढ़ी हुई मानी जाय।

प्रदेश में नन्दा देवी राजजात यात्रा 2013 के आयोजन हेतु बजट के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखूरी–

[मान्यवर, जैसा कि आप भी अवगत हैं कि वर्ष 2013 में एशिया के हिमालयी क्षेत्रों की सबसे बड़ी सचल हिमालयी कुम्भ नन्दा देवी राजजात हिमालयी यात्रा का आयोजन

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जाना प्रस्तावित है। हिन्दू परम्परा के अनुसार यह यात्रा हर बारह वर्ष बाद आयोजित की जाती है, जो कि हिमालयी क्षेत्र में लगभग 280 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करते हुए 19 पड़ावों से गुजरते हुए समुद्र तल से 6000 फीट की ऊँचाई से 17500 फीट की ऊँचाई पर सम्पादित होती है। निःसंदेह यह यात्रा हिन्दू धर्म की मान्यताओं के आधार पर बहुत कठिन और जटिल है। सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी और बर्फीला है। इस यात्रा में हजारों देवी–देवताओं की छातौलियां/डोलियों के साथ लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं तथा 19 पड़ावों के साथ एक माह में यह यात्रा सम्पादित होती है। ऐसी विकट भौगोलिक परिस्थितियों में इस यात्रा के सफल सम्पादित करने के लिए श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे–चिकित्सा स्वास्थ्य, पैदल एवं मोटर मार्गों का निर्माण, रैन बसेरा, बिजली पानी की व्यवस्था आदि।

अतः इन तमाम व्यवस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब व्यवस्थित किये जाने हेतु बजट के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था की जानी आवश्यक है। अतः इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

*संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आज अंतिम दिन नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कोई बात नहीं सूचनाओं के लिए अंतिम दिन मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि अक्सर ऐसा होता है पीठ की बड़ी कृपा होती है कि जितनी भी सूचनाएं हैं पढ़ी हुई मान ली जायं और शासन का ध्यानाकर्षित किया जाय। सूचनाएं पढ़ने का इस समय प्रश्न नहीं होता है। समय बच जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

कल जो सूचनाएं आयेंगी, उनको देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है, कल सूचनाओं को रिपीट कर देंगे।

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी की है जो हरिद्वार में बाल कल्याण समिति द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा था, के सम्बन्ध में है। पूर्व में इस आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन

आई0सी0सी0डब्लू0, नयी दिल्ली द्वारा किया जा रहा था। प्रशिक्षण केन्द्र का स्टाफ 29 वर्षों से कार्य कर रहा था, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार की गयी थी, जिनका पूरा खर्चा भारत सरकार से आता है, लेकिन अचानक ही बाल कल्याण समिति द्वारा सभी प्रशिक्षित स्टाफ को निकाल दिया गया है। दूसरी सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल जी की है जो प्रदेश के जंगलों में भीषण आग से जंगल जल कर राख हो गये हैं के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला, श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल आदि सदस्यों ने दी है, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति, जिनका कार्यकाल दूसरे कार्य विस्तार का 08 अगस्त, 2012 को समाप्त हो रहा है, के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, श्री भीमलाल आर्य की टिहरी बांध परियोजना के कारण नई टिहरी से घनसाली, प्रतापनगर, जाखणीधार, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर व विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था के प्रतीक तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बूढ़ाकेदार को जाने वाले वाहनों को बेवजह 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री राजेश शुक्ला, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना आदि सदस्यों की, उत्तराखण्ड के एक मंत्री के पुत्र द्वारा ऊधमसिंह नगर में जगह–जगह पर जनता दरबार लगाये जा रहे हैं। जिसमें जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, के सम्बन्ध में है। कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री बिशन सिंह चुफाल जी की सूचना, जो प्रदेश के जंगलों में भीषण आग से जंगल जल कर राख हो गये हैं, के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना जो पंतनगर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है इन दो सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्य किया गया है। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 जून, 2012 की बैठक में दिनांक 07 जून, 2012 से दिनांक 08 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है–

जून, 2012

गुरूवार, 07 जून,

अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	16	श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

विधायी कार्य–

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 विचार एवं पारण। (30 मिनट)

शुक्रवार, 08 जून

अनुदान सं0	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-तदैव-
	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-तदैव-
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-तदैव-
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-

विधायी कार्य–

1– उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द, श्री दलीप सिंह रावत, श्री महावीर सिंह, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री अजय टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री माल चन्द, श्री भीमलाल आर्य तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री मदन कौशिक, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री भीमलाल आर्य तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय, अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है, भ्रष्ट अधिकारियों से सम्बन्धित मामला है।......।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के द्वितीय मंगलवार को तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, विधान सभा का जो द्वितीय सत्र चल रहा है, उसके द्वितीय मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर में, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में था, उसमें सरकार की ओर से उत्तर आया कि प्रमुख सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर भाषण में यह भी कहा गया कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रि–परिषद की एक समिति का गठन किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस चीज से भिज्ञ है कि इसी सदन में माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन आपकी सम्मानित पीठ द्वारा किया गया था और उस समिति में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य सम्मिलित थे और वह समिति कोई साधारण समिति नहीं थी, इस सदन के माननीय सदस्यों की समिति थी। मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की जो प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली है, उसके अध्याय–16 में समितियों के गठन के सम्बन्ध में विस्तार से व्याख्या दी गई है, इसमें सदन की समितियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि "प्रत्येक साधारण निर्वाचन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हों, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी।"

मान्यवर, जब कभी भी प्रदेश के अन्दर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और उस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाय, इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली में है और कदाचित भारत का संविधान के अनुच्छेद-105 में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि "इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।" और इसमें भी उसके सम्बन्ध में पूरा वर्णन दिया गया हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि वो जो समिति बनी थी, उस समिति ने अपनी संस्तुति, क्योंकि उसमें केवल एक पक्ष के सदस्य नहीं थे, उसमें सत्ता पक्ष भी थे, विपक्ष भी थे और जो अन्य दल हैं चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य सभी लोग उसमें सम्मिलित थे और उसकी संस्तुति इसी सम्मानित सदन में प्रस्तुत हो चुकी है। बावजूद इसके जब सरकार इस चीज से भिज्ञ थी कि एक उच्च स्तरीय समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हो गयी है, तब अधिकारियों की कमेटी बनाने का क्या औचित्य था ? क्या अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सदस्यों की कमेटी से ऊपर होगी ? अगर वो समिति को रिपोर्ट दे भी देती है, सरकार ने जो गठित की है तो सदन की जो कमेटी थी और अधिकारियों की जो समिति बनी है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होगा या उसको ज्यादा मान्यता मिलेगी। मान्यवर, निश्चित रूप से बहुत बड़ा औचित्य का सवाल बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि औचित्य के रूप में स्वीकार कर, इस पर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मदन कौशिक जी ने औचित्य का जो प्रश्न उठाया है वो सदन में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में औचित्य के प्रश्न की अध्याय-299 में स्पष्ट व्यवस्था है कि इस तरह के औचित्य के प्रश्न स्वीकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। (2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगाः परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।" इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं पढ़कर बताता हूँ इसमें स्पष्ट दिया गया है कि यदि सदन के सम्मुख विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली या संविधान के किसी अनुच्छेद का इस रूप में जब उसका पालन नहीं किया जा रहा हो उस पर कहीं न कहीं इस रूप में कि आज अगर विधान सभा में कमेटी बनी और रिपोर्ट आ गयी है तो अधिकारियों की कमेटी बनाने का औचित्य नहीं हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी, इसमें स्पष्ट है कि यह औचित्य के रूप में आता है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की जिन सूचनाओं को नियम–58 में परिवर्तित किया गया है, उन्हें लिया जाता है।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने नियम–58 के अन्तर्गत कार्य–स्थगन के रूप में स्वीकार किया है। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में जो सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं। ऊपरी गंगा नहर, इसमें से अनेक नहरें निकलती हैं, वो छोटी नहरें विभिन्न–विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सिंचाई के प्रमुख संसाधन के रूप में, किसान अपनी खेती को सिंचाई के रूप में नहरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में चूँकि ये सारी छोटी नहरों का अधिपत्य उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पास होने के बावजूद भी पिछले दिनों यह व्यवस्था रही है कि उत्तराखण्ड की सरकार ने समय–समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत करते हुए या फिर अपने संसाधनों से उन सब छोटी नहरों की पूरी सफाई व्यवस्था की है, उनमें इतना रेत आ जाता है, ताकि उस पानी से सिंचाई की जा सके। लेकिन इस वर्ष न तो उन छोटी नहरों से सिंचाई की गयी है, न तो इन छोटी नहरों की सफाई की गयी है, माननीय अध्यक्ष जी, न ही उन छोटी नहरों में इतना पानी है, क्योंकि पानी का पूरा कन्ट्रोल भी उत्तर प्रदेश के हाथों में है। न उनमें इतना पानी छोड़ा जा रहा है, उनमें कहीं न कहीं इतना पानी आ जाये कि जो किसान हैं वह उसमें से अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी ले सकें। आज वर्तमान स्थिति में पूरे जनपद का किसान इसको लेकर बहुत ही परेशान है और उस स्थिति में लगातार अनेक बार सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से भी वह मिले हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी मिले हैं, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हरिद्वार में रहते हैं उन सब से भी मिले हैं, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उन सबसे भी वार्ता हुई है। लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। यदि उन नहरों में पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं

छोड़ी गई, उनकी सफाई तत्काल नहीं कराई गई, निश्चित रूप से यह परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण जनपद का किसान अनेक बार आन्दोलन कर चुका है, जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव भी किया गया है, जनप्रतिनिधियों से भी वह लोग आकर मिले हैं। निश्चित रूप से यह बड़ा संवेदनशील मसला है, लोकहित का है, अविलम्बनीय है, तात्कालिक है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर आपसे इस पर चर्चा की माँग करता हूँ,

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री कौशिक जी ने हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत छोटी नहरों की सफाई एवं उनमें पानी की मात्रा कम छोड़ने विषयक बात को बताया, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने अब तक ऐसी बहुत सी नहरों, बहुत सी जमीनों पर विशेषकर हरिद्वार जनपद इससे प्रभावित रहा है। उस सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी यह विषय लगातार उठाया जाता रहा है। हर बार जब बातचीत हुई तो सचिवों की कमेटी यह निर्धारित करती रही है कि हम इसका शीघ्र निपटारा कर रहे हैं। इसमें उच्च स्तरीय चीफ सेक्रेट्री रैंक के लोग भी बैठें थे, उस समय बनाया गया। लेकिन अभी तक इसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वर्तमान निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने दो–तीन घंटे बातचीत की और सचिवों के मध्य बातचीत कराई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आगामी 6 माह के अन्दर इसका निपटारा कर देंगे। एक नहीं अनेक प्रकरण हैं जो उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बीच में हैं। हमें भरोसा है कि इसमें पुनः प्रयास किया जायेगा जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं, यह बिल्कुल सही बात है, इसमें पूरा प्रयास होगा। कम से कम जो तय हुआ था कि जिसके पास जो है वह रहे, उसी को मान लिया जाये। अभी तक सम्भवतः यह मोह उनका छूटा नहीं है, कौशिक जी क्या किया जाये, यह मोह उनका छूट नहीं रहा है। सफाई करवाने के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो अपनी सरकार की ओर से करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जंगलों की आग की लपेट में पूरे जंगल जल रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं हैं, जिस कारण जगलों में रहने वाले जंगली जानवर और पशु पक्षियों की मौत हो जा रही है। वन सम्पदा की इतनी हानि हो रही

है कि उसका आंकलन लगाना मुश्किल होगा। सरकार ने जिस प्रकार से बचाव के लिए जो योजना बना रखी है, जो सीजनल में आदमी रखे जाते हैं उनको ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए, जिन स्थानों पर आग लगने की ज्यादा सम्भावना हो, उन स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से उनको ऐसी ऊँचाई वाली जगह पर रखा जाता है, उनके पास दूरबीन भी है। वे दूरबीन से देखते हैं कि कहाँ आग लगी है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते जंगल राख हो जाता है। ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो सीजनल कर्मचारी हों उनको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहाँ से सम्भावना हो, गाँव के आस पास आग लगती है, तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जो सीजनल आदमी रखे जाते हैं, उनकी वहाँ पर ड्यूटी होनी चाहिए।

मान्यवर, सरकार के पास मोबाइल टीम होनी चाहिए। उस मोबाइल टीम से पृथक-पृथक सूचनायें एकत्रित की जा सकती हैं और गांव वालों से सम्पर्क किया जा सकता है और गाँव वालों का सहयोग भी पूर्णरूप से लिया जा सकता है। इस प्रकार उस आग पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा आग लगने से बहुत सारे जल स्रोत सूख गये हैं। उन स्रोतों में पानी बिल्कुल नहीं के बराबर है। इन जंगलों में जंगली जानवर पानी पीते हैं वह स्रोत सूख गये हैं तो जानवर पानी कहाँ से पीयेंगे। इन सभी घटनाओं का जिक्र आपने कल के अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर पढ़ा होगा। रामनगर और काशीपुर में बाघ के तीन बच्चे बिल्कुल जल गये थे। वहाँ पर आग थी तो जंगली जानवरों को भगाया गया। लेकिन जहाँ पर गाँव नहीं हैं और आदमी भी नहीं है उन क्षेत्रों के जानवरों को कौन भगायेगा। इस पर सरकार को योजना बनानी पड़ेगी कि कैसे जंगली जानवरों को बचाया जा सकता है और आग से जंगल को बचाया जाय। मैं इस पर सरकार से चाहता हूँ कि ठोस कदम उठाये। मान्यवर, यह विषय बहुत तत्कालिक एवं अविलम्बनीय है और इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सही है। इस समय प्रदेशभर में चल रहे भीषण सूखा, गर्मी, उच्च तापमान व सूखी धूल भरी आंधी के कारण प्रदेश का समस्त वन क्षेत्र वनाग्नि के प्रति अतिसंवेदनशील बना हुआ है। इन परिस्थितियों में आग की छोटी सी चिंगारी भी वनाग्नि का रूप धारण कर रही है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अधिकांश वनाग्नि दुर्घटनाएं मानव सृजित हैं। वनों को वनाग्नि से बचाने तथा उसके दुष्प्रभाव को कम करने हेतु वन विभाग द्वारा यथासंभव प्रयास जारी है, एक साथ कई स्थानों में वन अग्नि दुर्घटना घटित होने के कारण उपलब्ध संसाधन की सहायता से यथासमय वनाग्नि नियंत्रण का प्रयास वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही वनाग्नि की रोक थाम/नियंत्रण हेतु पूर्व से सजग होकर आवश्यक व्यवस्थायें की गयी हैं। मैंने इस पर पूर्व में भी बताया है कि वन प्रभागों में अग्नि नियंत्रण हेतु कुल 1151 क्रू-स्टेशन व

38 मास्टर कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। पानी बरसने से पूर्व यह मॉडल नगरों में जाकर भी किया। स्वयं मेरे क्षेत्र हल्द्वानी में भी किया है और यह मोबाइल गाड़ी चलेगी। मुझे ही मोबाइल गाड़ी को विदा करने का अवसर मिला था। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की ओर से समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों को राज्य में वनाग्नि दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 26–03–2011 को आदेश पत्र जारी किया गया है। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य जिला अन्तर्गत वनाग्नि दुर्घटना होने पर नियंत्रण में वांछित सहयोग दिया जाना है। मुख्य वन संरक्षक के स्तर से समस्त प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक/निदेशक तथा प्रभागीय वनाधिकारियों को वनों की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम निर्देश निर्गत किये गये हैं। वनों एवं वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त एवं दावाग्नि नियंत्रण हेतु फायर सीजन अवधि में वन क्षेत्राधिकारी तक के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जनपद का वन अग्नि नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जो प्रत्येक जनपद में वन अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा वन अग्नि नियंत्रण पर स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर वन अग्नि पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में उनका मार्ग दर्शन कर रहे हैं। वन क्षेत्रों में उपलब्ध चीड़ पिरूल को हटाये जाने के दृष्टिगत स्थानीय ग्रामीण रोजगार का सृजन किया जा रहा है। जो वनाग्नि नियंत्रण में मुख्य रूप से सहायक सिद्ध होगा।

दैनिक व स्थानीय समाचार पत्रों, टेलीविजन, अन्य जन–सम्पर्क साधन, नुक्कड़ नाटक इत्यादि से स्थानीय लोगों में वन अग्नि के कुप्रभाव तथा अग्नि की रोकथाम हेतु उनका सहयोग लेने विषयक विज्ञप्ति जारी कर उन्हें वनाग्नि नियंत्रण हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वन अग्नि दुर्घटना घटित होने पर ग्रामवासियों से तुरन्त सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थानीय वन अधिकारियों के मोबाईल नम्बर स्थानीय ग्रामीणों में प्रचालित किये गये हैं। ताकि वन अग्नि घटना की सूचना विभाग को तुरन्त प्राप्त हो सके। वन अग्नि की घटनाओं की सूचना प्राप्त करने तथा तदोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 108 सेवा का भी सहयोग लिया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त महिला मंगल दल, वन सुरक्षा समितियों, युवा मंगल दल, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर वनाधिकारियों द्वारा बैठकें व गोष्ठियां आयोजित करके इस ओर आम जनता को प्रेरित करने की कार्यवाही भी गतिमान है। वनाग्नि प्रबन्ध योजना, जो कि प्रत्येक वर्ष बनायी जाती है, में मुख्यतः फायर लाइनों की सफाई, नियंत्रित दाहन, नियमित फायर ड्रिल, बटियों की मरम्मत, फायर वाचर रखने का प्राविधान आदि कार्य जाते हैं। इसी के आधार पर वनाग्नि नियंत्रण कार्य किये जाते हैं। वनों में आग लगने पर वहाँ का पारिस्थितिकीय संतुलन

प्रभावित होता है। जिसके फलस्वरूप वन्य जीव वन अग्नि प्रभावित क्षेत्र से भाग कर सुरक्षित क्षेत्र की ओर रूख करते हैं और ऐसे में मानव वन्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वन विभाग के स्तर से वनाग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में उक्तानुसार अथक प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, मानव वन्य जीव संघर्ष को सीमित करने के लिए वन पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किये जाते हैं। ग्रामीणों को रात के समय सजग रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, आपने कहा था कि जल स्रोत सूख रहे हैं, तो उनको रीचार्ज करने के सम्बन्ध में वन विभाग ने भी निर्देश जारी किये हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मानतीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन एक जानकारी आपसे मैं लेना चाहता हूँ कि जो ग्राम वन पंचायत हैं, वहाँ पर आग लगती है तो उनको आग से बचाने के लिए सारे गाँव वाले चले जाते हैं, तो उन गाँव वालों को अलग से कोई पारितोषिक या कोई बजट दिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका सुझाव अच्छा है कि जो लोग दौड़कर इसकी सूचना दें या जंगलों को बचाने के लिए सहयोग करें उन्हें सम्मान या पारितोषिक जो शब्द आपने कहे उसको किया जाना अच्छा होगा। वन विभाग के लोग यहाँ पर हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसको नोट करे लें और इसको भी सम्मिलित कर लें अपने कार्य में।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इसको बहुत ही गम्भीरता से ले और भविष्य में कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर वनाग्नि पर काबू पाने का प्रयास करे और जो कार्ययोजनायें बनी हुई हैं उनको भी ठीक से लागू करें ताकि वनाग्नि पर हम काबू पा सकें।

मैं माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का सुअवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2010–2011 में उत्तराखण्ड पुलिस में 1450 सिपाहियों की भर्ती हुई और भर्ती के उपरान्त इन 1450 सिपाहियों की विभिन्न थानों में पोस्टिंग की गई और यही नहीं इनकी कुम्भ मेले जैसे महत्वपूर्ण मेले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी सेवायें ली गई और वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में भी इन 1450 सिपाहियों की सेवायें ली गई और इन 1450 सिपाहियों में से 150 सिपाहियों की अचानक सेवायें समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि इन्होंने 2–2 जनपदों से आवेदन किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 और 2007 में पुलिस की भर्ती हुई और इन भर्तियों में तमाम अभ्यर्थियों ने 2–2 जनपदों से आवेदन किया, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखण्ड के अन्दर लिखित परीक्षा प्रत्येक जनपद में नियत समय पर हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 150 सिपाही निकाले गये हैं, बर्खास्त किये गये हैं, इनके भविष्य का सवाल है। पुलिस महकमें में एक ही राज्य में दो–दो नीति लागू हो रही हैं क्या? वर्ष 2005 और वर्ष 2007 जब इस तरह की बात हुई, दो–दो जनपदों से आवेदन हुये, तो उस समय के समस्त पुलिस कर्मियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, यह जो 150 बर्खास्त सिपाही हैं ये विगत 12 दिनों से अपने अधिकार के लिए, अपनी इस न्यायोचित मांग के लिए विधान सभा के समक्ष धरने पर बैठे हुये हैं। मान्यवर, इन्होंने पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी और यही नहीं इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रखने का समय लिया है, लेकिन बड़ी विडम्बना का प्रश्न है इन लगभग 150 बर्खास्त सिपाही, जिनका भविष्य दांव पर लगा है। पुलिस प्रशासन ने इनके साथ घोर अन्याय किया है। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, यह इनके भविष्य का विषय है, इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि लोक महत्व के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई छोटा–मोटा मामला नहीं है, जो माननीय सदस्य ने उठाया है। पुलिस की भर्तियां हुई लगभग 1500, सारे लोगों का एप्वाईमेंट कर दिया गया, उनको नियुक्ति दे दी गयी और कुम्भ मेले में इनकी ड्यूटी भी लग गयी, इनको तनख्वाह भी दे दी गयी और जो चुनाव अभी–अभी हुए हैं, जिसमें हम चुनकर आये हैं उसमें इनकी ड्यूटी भी लग गयी है, इसमें विभाग ने यह कहा कि इन्होंने दो–दो जगह फार्म भर दिये थे। किसी ने अल्मोड़ा जिले में भरा तो किसी ने पौड़ी जिले में भरा, यह कहते हुए 150 लोगों को बाहर निकाल दिया। इनको तनख्वाह दे दी, इनसे ड्यूटी भी ले ली और सब कुछ कर दिया गया और अभी भी ऐसे लोग अंदर भी हैं, उनको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने दो–दो जगह पर परीक्षा दी। मान्यवर, इसमें किसी को कोई बहुत बड़ा प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बच्चों का मामला है, नौकरी देना आसान काम नहीं है। मान्यवर तकनीकी भूल किसी से हो गयी, यदि किसी ने दो जिलों में अपना नॉमिनेशन करा भी लिया और फार्म भी भर लिया तो इसमें

गलती क्या हुई, परीक्षा तो उसने एक ही जिले में दी है। मान्यवर, मैं ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र के भी बच्चे इसमें होंगे और हमारे क्षेत्र के बच्चे भी इसमें होंगे। जो भी है हमारे बच्चे हैं, पूरे उत्तराखण्ड के बच्चे हैं। इसलिए इसमें कुछ भी उत्तर माननीय मंत्री जी का आये, सरकार इसमें कुछ भी कहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि कुछ भी उत्तर विभाग दे रहा हो, लेकिन इनका दोष ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राईम किया हो, कोई क्राईम कहीं पर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जैसा भी उत्तर दे उसके बाद आपका विनिश्चिय आज इन बच्चों के हक में ही आना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संवेदनशीलता की दृष्टि से तो सम्मानित सदस्य और माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात बहुत सही है, लेकिन नियम की दृष्टि से जो लोग नियुक्तियां करते हैं वे बहुत ही स्पष्ट दृष्टि से करते हैं मान्यवर, बहुत साफ–साफ स्पष्ट लिखा था। पुलिस विभाग में कान्सटेबल पुलिस/पी0ए0सी0 एवं फायरमैन के 1500 पदों पर शासनादेश दिनांक 10–11–2010 के द्वारा भर्ती हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी, जिनके अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 22–11–2010 के द्वारा 1450 पदों पर विज्ञप्ति निर्गत की गई तथा 50 पद कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखे गये थे। विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थी को एक ही भर्ती केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक से अधिक भर्ती केन्द्र पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। भर्ती हेतु दिये गये आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित किया गया है कि उसने एक जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र पर आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। यदि आवेदन पत्र में अंकित तथ्य गलत/असत्य पाये जाते हैं तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, वह उसे भी मान्य होगी। ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी हैं तथा परिवीक्षा काल में कोई भी अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया था कि भविष्य में भी छानबीन के दौरान दो जनपदों से आवेदन पत्र भरे जाने के जो प्रकरण प्रकाश में आते हैं उनके सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में 38 रिट याचिकायें लगायी गई हैं, जिनमें से 27 रिट याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा खारिज कर दिया गया है तथा 11 रिट याचिकाएं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन हैं। 16 रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णय के विरूद्ध

स्पेशल अपील योजित की गई हैं जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। सम्प्रति प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इसमें अभी कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जितने लोग शेष हैं, जो 700 लोग और हैं, वे बाहर आ जाएंगे, बहुत बड़ा अहित हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, कृपया बैठिए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है और उस ग्राम सभा के अन्तर्गत बापू ग्राम, सुमन नगर, शिवाजी नगर, गीतानगर, मंशा देवी, मालवीय नगर ऐसे अनेकों मजरे आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 1952 में महात्मा गाँधी जी की शिष्या मीराबेन ने बापूग्राम को बसाया था और तब से लेकर अब तक वहाँ सरकार के द्वारा स्कूल, सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि वहाँ लगभग 25 हजार लोग आज रहते हैं, वहाँ राजस्व ग्राम की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा बार–बार की जा रही है, अनेकों बार आन्दोलन किये गये, प्रदर्शन किये गये, चक्का जाम तक की नौबत आयी है लेकिन इस ओर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण उस क्षेत्र की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और उसके फलस्वरूप उन लोगों को यदि अपना व्यवसाय करना हो तो न उनको लोन मिल पाएगा और न इस प्रकार की कोई सुविधा उनको मिल पा रही है। इसके कारण जनता में बहुत रोष भी व्याप्त है और उनको भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेकों बार मेरे द्वारा भी और क्षेत्र के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हों, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, अनेकों जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार सरकार को इस बारे में जिलाधिकारी के माध्यम से अवगत भी कराया गया है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में घोषणा भी की थी कि उसको राजस्व ग्राम घोषित किया

जाएगा और अनेकों बार कहने के बाद भी अभी तक इसको राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है। मेरा इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह है, विनती है कि विस्फोटक स्थिति उस क्षेत्र में न बन पाए, क्योंकि यह मामला कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला या किसी एक क्षेत्र का मामला नहीं है, यह बहुत गम्भीर विषय उस क्षेत्र के लिए है। बड़ा लोकमहत्व का विषय है, यह अविलम्बनीय विषय है इसलिए मैं सारी कार्यवाही रोककर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ठोस और प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, दो लाईन में उत्तर बता दूँ या पूरा बताऊँ ?

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

मान्यवर, जैसी आपकी इच्छा हो।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, दो लाईन में तो यह है कि सही है कि जहाँ राजस्व ग्राम की मांग है, उनकी कठिनाईयाँ हम लोग समझते हैं। उनकी कठिनाईयाँ हैं क्योंकि उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता है। परन्तु इस विषय पर लम्बी चौड़ी बात के साथ इसका सारांश जानने की मैंने कोशिश की कि क्यों नहीं हुआ राजस्व ग्राम, तो पता चला कि अभी तक वांछित प्रस्ताव राजस्व विभाग से वन विभाग को नहीं मिला है, उसका प्रयास किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो और भी महत्वपूर्ण है। वन विभाग की तरफ से जानकारी आयी है कि राजस्व विभाग से जब यह प्रस्ताव प्राप्त होंगे तभी हम आगे कार्यवाही कर पाएंगे। तो इसकी अभी प्रारम्भिक स्थिति ही प्रारम्भ नहीं हुई। जब प्रस्ताव जाएगा राजस्व विभाग की ओर से तभी वन विभाग इस पर विचार करेगा। मैंने यह सारांश बता दिया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जो जानकारी है राजस्व विभाग की तरफ से वन विभाग के पास प्रस्ताव गया हुआ है। अनेकों बार वन विभाग के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में मेरी स्वयं वार्ता हुई है। उन लोगों ने सिर्फ यही कहा कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, इसमें रास्ता निकाल रहे हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया यदि ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं दुबारा दिखाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, बहुत ही कठिनाई वाला विषय है, उस क्षेत्र के लिए और वास्तव में वहाँ के लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार 10-10 जगह क्षेत्र का घेराव किया है, आन्दोलन किया है। बहुत भयंकर स्थिति वहाँ की है। आप देखिए कि 1952 से लगातार एक जगह पर लोग रह रहे हैं, अभी तक उनको मालिकाना

हक आप नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए यदि उनको कोई व्यवसाय करना पड़ जाए क्योंकि आज सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अपना व्यवसाय करना चाहें और लोन के लिए रजिस्ट्री रखना चाहें तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में मेरा विशेष आग्रह आपके माध्यम से है कि इसके लिए विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता है वरना यह विषय तो हर बार ऐसे ही आएगा। माननीय मंत्री जी, मेरा अनुरोध है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य एक प्रयास कर लें, इसमें लिखा गया है कि "अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग एक माह के अन्दर बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के माध्यम से नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करें।" इसमें जो लिखा गया है, वह मैंने आपको बता दिया है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, यह कब भेजा गया ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसकी सूचना तो इसमें नहीं है, लेकिन बैठक 26–05–2009 को हुई। इसमें लिखा है कि " दिनांक 26–05–2009 को अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में इस बाबत बैठक हुई और उक्त विषय पर बैठक में गहन चर्चा हुई। बैठक में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त द्वारा अपर मुख्य सचिव व आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया गया कि बापू ग्राम का प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाना उचित होगा, जिस पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग एक माह के अन्दर बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के माध्यम से नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे"

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी एक छोटी सी विनती है कि तीन साल से यह मामला अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत आपने मेरी सूचना को स्वीकार करते हुये मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में पानी का जल स्तर घट रहा है और हमारे प्रदेश में भी यह संकट है, चाहे वह सिंचाई से सम्बन्धित हो या पीने के पानी से सम्बन्धित हो, चारों ओर पानी की त्राहि–त्राहि है और इसके लिये प्रतिदिन धरने और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में मालढुंग जलाशय का निर्माण होना अति आवश्यक है। क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में पांच–सात गांव ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है और पीने का पानी भी स्रोत के जरिये आता है, लेकिन गर्मियों में वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है, आज की परिस्थिति यह है कि वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। मान्यवर, यदि हम इस मालढुंग जलाशय का निर्माण करवा दें तो क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर कर सकते है, क्योंकि वहां पर पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और पानी वेस्ट हो रहा है, तो जलाशय निर्माण के साथ–साथ वहां पर सिंचाई की योजना भी बना दें तो गांव वालों को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं। इसलिये इस तात्कालिक और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

*राजस्व एवं सिचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सहदेव सिंह पुण्डीर जी की सूचना के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाक में पेयजल एवं सिंचाई हेतु स्वारना नदी पर डूंगा नहर के शीर्ष के समीप संकरी घाटी में 40–50 मीटर ऊँचा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। बांध का निर्माण होने से वर्षा ऋतु में उपलब्ध जल को जलाशय में एकत्र कर वर्ष भर सिंचाई, पेयजल इत्यादि हेतु उपयोग में लाया जायेगा। प्रस्तावित बांध के निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्यों के लिये 28.02 लाख का आगणन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण की स्वीकृति होने के उपरान्त परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, यदि परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयोगी पाई जाती है, तो इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सहदेव सिंह पुण्डीर एवं माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की मेरी सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया है। मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय, जो श्रद्धेय पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त जी के प्रयासों से तराई में स्थित हुआ और इसने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, पशु चिकित्सा विज्ञान, टैक्नोलॉजी, होम साइंस, कृषि प्रबंधन और तमाम अन्य विषयों में उसने अपनी एक ख्याति बनाई। और पूरे एशिया में एक स्थान बनाया और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान वैज्ञानिक नार्मन ई0 बोरलॉग ने इस विश्व विद्यालय को हरित क्रांति की जननी बताया। आज यह हमारे लिए गौरव है और हमारे उत्तराखण्ड की थाती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार की उदासीनता के कारण उस विश्वविद्यालय की दुर्गति हो रही है। पिछले एक वर्ष से वहां कुलपति नहीं है। एक अस्थायी कुलपति से काम चलाया जा रहा है। चूँकि उनकी सेवा का द्वितीय विस्तार है, यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार उनको अगला विस्तार मिल नहीं सकता है और जो सेवा विस्तार मिला है उसमें तय है कि नये कुलपति की नियुक्ति तक ही उन्हें कार्य करना है। इसलिए अनिश्चितता की स्थिति में वह यूनिवर्सिटी के कार्यों का सही संचालन नहीं कर रहे हैं। बल्कि प्रबन्ध परिषद् की धज्जियां उड़ाते हुए वो सरासर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अभी हाल ही में 08 तारीख को उन्होंने डायरेक्टर रिसर्च से लेकर डीन एग्रीकल्चर, डीन होम साईंस, डीन फिशरीज समेत तमाम महत्वपूर्ण पद हैं, जिनसे यूनिवर्सिटी संचालित होती है, उन पर उन्होंने अनकाम्पीटेंट लोगों को चयन की प्रक्रिया को ठीक से पूरा किये बगैर अनकाम्पीटेंट लोगों को उन्होंने वहां पर भर लिया, उसमें लिफाफे खुलने के समय, मैं स्वयं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मैं प्रबन्ध परिषद् का सदस्य हूँ, हम सबने वहां पर आपत्ति की। सचिव वहां पर थे, सबने आपत्ति की और कहा इसका परीक्षण करायें आप, लेकिन वो वहां थे भी नहीं और उनकी अनुपस्थिति में 09 पदों पर जो विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर नियुक्ति दे दी गयी और फिर ज्वाईन करा दिया गया।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब भी शासन से जानना चाहा गया है, गलत जवाब मिलते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कृषि सचिव के जवाब में कहा गया है। 28 मार्च को मुझे जवाब देते हुए कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा कोई पैनेल अस्वीकृत नहीं किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि 28 मार्च को जवाब मुझे दिया गया है, सदन के माध्यम से और जवाब में कृषि सचिव कहते हैं कि विश्वविद्यालय के चयन के लिए जो पैनल तैयार किया गया है, कुलपति के चयन के लिए वो पैनल गवर्नर

ने अस्वीकृत नहीं किया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदया ने इस पैनल को अस्वीकृत कर दिया था। और आज एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बयान है कि उनके चयन की कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक महीना कुल रह गया, डेढ़ महीना उनके कार्यकाल में, अभी तक पैनल तैयार हुआ नहीं। पिछला पैनल अस्वीकृत है, कैसे आप उनके चयन की प्रक्रिया कर रहे हैं, कैसे 08 तारीख तक कर पायेंगे। मुझे लगता है कि पूरा नहीं हो पायेगा और उनकी यह साजिश है वाईस चांसलर की, वो अपने स्थान पर अपने किसी चहेते को कार्यवाहक कुलपति बनाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि जो इस बीच नियुक्तियां उनके द्वारा की गयी हैं, उन नियुक्तियों का परीक्षण करा कर उनको स्थगित करायें और जितना जल्दी सम्भव हो सके पंतनगर विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति दें ताकि विश्व की जो महान धरोहर हमारे पास है ये विश्वविद्यालय, इसकी गरिमा को बचाया जा सके, इसके अस्तित्व को बचाया जा सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय हमारी प्रतिष्ठा का संस्थान है। इसके बनने से तराई क्षेत्र में और पूरे देश में और यहां तक कि पूरे विश्व में इसके बीज जाते हैं और पूरे तराई क्षेत्र में कृषि शोध और कृषि के मामले में बड़ी तरक्की हुई है। मान्यवर, यह सही है यह मेरे पास का निकटस्थ विश्वविद्यालय है और उसमें बहुत लम्बे समय तक मैं प्रबन्ध समिति की सदस्य रही हूँ, लम्बे समय तक जुड़ी रही। 10–12 वर्ष कहूँ तो कम नहीं होगा और अब भी आये दिन वहां के कर्मचारी आते रहते हैं। ये प्रश्न भी लगातार मेरे सामने आया कि वहां पंतनगर में वाईस चांसलर का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यदि वाईस चांसलर स्थायी रूप से न हो तो हो सकता है कि नियुक्ति आदि में इस तरह का जो प्रश्न उठाया माननीय राजेश शुक्ला जी ने, ऐसी परिस्थिति पैदा हो। मैंने इस सम्बन्ध में जो बातचीत की तो मुझे बताया गया कि अतिशीघ्र इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। प्रक्रिया थोड़ी लम्बी होती है क्योंकि मुझे अवसर मिला, वाईस चांसलर की नियुक्ति में मुझे भी बैठने का अवसर मिला है।

मान्यवर, इसको अति शीघ्र कराया जायेगा और यदि उनके समय में कोई अनियमितता प्रकाश में आयेगी तो आने वाले कुलपति से और अन्य ढंग से उसका निस्तारण किया जायेगा।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैंने इसमें उन आठ पदों का जिक्र किया है, जिसमें डाक्टर रिसर्च, डीन एग्रीकल्चर।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप और हम मिलकर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं 3:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगो पर चर्चा एवं मतदान:–

अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

*शिक्षा पेयजल एवं कृषि मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 28536743 हजार (दो हजार आठ सौ तिरपन करोड़ सड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। शिक्षा, जो कि हमारे देश और प्रदेश की सभ्यताओं को चलाने के लिए सर्वप्रथम मानी जाती है। इस समय शिक्षा के बजट के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, इस समय जो हमारे बेसिक शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए और इसको एक नया रूप देने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई योजना चलायी जा रही है। बेसिक स्कूल में शिक्षा, हमारे ग्रामीण अंचल एवं शहरी क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने हेतु ठीक नहीं है। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस समय शिक्षा विभाग के माध्यम से बेसिक शिक्षा को मुख्य रूप से केन्द्रित कर योजना का रूप तैयार किया गया है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर पूरे प्रदेश में एक मांग आयी है कि सारे विद्यालय खाली हैं और वहाँ अध्यापक नहीं हैं। इस स्तर पर विद्यालयों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यापकों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान के तहत विभाग की तरफ से जो प्रमोशन के पद रूके हुए थे उनमें डी0पी0सी0 बुलाई गयी और जो सीधी भर्ती के पद हैं उनमें भर्ती की प्रक्रिया जारी की गयी है और आने वाले निकट भविष्य में शिक्षा विभाग में एक नयी पहल के तहत जितने भी विद्यालय हैं, चाहे बेसिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों वहां पर प्रधानाचार्यों से ले करके और सहायक अध्यापकों तक सारे पद सरकार की तरफ से भरे जायेंगे यह सदन को विश्वास दिलाते हैं। तीसरी बात मुख्य रूप से खेल के सवाल पर है। मान्यवर, खेल में इस समय हमारे प्रदेश से बहुत सारे ऐसे छात्र–छात्रायें हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए अलग–अलग हमारे विभाग के माध्यम से प्रोत्साहन करने के लिए अलग से योजना तैयार की गयी है और उस योजना के तहत पूरे प्रदेश में जो इस स्तर पर पूरे खेल के क्षेत्र में और विद्यालयों में जो रीजनल रैली होती है या जो स्टेट रैली होती है या नेशनल रैली होती है, उन पर जो छात्र–छात्रायें अच्छे पदक प्राप्त करते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है।

तीसरी बात, मुख्य रूप से युवा कल्याण के सवाल पर जो हमारा प्रान्तीय रक्षक दल है, मान्यवर, इसमें यह बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर प्रान्तीय रक्षक दल की आवश्यकता पड़ती हैं। इनको जो वेतन दिया जाता है वह बहुत कम है। उसको भी बढ़ाने की सरकार की मंशा है। इससे पूरे प्रदेश में बेरोजगारों को भी एक रास्ता मिलेगा। मान्यवर, युवा कल्याण की तरफ से हमारा यह बजट प्रस्तुत है। उसी तरीके से विद्यालयी शिक्षा और यहां पर जो अन्य मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। हम यह कहना चाहेंगे, संस्कृत शिक्षा जो हमारा सौभाग्य है और अच्छे काम के लिए हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारे प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन के सवाल पर जो द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इसके लिए मैं पूर्ववर्ती सरकार को भी बधाई देता हूँ। मान्यवर, संस्कृत एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारी संस्कृति जिन्दा रहती है, तो संस्कृत शिक्षा के सवाल के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें कि हमारी संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और संस्कृत भाषा का जो भविष्य है जो वह एक तरह से क्षीणता की स्थिति में था, उसका संवारने का काम सरकार पूर्णरूप से कर रही है।

मान्यवर, इस बात की जानकारी देते हुये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट शिक्षा के सवाल पर आया है, उस बजट में हमारे प्रदेश में शिक्षा के स्तर को अच्छा बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। यहाँ तक भी व्यवस्था की गई है कि हमारे बेसिक से ले करके माध्यमिक तक अगर कोई पी0पी0पी0 मोड में भी कोई अच्छा काम करना चाहता है, कोई आना चाहता है तो उसको शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, यह हमारी सरकार की मंशा है।

मान्यवर, तीसरी बात मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कर्मचारियों के वेतन की जो विसंगतियाँ हैं, हमारे यहाँ जो विभागीय स्तर पर जो दुनिया भर की दिक्कतें थी उसके समाधान करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है, इसमें धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। मान्यवर, यह सदन को बताते हुये मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि शिक्षा के आमूल-चूल स्तर को बढ़ाने के लिए और जो कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से आपका खेल, युवा कल्याण, संस्कृति और शिक्षा के सवाल पर कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। इस बजट को पेश करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है। मान्यवर, आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए आपको धन्यवाद।

*श्री तीरथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं कल्याण तथा संस्कृति के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, संस्कृत के बजट पर बोले। मान्यवर, शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है और यदि मैं कहूँ तो उत्तराखण्ड पहले यदि कहीं जाना जाता था तो शिक्षा ही एक इसकी पहचान थी। मान्यवर, पूरे देश का छात्र, नौजवान मसूरी, देहरादून, नैनीताल में अध्ययन करने के लिए प्रारम्भ से यहाँ आता रहा है, लेकिन जब उत्तराखण्ड बना तो मैं सोचता हूँ कि उत्तराखण्ड की अपनी एक अलग पहचान बनाई जिसमें साक्षरता में भी हमने अग्रणी भूमिका अदा की है, शुरू में केरल था और आज हम पहले नम्बर पर हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने कहा कि जिस पहचान से हम लोग जाने जाते थे शिक्षा और जिसके लिए लोग दिन-रात अपने नौजवान को पढ़ाने के लिए, मैं सोचता हूँ कि अपने घर-बार छोड़ करके देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, मसूरी की ओर चल पड़ते हैं, इस ओर कभी हमारा ध्यान गया कि आज हम उस बेसिक शिक्षा को भी ठीक करें। हम लोग केवल प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट विद्यालय की ओर भाग रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो मैं सोचता हूँ कि जो मुख्य कारण है बेसिक शिक्षा का ठीक न होना। आज यदि हम कहीं जाते भी हैं। तो देखने को मिलता है कि 2 अध्यापक और 2 छात्र हैं, तो अध्यापकों को भी पढ़ाने में मजा नहीं आता है, क्योंकि जब छात्रों की संख्या नहीं होगी तो क्या पढ़ायेगा, तो यह हालत बेसिक शिक्षा की है।

मैंने देखा कि जो दूर-दराज के विद्यालय हैं, माननीय मंत्री श्री प्रीतम सिंह जी बैठे हैं। चकराता में अध्यापकों की स्थिति क्या है। अध्यापक देने के बाद भी विद्यालय खाली पड़े रहते हैं, विद्यालयों में ताले पड़े रहते हैं क्या इस ओर कभी ध्यान दिया गया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या कभी उन शिक्षकों की ओर किसी ने ध्यान दिया जो अध्यापन कार्य में ध्यान न देकर दूसरी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन विद्यालयों में अध्यापक नहीं जाते हैं उस ओर हमें ध्यान देना होगा। मान्यवर, हमने प्रारम्भ में ही राज्य स्थापना के समय में ही अन्तरिम गवर्नमेंट में शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु बनाये थे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना की थी। हमें विश्वास था कि हमारे विद्यालय खुले रहेंगे और कम से कम हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करेंगे और यह उन्होंने अनुभव किया। मेरा कहने का अर्थ है कि वास्तव में आज बेसिक शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। मान्यवर, पावो ब्लाक के अंदर एक सिवांल गांव है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी लगाया था, शायद वह किन्हीं कारणों से आ नहीं पाया। मैंने स्वयं इस गांव को देखा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

मान्यवर, कौन से ब्लाक का गांव बताया है ?

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, पावो ब्लाक के अन्तर्गत सिवांल गांव हैं पिनानी गांव के बगल में है। शायद पिनानी गांव का नाम सुनकर याद आ जायेगा, यह पूर्व मुख्यमंत्री के गांव के पास है। मान्यवर, सिवांल गांव में 61 छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं और वो एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था पर चल रहा है, जोकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

*श्री सुबोध उनियाल-

मान्यवर, क्या माननीय "निशंक जी" का गांव है ?

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, माननीय "निशंक जी" का गांव नहीं है, उनके गांव के बगल वाला गांव है। माननीय सुबोध जी, आप चिंता न करें। बहुगुणा जी का गांव भी बता दूंगा। मैं आपको सब भौगोलिक स्थिति को बता दूंगा। आप चिंता न करें। मान्यवर, मेरा कहना है गांव किसी का भी हो व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

मान्यवर, मैं आपको इस सूचना के लिए धन्यवाद देता हूँ। (व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, आप व्यवधान न करें माननीय मंत्री जी नोट कर रहे हैं। मैं यह प्रश्न इसलिए आपके संज्ञान में लाया कि जो शिक्षा मित्र की व्यवस्था थी वह भी अच्छी थी। मान्यवर, यह तो मैंने एक उदाहरण दिया ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय लगेगा। मान्यवर, यदि मैं माध्यमिक विद्यालय की बात करूं तो उनकी स्थिति भी बड़ी जर्जर है। पिछली से पिछली गवर्नमेंट में बिना मानकों के विद्यालयों का उच्चीकरण कर दिया गया, मानक धराशायी, न छात्र संख्या देखी, न भवन देखे, इन विद्यालयों का भी राजनीतिकरण कर दिया गया और जो मानकों को न देखते हुए उच्चीकरण किया, हुआ यह कि जहां पर विद्यालय चल रहे थे अध्यापक पूरे थे, उन विद्यालयों से अध्यापक उठ कर के हायर सेकंड्री और सेकंड्री से, उन विद्यालयों में जिनका उच्चीकरण किया गया, उन विद्यालयों में वहीं से अध्यापक दे दिया, तो जिन विद्यालयों में अध्यापक थे, उन विद्यालयों में अध्यापकों की सीट खाली कर दी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं उसके बाद की बात भी कर रहा हूँ सुबोध जी, आप सुनने का माद्दा तो रखिए। (व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया ?

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, गलत आरोप है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उनियाल जी, आप बीच में बिल्कुल भी न बोलिये, जब आपका विषय आयेगा तब बोलिये।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, पिछली गवर्नमेंट में अध्यापक दिये गये। (व्यवधान) यह जो अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को ठीक किया गया। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कुछ इस प्रकार की अव्यवस्था बनी हुई है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। विद्यालय बड़ी जर्जर हालत में हैं। एक सतमोली खाल इण्टर कॉलेज है, उसकी आज हालत देखिए। जनता के द्वारा बनाया गया कॉलेज था, उच्चीकरण बाद में हुआ होगा लेकिन वहाँ आज स्थिति यह है कि वह छात्र–छात्राओं के लिए खतरा बना हुआ है। कभी भी वह बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है, गिर सकती है। ऐसी स्थिति वहाँ की है। यही नहीं और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, एक पुलासू हाईस्कूल है। मैं देखकर आया, वहाँ दीवार में दरार है, छत टपक रही है। कभी भी वह बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती हैं ऐसी स्थिति राजकीय विद्यालयों की है।

मेरा कहना है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 प्राईमरी के लिए भी हम लोगों ने चलाया था। विद्यालयों में अध्यापक हों और अध्ययन ठीक से हो, उसके लिए टी0ई0टी0 की व्यवस्था की गयी थी। यह व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ करने की बात आयी थी। पिछली गवर्नमेंट में एक व्यवस्था थी, विशिष्ट बी0टी0सी0 की, पूर्व से जो चली आ रही थी, जिससे कि विद्यालय खाली न रहें। पठन-पाठन ठीक चले, इसके लिए 15 दिसम्बर, 2011 को विज्ञप्ति जारी हुई, दुर्भाग्य से कुछ बी0टी0सी0 वाले इस पर स्टे ले आए, लेकिन फिर 8 मई को यह स्टे समाप्त हुआ और 26 मई को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ हुई इसी सरकार की बात कर रहा हूँ। इसी सरकार में 26 मई को प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, विज्ञप्ति जारी होती है लेकिन दुर्भाग्य से 4 जून को यह नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। (व्यवधान) आज छात्र दर-दर भटक रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार बी0एड0 धारक हमारे सामने खड़ा है। इस व्यवस्था को शुरू करने से एक तो विद्यालयों में अध्यापक मिलेंगे, अध्यापन कार्य ठीक चलेगा, दूसरा रोजगार भी मिलेगा। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा। मान्यवर, खेल की बात आपने की है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री तीरथ सिंह-

मान्यवर, ठीक है। खेलों में यहाँ की प्रतिभा किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इन प्रतिभाओं को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा भी है। मेरा कहना है कि हर जगह ब्लॉक हैडक्वार्टर पर स्टेडियम बनने चाहिए। एक तो इसकी व्यवस्था हो, जिससे कि वहाँ के प्रतिभागियों को सुविधा हो क्योंकि आज पहाड़ों की स्थिति ठीक नहीं है। उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाय। अच्छा पारितोषिक देने के लिए आपने कहा है। वहीं युवा कल्याण की बात आयी तो आपने कह ही दिया वास्तव में रक्षक दल का वेतन बहुत ही कम है। मैं सोचता हूँ कि उसमें आजीविका नहीं चल सकती है, जो उनका वेतन आज है, 6 हजार या 7 हजार। इससे मैं सोचता हूँ कि देहरादून जैसी जगह में कहाँ कमरा मिलेगा, कैसे खाना-पीना होगा, कैसे परिवार चलाएगा, उसमें पूरा नहीं हो सकता। उनका वेतन बढ़ना चाहिए। आज पुलिस बल का अभाव है और मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जगह-जगह चौराहों में रक्षक दल के जवान ही मिलते हैं। उसको वेतन ठीक से मिले तो उसकी जरूरतें पूरी हों।

वहीं संस्कृत को पिछली सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था और संस्कृत भाषा मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक पहचान थी, उसको इससे काफी प्रोत्साहन मिला और विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने वाले पहले से दो हजार-तीन हजार का मानदेय लेकर पढ़ाते थे, तो उनकी रोजी-रोटी कैसे चलती, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि

पहले प्रांतीय रक्षक दल की भी यह हालत थी। लेकिन संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के बाद उसका अलग से निदेशालय भी हमारी सरकार ने बनवाया था, जिसके लिये माननीय मंत्री जी द्वारा पूर्व सरकार को धन्यवाद भी दिया गया। मेरा यह कहना है कि जो पिछली सरकार ने किया है, आप अब उस काम को आगे बढ़ायें, जैसे अभी उस विभाग में निदेशक नहीं हैं, उनकी नियुक्ति के अलावा जो भी इस विभाग को और अच्छा बनाने के लिये हो सकता है, उस काम को आप करें। मान्यवर, जिस बच्चे के उचित पठन–पाठन के लिये माँ–बाप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, इसलिये बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों की हालत भी सुधरे, हम लोग पब्लिक स्कूलों के पीछे न भागें। जैसे कल जनरल जोशी जी की बात आई थी तो वह भी शायद ग्रामीण स्कूल से ही पढ़े थे, इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के लोगों ने कई जगहों पर अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लेकिन आज यह कैसा समय आ गया है कि सभी लोग देहरादून, मसूरी और नैनीताल के प्राइवेट स्कूलों की ओर दौड़ पड़ रहे हैं। आखिर हम भी ऐसे विद्यालय क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इसके लिये हमें सोच–विचार एवं ध्यान करना पड़ेगा। शिक्षकों का वेतनमान तो अब ठीक हो गया है, लेकिन उसके साथ ही विद्यालय का ढांचा भी ठीक कराया जाय। मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक मुख्यालय में एक आवासीय विद्यालय खोला जाय, क्योंकि आप दो–दो अध्यापकों पर 80–80 हजार रूपया खर्चा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, समाप्त करें।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, यदि हर ब्लाक मे एक आवासीय विद्यालय हो जाय तो शायद और अच्छी व्यवस्था हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, इस पर तो आधा घण्टा दिया ही जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं माननीय तीरथ सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये कुछ महत्वपूर्ण विषय माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मान्यवर, वास्तव में आज हमारे प्रदेश में शिक्षा खेल बनकर रह गई है, तो युवाओं का कल्याण हो पाना सम्भव नहीं है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति के लिये प्रमोशन कर रहे हैं, नई नियुक्तियां कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है और मैं मंत्री जी को उसके लिये धन्यवाद भी दे रहा हूँ। लेकिन मान्यवर, यह

एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो अध्यापक हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चे हमारे विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यापक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं अध्यापक नहीं हूँ, यदि मैं अध्यापक होता तो मेरे बच्चे मेरे विद्यालय में ही पढ़ते। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ही अध्यापक हैं और हमारे ही बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक चिन्ता की बात है, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इस विषय पर भी जरूर सोचें। कम से कम जिन नये अध्यापकों की नियुक्ति हमारे विद्यालयों में हो रही है, उनके बच्चे तो पढ़ें। यदि हमारे बच्चे वहां पढ़ रहें होंगे तो हमारी पीड़ा होगी और हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिन्ता करेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खेल के बारे में कहा कि जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिये अलग से योजना बनाई जा रही है और नेशनल और स्टेट लेबल पर जो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, उनके प्रोत्साहन की वह योजना बना रहे हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है, लेकिन आज तक पर्वतीय क्षेत्रों में खेल को बढ़ाने के लिये न तो कार्य हुआ है, न माननीय मंत्री जी के बजट में इसका कोई प्रावधान है। मान्यवर, हमारे यहां जो खिलाड़ी हैं, उनके पास बहुत अधिक क्षमता है, यदि हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर लें, हो सकता है कि हमारे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पायें, क्योंकि बैट बहुत महंगे मिलते हैं, हो सकता है कि वह शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पायें, क्योंकि पिस्टल बहुत महंगी होती हैं, लेकिन यदि हम एथलेटिक्स और खास तौर पर दौड़ की ओर ध्यान दें और छोटे स्टेडियम और ट्रेक बना दें तथा वहां पर कोचिंग की व्यवस्था कर दें, जिससे उनको यह पता चल पाये कि 300, 400 और 500 मीटर की दौड़ का समय क्या होता है, तो बहुत कम समय में हमारे बच्चे पूरे देश में हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। इसको मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ

मान्यवर, प्रान्तीय रक्षक दल की बात की है। पी0आर0डी0 के जवान बहुत सारा काम करते हैं। कहीं भी दिक्कत की बात होती है, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। साल में दो या तीन महीने का उनको रोजगार मिल पाता है। हमारे रक्षक दल के लोग जब अलग-अलग जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी चिंता आपके नीतिगत कार्य में हो ताकि वो पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को कर पायें। उन्हें पता होता है कि उन्हें दो महीने का काम मिलने वाला है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मन से काम कर पायेगा। संस्कृत शिक्षा के लिए आपने कहा है, सरकार को जरूरत भी है। लेकिन जिन स्कूलों में संस्कृत की व्यवस्था की गयी है, वहां पर आज भी न तो भवन हैं, न ही कोई व्यवस्थाएं की गयी हैं। मुझे लगता है कि बजट में शायद इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसकी थोड़ी चिंता माननीय मंत्री जी कर लेंगें। पी0पी0पी0 मोड में आपने कहा है कि हम लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं आमंत्रित कर रहे हैं। पी0पी0पी0 मोड

का जो सेल है वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भी प्रस्ताव आप वहां पर भेजें, मुझे नहीं लगता कि वह बहुत आसानी से स्वीकृत हो पाता है। पी0पी0पी0 मोड का जो सेल है, वहां भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। कुल मिला कर जो चीजें मैंने कही हैं मुझे नहीं लगता कि बजट में उसकी कोई व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मुझे लगता है कि एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम 10 हजार रूपये पर मन्थ का खर्चा आता है। तो मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, जो जगह–जगह जहां 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद करके एक ऐसे स्थान पर रोड हेड पर स्कूल खोल दिये जाएं, गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाय ताकि 2–3 टीचर भी रहें और बच्चों की संख्या भी बढ़े, कम्पटीशन की भावना आयेगी तब जाकर बच्चे पढ़ पायेंगे। नहीं तो हमने देखा है माननीय अध्यक्ष जी, 3 बच्चे होते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तीरथ सिंह जी के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया था और इसके लिए मंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन जब से यह सरकार बनी है जो यहां विधान सभा में माननीय मंत्रियों की पट्टिका पर नीचे संस्कृत में भी लिखा हुआ था, उसको हटा दिया गया है। क्योंकि एक तो द्वितीय राजभाषा है और एक अच्छी बात भी थी इसमें पट्टिका लगी हुई थी, को हटाया गया है। मैं समझता हूँ कि आज ही माननीय मंत्री जी इसका आदेश भी करेंगे कि वह पट्टिका पुनः लगा दी जाय। दूसरा रमसा के जो विद्यालय हैं, उनका अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ है, जो अध्यापक उन विद्यालयों में जा रहे हैं, उसका भी ध्यान देंगे और माननीय अध्यक्ष जी, एक वास्तव में चिन्ता की बात है कि एक ही मंत्री ऐसे थे जो बेचारे बजट पास नहीं कर पायेंगे सदन के अंदर, भाई दिनेश जी, इसमें से कुछ पार्ट उनके हिस्से में आ रहा था, वो भी उन्होंने ले लिया। कैसे होगा माननीय अध्यक्ष जी, अकेले मंत्री हैं जो बिना बजट के रहेंगे। (व्यवधान)

खेल एवं नियोजन मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, ऐसा है मैं आभारी हूँ कि भाई कौशिक जी मेरी बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं। पर यह सब ज्वाइंट रिस्पांसबेलिटी की चीज है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक ही मंत्री बचे हैं जो नहीं कर पायेंगे, यह थोड़ा ठीक नहीं होगा। मान्यवर, तीसरा बिन्दु यह था, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उच्च शिक्षा की स्थिति है, उच्च शिक्षा की स्थिति में थोड़ा हमारे यहां 10–10 साल, 8–8 साल पहले प्रथम जो सरकार बनी थी, उसमें कुछ विद्यालय खोले गये थे। (व्यवधान) वह इसी में आयेगी शायद। (व्यवधान) पहले इसी में आता था।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह आपका कसूर नहीं है। पहले आप आबकारी में थे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संस्कृत में पहले हम लोगों ने जो भर्ती शुरू की थी, उसमें कुछ पद सृजित होने थे, उसमें जो माध्यमिक के बराबर थे, उनका शासनादेश भी हो गया था, लेकिन बाद में वो किसी कारण से रूके हुए हैं। कुछ विद्यालयों की तनख्वाहें रूकी हुई हैं, पिछले 6–6 महीने की नहीं गयी हैं। 2–4 चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और एक ऐसी नीति निश्चित रूप से बननी चाहिए जैसा कि अभी माननीय जीना जी ने कहा, आदरणीय रावत जी ने भी कहा कि एक बच्चे में 20 हजार से ज्यादा खर्चा आता है। यदि एक ऐसी कोई नीति हम लोग बनायें। मैं समझता हूँ कि जो दक्षिण के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें इस तरह का कहीं न कहीं भाव गया है कि वहां जो शिक्षा का प्रतिशत है, वह लगभग 90 प्रतिशत के लगभग पहुँचा है। आज भी हम कहीं न कहीं 15–16 वें स्थान पर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से जो कटौती का प्रस्ताव हमारे आदरणीय रावत जी ने रखा उस पर बल देने के लिए खड़ा हूँ और बल देता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय जीना जी, माननीय कौशिक जी आपके जो सुझाव कटौती के प्रस्ताव पर आये उन सुझावों के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिये। जो सुझाव दिये गये उनमें कुछ सुझाव पहले ही बजट में प्राविधानित हैं, जो आपने इसमें विचार रखे लेकिन मैं संस्कृत के सवाल पर कहना चाहता हूँ जो हमारे जीना जी ने कहा कि यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था का सवाल है, इस पर सरकार पूर्ण रूप से

गम्भीर है। ये जो पी0पी0पी0 मोड का सवाल है, इस आधार पर हम इसको व्यवस्थित करेंगे। माननीय मदन कौशिक जी ने जो सवाल किया संस्कृत शिक्षा के ऊपर जो हमारे यहाँ पूर्व में संस्कृत में नेम प्लेट लगी थी उसे हम पूर्व की स्थिति में लायेंगे। क्योंकि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इस पर सरकार पूर्ण रूप से मनन करेगी। माननीय तीरथ सिंह जी ने जो पावो ब्लाक के सिवांल गाँव की बात की है और गिरासू हाईस्कूल की बात की इसकी हम तहकीकात करके और वहाँ पर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, पिछले बार रमसा के अन्तर्गत हाईस्कूल, इण्टर तक विद्यालय पूरे प्रदेश के अन्दर खुले हैं, लेकिन वहाँ पर पद सृजित नहीं हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के माध्यम से रमसा के तहत विद्यालय पूरे प्रदेश में खुले हैं। हम मानते हैं कि वहाँ पर अध्यापकों की कमी है, लेकिन उनके पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है। रमसा में टोटल 190 विद्यालय पूरे प्रदेश में खुले हैं। पदों के सृजन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जायेगी और विद्यालय में अध्यापक भेजे जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जो हमने बातें रखी हैं, उन पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके लिए बजट में प्राविधान हैं। तो मिनी स्टेडियम बनाने का, स्कूलों के लिए गाड़ी की व्यवस्था का बजट में प्राविधान है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो आपने स्टेडियम की बात रखी उसके लिए प्राविधान हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, प्रान्तीय रक्षक दल में पूरे साल का प्राविधान है। आपके बजट में पूरे साल रोजगार देने का प्राविधान है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी

मान्यवर, वो तो चुनाव के मैनीफेस्टो में है सरकार के। प्रान्तीय रक्षक दल अलग विंग है और शिक्षा अलग विंग है। जिस तरीके से काम की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से उनको बुलाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, माननीय रावत जी, माननीय मदन कौशिक जी क्या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और बजट का विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, क्या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और बजट का विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 28536743 हजार (दो हजार आठ सौ तिरपन करोड़ सड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

पशुपालन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 6905510 हजार (छः सौ नब्बे करोड़ पचपन लाख दस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2012 तक कुल 30454 आबाद बस्तियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी, अवशेष 1901 असेवित एवं 6825 आंशिक सेवित बस्तियों को वर्ष 2012 तक पूर्ण सेवित किये जाने का लक्ष्य था लेकिन सकल क्षेत्र में समरूप नीति सिद्धान्त लागू होने के फलस्वरूप अवशेष बस्तियों को 2020 तक पूर्ण सेवित किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2012–13 में पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु रू0 429.29 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत केन्द्र पोषित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राविधानित राज्यांश भी सम्मिलित है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना है। पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख रखाव हेतु रूपये 10.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से राज्य के प्रमुख नगरों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं मसूरी में पेयजल, सीवरेज एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मलिन बस्तियों में निवासरत व्यक्तियों को आवास, सड़क, सीवरेज आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में दो योजनायें बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर एवं इंटीग्रेटेड हाऊसिंग स्लम डेवलमेंट प्रोग्राम योजनाएं संचालित हैं। बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में आवासीय योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा इंटीग्रेटेड हाऊसिंग स्लम डेवलमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 18 नगर निकायों में 21 आवासीय परियोजनाएं संचालित हैं।

मान्यवर, राजीव आवास योजना मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं विकास की उपरोक्त योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की जा रही है। जिससे मलिन बस्तियों के निवासियों को बेहतर सुख–सुविधायुक्त आवास एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान होंगी, वहीं शहर भी विकास के एक नये चरण में प्रवेश करेंगे। मान्यवर, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में सीवरेज एवं पेयजल की परियोजनाएं संचालित हैं तथा द्वितीय चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रूड़की, हल्द्वानी तथा रामनगर शहरों में सीवरेज एवं पेयजल की योजना संचालित की जानी प्रस्तावित हैं।

मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा भी नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, सी0सी0 मार्ग, नाली, ड्रेनेज आदि के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। मान्यवर, केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत संचालित

स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने ही परिवेश में रोजगार प्राप्त करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी उत्थान योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5000 शहरी युवक एवं युवतियों को उक्त योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, नगर निकायों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना प्रारम्भ करना, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना लागू की गई है। वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 की सहायता से आगामी चरणों में 28 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना लागू की जानी प्रस्तावित है। मान्यवर, शहरों में निवासरत् आवासहीन व्यक्तियों, तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को रात्रि आश्रय उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रैन बसेरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अतः पूरे सदन से अनुरोध है कि राज्य के जलापूर्ति, शहरी विकास एवं आवास विभाग हेतु मा0 सदन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तुत आय-व्ययक रू0 6905510 हजार पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये। कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, पेयजल बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पेयजल की आज भारी कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गाँधी पेयजल मिशन के तहत जो पूर्ण योजना थी आज उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, उन योजनाओं पर पानी नहीं चल रहा है और आधे तो बिल्कुल बन्द हैं और जिन पर कोई कार्य नहीं किया गया उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मान्यवर, यह जो बजट है इस बजट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे होगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता है वह कैसे पूरी की जायेगी, यह इस बजट में नहीं दिखाया गया है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में आज गम्भीर पेयजल संकट है, कहीं-कहीं पर पेयजल पम्पिंग योजना बनाई गई हैं उनकी स्थिति भी बहुत खराब है, वहाँ वह खराब पड़ी हुई हैं, कई जगह पर मोटर जली हुई हैं, वहाँ की पेयजल लाईन पूरी सड़-गल गई हैं, क्योंकि बीसों साल पुरानी वे लाईनें बिछी हुई हैं, तो इसके लिए भी बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है कि किस तरह से हम आने वाले वर्षों में पेयजल की व्यवस्था करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी।

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में तो कुछ ट्यूबवेल लगाये गये हैं, पेयजल व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण जो ट्यूबवेल हैं वे कम पड़े रहे हैं, जगह–जगह देखने में आता है कि जो पेयजल लाईनें हैं वे खराब पड़ी हैं, पानी बह रहा है और लोगों को, जनता को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है, इसके लिए भी बजट में माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं कि इस तरह की जो व्यवस्था है उनको कैसे ठीक करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे और जो सबसे अहम विषय है कि जो हमारी प्रारिम्भक पेयजल की व्यवस्था थी आज उस पर विचार करना होगा कि हम किस तरह से अपने प्रारम्भिक स्रोतों के माध्यम से जनता को पेयजल सुविधा दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आज वे सूखे हुए हैं, बार–बार प्रश्न आता है कि चाल–खाल बनाया जाय लेकिन इसका एक बार निरीक्षण करवाया जाय। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि जितनी भी चाल–खाल बनायी गयी हैं, यदि इनकी संख्या बतायी जाय तो यह हजारों लाखों में होगी, लेकिन जो चाल–खाल बनाये गये हैं, क्या उनका लाभ वास्तविक हमारे पेयजल के संवर्द्धन में हुआ है, इसकी जांच करायी जानी चाहिए कि किस तरह से वे चाल–खाल बनाये जा रहे हैं। यह सभी विभागों द्वारा बनायी जा रही हैं, जो जल से सम्बन्धित हैं, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आ पायी है कि जो हमारे जल स्रोत हैं उनका संवर्द्धन हो गया हो। मान्यवर, यहां पर जितनी भी ग्रेविटी की लाईनें हैं वे सब सूखी पड़ी हैं और उन पर पानी नहीं चल रहा है। पम्पिंग योजनाएं सफल नहीं हैं। मान्यवर, हमारे यहां भैरव गढ़ी पम्पिंग योजना है, जिसको लगभग 10 वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी भी उसका कार्य अधूरा है और इससे जो गांव लाभान्वित होने थे, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। जब तक पानी आयेगा तो उसमें कमी हो जायेगी और इसको बनाने का जो मूल्य है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। मान्यवर, सरकार को पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नई योजना बनानी चाहिए थी। हमारे यहां छोटी–छोटी नदियां हैं, गदेरे हैं उन पर झील बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए था, इसे अवश्य बनाया जाना चाहिए था, इसके लिए बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हम झील बनाकर लोगों को पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। चूंकि, जो गदेरे हैं वे ऊंचे स्थानों में हैं और गांव नीचे स्थान पर हैं। हम छोटी–छोटी झील बनायें तो ग्रेविटि पाईप लाईन के द्वारा कम खर्च में हम जनता को पानी पहुंचा सकते हैं।

मान्यवर, पेयजल की दो व्यवस्थाएं हैं एक जल संस्थान है और एक जल निगम है। अब दोनों की व्यवस्थाएं अलग–अलग कर दी गयी हैं, क्योंकि पहले दोनों विभाग एक–दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते थे। जल संस्थान कहता था जल निगम ने यह बनायी है, इसलिए ठीक ढंग से पेयजल नहीं पहुँचाया जा रहा है, और जल संस्थान कहता था

कि जल निगम ने इसका निर्माण ठीक ढंग से नहीं किया है और इसलिए पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन अब दो अलग–अलग हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। जल निगम का कार्य निर्माण करना है और जल संस्थान का कार्य जल की आपूर्ति करना है। जल आपूर्ति के लिए जो विभागीय ढांचा है जल संस्थान के पास, वह पूर्ण नहीं है, उनके पास अवर अभियंता नहीं हैं, सहायक अभियंता नहीं हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी पम्पिंग योजनाएं हैं वहां पर जो पम्प चलाते हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, उनको 200 रू0 या 300 रू0 देते हैं और वे सारे दिन वहां पर बैठे रहते हैं, जब बिजली आती है वे उनको चलाते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या किसी का 200 या 300 रू0 में गुजारा हो सकता है। यदि हम इनकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे तो पेयजल की व्यवस्था चरमरा जायेगी। मान्यवर, इन्हें अच्छा वेतन मिलना चाहिए, उनको हमें ट्रेनिंग देनी होगी। वे किस तरह से हमारी पम्पिंग योजनाओं का ठीक ढंग से संचालन करें यह भी बताना होगा, यदि कहीं पर पम्प खराब हो गया तो उसे ठीक करना आना चाहिए। मान्यवर, यदि प्रदेश की पेयजल व्यवस्था ठीक करनी है तो इन बिन्दुओं पर विचार करना होगा।

मान्यवर, आज कल जैसे नैनीताल है, हरिद्वार है, देहरादून है, सीवर लाईन का पानी चल रहा है, लेकिन हम इसे यह नहीं देख रहे हैं कि आज से 8–10 वर्ष बाद स्थिति क्या होगी। हम जो पाईप बिछा रहे हैं उनकी गोलाई कम है, यदि अभी हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। मान्यवर, बहुत सी बातें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट विषय हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलने दीजिए। सरकार को चाहिए कि लम्बी योजनाएं बनाकर आगे के लिए किस तरह करें, इसको देखते हुए योजना बनाएं। जगह–जगह सड़कें खोद दी हैं। बरसात आने वाली है। लोगों को बहुत परेशानी होगी। मुझे लगता है कि यदि जल्दी से कोई काम नहीं होता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं होती हैं। मान्यवर, इसी तरह से जो हमारी नगर पालिकाएं और नगर परिषदें हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। हमारे जो छोटे–छोटे शहर हैं, उनकी आबादी बढ़ गयी है। वहाँ पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों का गठन होना चाहिए। जो हमारी पुरानी नगर पालिकाएं हैं, उनकी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। आज उनके कर्मचारियों को कई–कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है, जिससे नगर पालिकाओं की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। इस बजट में इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से इसको खर्च किया जाएगा, नई चीजों पर, नई योजनाओं पर, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। पेयजल का जो बजट यहाँ पर रखा गया है मैं उसके कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। वर्तमान में पहाड़ों की स्थिति पानी के बिना बहुत दयनीय है। केवल गर्मी के मौसम में ही पानी की बात कही जाती है और उस समय ही योजना बनाई जाती है कि पानी की समस्या से हम कैसे निजात दिलाएं। हमारे उत्तराखण्ड में विगत 10–15 सालों से हमारे जो हैण्डपम्प वगैरह हैं, वह 90 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रभावित हो गये हैं और उनमें वाटर लेबिल डाउन हो गया है। उसके लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है, जिससे पानी की पूर्ति करने में बहुत दिक्कत हो रही है। 20 साल, 30 साल पहले हमारी जो योजनाएं ग्रेविटी की बनी हैं, उनमें 50 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रभावित हो गयी हैं। वे कम जनसंख्या के आधार पर बनी थीं, आज जनसंख्या दो गुनी–तीन गुनी हो गयी है, इसलिए भी पानी का संकट है। उसके लिए भी बजट का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है।

जल संरक्षण की बात आती है, हमारे स्रोत सूख गये हैं, उनका वाटर लेबिल बिल्कुल डाउन हो गया है, उनके लिए भी बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे स्रोत हैं, मेरा अपना मानना है कि उनसे 50 मीटर ऊपर चट्टान बनाकर उसमें पेड़–पौधे लगाकर स्रोत को रिचार्ज किया जा सकता है। उसकी व्यवस्था इस बजट में नहीं है। यह बड़ा गम्भीर विषय है। आज चिन्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि पेयजल, कल के दिन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा लेकिन जल का संकट आ जाएगा। लगता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा, वह पानी के लिए होगा और पानी पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश की होने जा रही है। इसके लिए आज चिन्तन करने की आवश्यकता है और इसके लिए बजट में प्राविधान करने की आवश्यकता है।

बजट में जो अभी प्राविधान किया गया है, उससे पहाड़ में पानी की समस्या का निदान होने वाला नहीं है क्योंकि पूर्व की हमारी बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिनका पुनर्निर्माण होना है और कई जगहों पर नए हैण्डपम्प लगाने हैं। तमाम जगह पर जहाँ ग्रेविटी से पानी नहीं चढ़ता है, वहाँ लिफ्ट पम्पिंग योजनाएं बनानी हैं। यह बजट ऊँट के मुँह में जीरा है। इस बजट का मैं विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए जिसके द्वारा पहाड़ों में जितने भी स्रोत हैं, उनकी जाँच पड़ताल की जाय। उन स्रोतों को कैसे जिन्दा रखा जाय इस पर विचार किया जाय और उसमें भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए इस बजट का विरोध करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्र शेखर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट में बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैंने बजट को पढ़ा है, उसमें केवल आंकडे ही आंकड़े हैं और शब्दों की व्याख्या है और जनता के हित में कुछ भी नहीं है। पेयजल इन्सान के लिये एक अच्छी और बेहतर चीज है, इसके अलावा और कोई भी वस्तु नहीं है। क्षेत्र में, देहात में, ग्रामों में और शहरों में जो हैण्ड पम्प लगते हैं, सरकारी मशीनरी उसका कोई भी ध्यान नहीं रखती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वह उसे 60 से 65 फीट पर लगा देते हैं, इससे वहां की जनता बीमार हो जाती है। यह जीवन की सबसे बेहतर वस्तु है, लेकिन सरकार इसका कतई भी ध्यान नहीं रखती है। अधिकांश क्षेत्र में हैण्ड पम्प या नलकूप खराब हुये पड़े हैं, इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। मेरे क्षेत्र में सरकारी नल बिल्कुल भी नहीं हैं, सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारी बेलगाम हैं, कोई जनहित का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिये इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये मात्र दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला बिन्दु यह है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की जो योजनायें चल रही हैं, इस पर सुधार होने की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। बड़े–बड़े ठेकेदारों को काम दिया गया है और उन्होंने आगे सब सेटिंग कर दी है तथा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली बरसात में देहरादून में लोगों का चलना मुश्किल हो जायेगा। जिस प्रकार से सीवर लाईन बिछाई गई है, यदि उसकी गुणवत्ता देखी जाय तो वह कभी भी मानक पर खरी नहीं उतरेगी। साथ ही सड़कों के लिये विभाग ने आश्वस्त किया था कि तीन महीने के अन्दर यह बन जायेंगी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सड़कें वैसी की वैसी ही हैं, और आने वाले समय में इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि कृपा करके ए0डी0बी0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से जो पानी की लाईनें बिछाई जा रही हैं, जो सीवर की लाईनें बिछाई जा रही हैं, उनका प्रभावशाली ढंग से परीक्षण किया जाय और उसमें जो भी कमियां हैं, उनको दूर किया जाय। क्योंकि बरसात आने में मात्र 15–20 दिन बाकी हैं और अभी तक कोई भी लक्षण ऐसा नहीं दिखाई दिया है कि उसमें सुधार हो सकता है। इसी प्रकार से कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है, जब हम नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आते हैं तो सड़कों के दोनों ओर हरिद्वार का कूड़ा बिछा हुआ दिखाई देता है। यही स्थिति अन्य शहरों और कस्बों की भी है, यदि इसे तत्काल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनौती के रूप में नहीं लिया जायेगा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जायेगी। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जे०एन०एन०यू०आर०एम० की दो योजनायें हैं, एक नैनीताल की 33 करोड़ की है और एक हरिद्वार के ड्रेनेज की है। यह दोनों भारत सरकार में लम्बित थीं, कृपया इनके बारे में भी बता दें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्यों का, माननीय श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी का, माननीय श्री पूरन सिंह फर्त्याल जी का, माननीय श्री चन्द्र शेखर जी का, माननीय कपूर साहब का, माननीय कौशिक जी का कि आपने बहुत सारे ऐसे सुझाव हमें यहां पर दिये जो राज्य हित में हैं और बजट में इनका प्राविधान किया गया है और कुछ कमियों की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, निश्चित तौर से मैं उन पर आऊँगा। माननीय सदस्य ने कहा पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्दशा बहुत ज्यादा है। पेयजल लाईनें क्षतिग्रस्त हैं, हैंड पम्प खराब पड़े हैं, पूरी जो हमारी पेयजल लाईनें खराब पड़ी हुई हैं, इनके पुनर्गठन के लिए हमने बजट प्रस्तावित किया है। हैंड पम्प जिला योजना में प्रस्तावित होकर आते हैं, जिला योजना के माध्यम से लगाये जाते हैं और जो पम्पिंग योजनाओं का जिक्र यहां पर आया, उन पर कार्य गतिमान है और एक भैरवगढ़ी पम्पिंग योजना जोकि निर्माणाधीन है, उस पर कार्य चल रहा है। इसका जो स्टीमेट पहले था, पहले कम का स्टीमेट था और अब जो उसका स्टीमेट है, लागत है, आगणन उसका बढ़ गया है। निश्चित तौर पर उसका भी कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

खच्चरों से और टैंकरों से जहां पानी की कमी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में हो चुकी है, निर्देश दे दिये गये हैं कि टैंकरों से और खच्चरों से प्रत्येक जगह पेयजल ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिया जाय और वो करा भी रहे हैं। कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आ रही है कि नहीं हो रहा है। जल सम्बर्द्धन योजना का सुझाव आपने दिया। निश्चित तौर पर आज पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, पूरे राज्य के अंदर एक इस तरह का संकट आ गया है कि कई वर्षों से जो हमारे स्रोत हैं, वो सूखने के कगार पर हैं, या उनमें कमी आ गयी है। तो उनके लिए आपने सर्वे के लिए कहा तो पहले भी सर्वे किये गये हैं, सर्वे हो रहा है और पूरे प्रदेश में एक वृहद् सर्वे चल रहा है। उसके आधार पर जल सम्बर्द्धन की कार्यवाही स्रोतों के लिए कर दी जायेगी, यह आपको आश्वस्त कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने यहां पर कूड़ा निस्तारण के लिए कहा, निश्चित तौर पर यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है और इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ किया जाना बहुत जरूरी

है। हमने अपने बजट में भी प्राविधान किया है। हमने चार धाम यात्रा मार्गों पर कूड़ा निस्तारण के लिए कार्य योजना बना दी है, ए0डी0बी0 के माध्यम से हमने प्रस्तावित किया है और राज्य के अंदर कई नगरों में ए0डी0बी0 के माध्यम से आने वाले टाईम पर विभिन्न शहरों में कूड़ा निस्तारण के लिए कार्य कर रहे हैं। यह मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्बन्ध में आपने कुछ शिकायतें और सुझाव भी दिये हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जो कार्य यहां पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और ए0डी0बी0 के माध्यम से हो रहे हैं, वो तय समय पर नहीं हो रहे हैं और आप लोग इसको अन्यथा न लें। यह मेरे कार्यकाल से पूर्व से ही देरी चल रही है और मैंने प्रयास किया कि जब मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया निश्चित तौर पर समय–समय पर मैंने समीक्षा की, जैसा आपने सुझाव दिया कि इसमें समय–समय पर निरीक्षण होना चाहिए। मैंने समय–समय पर जो देरी हो रही थी, गुणवत्ता में जहां कमी की शिकायत आ रही थी, बैठकें करके अधिकारियों के साथ और निश्चित तौर पर कड़े फैसले भी कुछ लिये हैं, निर्णय भी लिये हैं कि समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हों और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाय।

मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जितना जल्दी सम्भव होगा इन कार्यों में बरसात से पहले जो पैचवर्क हैं, वो कम से कम पूरे हो जाएं। हम ब्रेकटॉप तो नहीं कर पाएंगे, मान्यवर, जहाँ सीवरेज खुदी पड़ी है उनको हम ढक देंगे ताकि कहीं अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे बंदोबस्त करेंगे। निश्चित रूप से हमारी हरिद्वार और नैनीताल की परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं अन्य जो परियोजनायें हमारी लम्बित होंगी उनके लिए भी प्रयास किया जायेगा, ये मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि माननीय सदन हमारे इस बजट से सहमत होंगे।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, वर्तमान में जो हैण्ड पम्प माननीय विधायकों के माध्यम से, उनकी स्वीकृति पर लगाये जाते थे। क्या राज्य सेक्टर से माननीय विधायकों को हैण्ड पम्प उपलब्ध करायेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, राज्य सेक्टर से और जिला सेक्टर से यह सम्भव नहीं हो पायेगा। मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि आप मेरे बजट से संतुष्ट होंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए माननीय सदस्या श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, माननीय सदस्य श्री पूरन सिंह फर्त्याल जी, माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी, माननीय सदस्य श्री हरबन्स कपूर जी, माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी, अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 6905510 हजार (छः सौ नब्बे करोड़ पचपन लाख दस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2918190 हजार (दो सौ इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा उत्तराखण्ड राज्य जिसमें कि 22 प्रतिशत की धनराशि कृषि घरेलू उत्पाद से होती है। वर्तमान में राज्य में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर 18.15 लाख मैट्रिक टन तथा तिलहन का उत्पादन 28 हजार मैट्रिक टन का है। राज्य फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तिलहन और दलहन के फसलों के उत्पादन में माँग के सापेक्ष भारी कमी है। महोदय, प्रदेश में कृषि की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मान्यवर, प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में है। सिंचाई के साधनों एवं भू–कटाव और छोटी–छोटी बिखरी जोतों के कारण कृषि का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए था। इस दृष्टि से सिंचाई की सीमितता के कारण और उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के उत्पादन में कमी आयी है। इसके कारण पर्वतीय स्तर पर कृषि के उत्पादन में दस से पन्द्रह कुन्तल के आस–पास है। मान्यवर, आज कृषि उत्पाद के सवाल पर प्रदेश में पलायन की सबसे ज्यादा समस्या है और गांव के गांव पलायन कर चुके हैं, जो वहां पर कृषि खेती थी और खेत–खलियान थे वह सब बंजर पड़े हैं।

उस दृष्टि से सरकार ने इस बजट के माध्यम से एक नई योजना बनायी है। सरकार उन ग्रामीण इलाकों में जहां पर खेत बंजर पड़े हुए हैं और वहां के कई लोग प्रवासीय हो चुके हैं कोई देहरादून, कोई बम्बई बस चुके हैं। मान्यवर, उन स्थानों पर वृक्ष खेती के माध्यम से वहां पर सरकार काम करना चाहती है। इसमें जड़ी-बूटी का उत्पादन और इसके लिए सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश में एक कार्य योजना तैयार की गयी है। जब पौधों की वृक्ष खेती की बात आयेगी तो पौधों के रोपण की आवश्यकता होगी। मान्यवर, इसके लिए जहां से पौधे उठाये जाते हैं और जब पौधा जड़ से उखाड़ा जाता है और उसे जिस स्थान पर पहुँचाया जाता है, मान लो हल्द्वानी है यहां से अगर कोई पौधा पिथौरागढ़ जा रहा है तो उसके लोडिंग और अनलोडिंग में पौधे की जड़ें टूटती हैं और जिस स्थान पर उसे लगाया जाना है, वहां पर जाते-जाते वहां खत्म की श्रेणी में आ जाता है।

मान्यवर, सरकार की तरफ से उस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनायी गई है कि पूरे प्रदेश स्तर पर एक साथ जो नर्सरी हैं वह उसी स्थान पर बनाई जायं ताकि वहीं पर पैदा हो और वहीं से उन गांव वालों को पौधे मिले। इस आधार पर किसानों को बहुत लाभ होगा और जो नर्सरी का काम करना चाहेंगे तो उन्हें इसमें एक रोजगार का माध्यम मिलेगा चाहे पर्वतीय क्षेत्र के हों या मैदानी क्षेत्र के हों। दूसरी बात यह है जो लोग जिस प्रकार के पौधों का रोपण चाहते हैं चाहे वे वानिकी के रूप में हों या जड़ी-बूटी के रूप में हो, उनको वहीं पर पौधे मिलेंगे और उन पौधों को जीवित रहने के लिए बल मिलेगा। इस योजना के तहत पूर्ण रूप से सरकार की कार्य योजना हेतु बजट का प्राविधान किया है। दूसरा कृषि को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों को पूरे प्रदेश में, इस समय जो किसान खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और जिनका बहुत ज्यादा खेती की तरफ शौक है। हमने उन किसानों की पूरे प्रदेश में गणना की है यानी एक सर्वे कराया है। मान्यवर, उन किसानों के नाम, टेलीफोन नम्बर, उनके गांव के पते लिये हैं और पूरा संकलन करके तथा उन प्रगतिशील किसानों को और जब पूरे प्रदेश की रिपोर्ट हमारे पास आयेगी तो जो हमारा पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर उनका भ्रमण कराया जायेगा और अखिल भारतीय स्तर पर उन प्रगतिशील किसानों का भ्रमण का कार्यक्रम इस बजट के माध्यम से रखा गया है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं पर खेतों का काम ज्यादा निर्भर रहता है। उस दृष्टि से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा बल दिया गया है। इसी प्रकार हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या काम करने में बहुत ज्यादा है।

मान्यवर, उस दृष्टि से मैदानी क्षेत्रों में जो गॉव के दूरदराज के इलाके हैं, उन इलाकों में जो महिलायें खेती का काम करती हैं उनको भी ऐसे भ्रमणों के माध्यम से ऐसी जानकारी देते हैं और किसान क्या चाहता है उसी के हिसाब से योजना बनाने के

कार्यक्रम के लिए सरकार की मंशा है, इस बजट में इसका प्राविधान है। दूसरी बात, जो मृदा परीक्षण है तो कभी–कभी होता है कि खेती में जब कोई चीज बोई जाती है तो पहले साल बहुत अच्छी मात्रा में होती है, दूसरे साल नहीं होती है और तीसरे साल बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो मृदा परीक्षण के माध्यम से हमने एक पूरा सर्वे, हमने एक पूरा कार्यक्रम पूरे स्टेट लेवल पर लॉंच करने का कार्यक्रम हमने बनाया, उसका प्राविधान भी इस बजट में किया गया है और इसके लिए सरकार ने चाहा है कि स्कूली विद्यालयों में भी परीक्षण का कार्यक्रम चला करके बच्चों के अन्दर कृषि के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बचपन से ही यदि वे खेती के ट्रैक पर काम करना चाहते हैं तो मृदा परीक्षण क्या होता है इसकी जानकारी भी विद्यालय के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से देने का प्राविधान है। इसमें विद्यालयों के एक लाख रूपये तक मृदा परीक्षण सम्बन्धित उपकरण सरकार की तरफ से दिये जायेंगे।

मान्यवर, यहाँ पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो केन्द्रीय स्तर पर धान और गेहूँ के उत्पादन के लिए तैयार किया गया है उसके माध्यम से भारत सरकार को 24 करोड़ रूपये की कार्य योजना भेजी गयी है, गेहूँ और धान की और अधिक उत्पादकता बढ़ाने के सवाल पर। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेण्ट एक योजना है जिसमें हमने तय किया कि 28 करोड़ की योजना बनायेंगे। माइक्रो मोड में हमने यह किया है कि इसमें सब चीजें होंगी, आपका पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन के अन्तर्गत एक कार्ययोजना 28 करोड़ की केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है, जिसके स्वीकृत होने की पूरी उम्मीद है। मान्यवर, तीसरी बात यह है कि किसान जो अच्छा काम करता है उसको हमने 3 केटेगिरी में रखा है जिसको हमने कम्पटीशन के हिसाब से रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे किसान जिन्होंने बहुत अच्छी चीज पैदा की है, खेती के मामले में, सब्जी उत्पादन के मामले में, फ्लोरीकल्चर में, एग्रीकल्चर में तो उसके लिए हमने एक योजना "किसान रत्न" जो राज्य स्तर पर है, जिसमें 50 हजार रूपया उस किसान को देने का प्राविधान है।

दूसरी बात "किसान भूषण" जो जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर जब कभी किसानों का मेला लगेगा उसमें जिसका उत्पाद सबसे अच्छा होगा, उसके हिसाब से जो किसान सर्वप्रथम श्रेणी में आयेंगे उनको जिला स्तर पर 25 हजार रूपये उन किसानों को दिये जायेंगे, यह योजना इस बजट में प्राविधानित है। मान्यवर, तीसरा है "किसान श्री" जो जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर नहीं बल्कि ब्लाक स्तर पर इस योजना को क्रियान्वयन करने की बात हम लोगों ने रखी है, ब्लाक स्तर पर जो किसान इस कम्पटीशन में आयेंगे, जो बहुत अच्छा उत्पाद करेंगे, बहुत ही अच्छा वहाँ पर फ्लोरीकल्चर, एग्रीकल्चर और जड़ी–बूटी के क्षेत्र में काम करेंगे तो उन किसानों को 10 हजार रूपये ब्लाक स्तर पर है, यह पहले से भी प्राविधानित थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपकी तरफ से यह सवाल आता है कि हमारी सरकार की योजना थी और उसको काट दिया गया है तो यह हमारी सरकार की मंशा नहीं है, तो उसी योजना को हमने और अच्छे स्तर पर क्रियान्वयन करने की बात रखी है, इसको हमने खत्म नहीं की है इसको कन्टीन्युअस में रखी है। मान्यवर, कृषि योजना के अन्तर्गत कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, कृषि शिक्षा एवं शोध इन विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए एक वर्कशॉप का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे उत्पाद हैं जैसे मंडुवा, सांवा है जिसको कोदा झंगोरा बोलते हैं, तो उन उत्पाद को बढ़ाने के क्रम में पर्वतीय क्षेत्र के 7 जनपदों में इसको चलाया जा रहा है, ताकि आज की इस इण्टरनेशनल मार्केट में हमारे इस कोदा झंगोरे का जो उत्पाद है और उससे जो हमारी निर्मित वस्तुयें हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो किसान का ध्यान उस तरफ केन्द्रित करने के लिए हमने पूरे प्रदेश में 7 जनपदों का चयन किया है। जिसके अन्तर्गत एक हे0 तक के लिए तीन हजार रू0 तक के कृषि निवेश उपलब्ध कराये जा रहे हैं और इस योजनान्तर्गत 13300 हे0 क्षेत्र में प्रदर्शनों का आयोजन पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किया जायेगा।

इंन्ट्रीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम में 800 लाख रू0 कुमायूँ मण्डल तथा गढ़वाल के लिए 361 लाख रू0 की धनराशि प्राविधानित है। मान्यवर, रासायनिक खाद से जो उत्पादित पदार्थ हैं उनके कारण कई तरह की बीमारियां हो रही हैं जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर आदि अन्य प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मान्यवर, पूरे विश्व का ध्यान इस समय जैविक उत्पाद की तरफ जा रहा है। मान्यवर, हमारा प्रदेश जैविक खेती के मामले में पूरे विश्व में सबसे अच्छा प्रदेश सिद्ध हो सकता है, इसके लिए हमने एक कार्य योजना बनायी है जिसके तहत हमने 70 हजार हे0 क्षेत्रफल में प्रमाणीकरण के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत हमने 480 लाख रू0 की व्यवस्था की है।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो दैवीय आपदाएं आती हैं, जिसके तहत पूरी फसल नष्ट हो जाती है, जानवर फसल को नुकसान करते हैं किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है इसके तहत फसल बीमा योजना 2002–2003 में जो पिछले से पिछली सरकार में इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया था और इस योजना में अभी तक दो लाख किसान फसल बीमा योजना से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम को हमने जारी रखा है, इसे बंद नहीं किया है, चूंकि आज पूरे प्रदेश में कृषि के सवाल पर लोग पूछते हैं कि नैथानी जी, हम कृषि तो करेंगे लेकिन तब तक तो सुअर आ रहा है, नील गाय आ जाती है, बंदर आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, इसी बात को मद्देनजर

रखते हुए जो किसान को नुकसान होता है। फसल बीमा योजना माननीय तिवारी जी के समय में बनायी गयी थी, उस योजना को हमने आज भी बनाये रखा है, इस हेतु पूरे बजट में हमने 600 लाख की व्यवस्था की है, ताकि उन किसानों को इसका लाभ मिल सके जिनकी फसल को नुकसान हुआ है।

मान्यवर, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, चूंकि कृषि में पूंजी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, यदि कृषि के क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ेगा तो कृषि में नये आयाम स्थापित नहीं हो पायेंगे। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसे हमने आच्छादित रखने का कार्य किया है। इसके तहत बैंकों के सहयोग से किसानों को इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित है, यह योजना टाईअप की गयी है, इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है। राज्य में कृषि की गति को और अधिक तेज बनाये रखने के लिए हमने तीन प्रकार की योजनाएं बनायी हैं। मान्यवर, जैसे पूरी खेती बंजर है। पहाड़ के गांवों में आप देखेंगे या मैदान में देखेंगे आज भी महिलाएं धूप में पांच–पांच या दस–दस किलोमीटर तक पैदल घास के लिए जाती हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार के माध्यम से हमने एक कार्य योजना तैयार की है, चारा उत्पादन को हमने चारा उद्योग का नाम दिया है।

मान्यवर, इस तरह से कृषि के क्षेत्र में हमने जो योजनाएं रखी हैं, उनका प्राविधान भी इस बजट में किया है। मान्यवर , चीनी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, चीनी का बजट भी इसमें सम्मिलित है। हमारे राज्य में 10 चीनी मिलें हैं। 4 सरकारी क्षेत्र की, 4 निजी क्षेत्र की और 2 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। इनके द्वारा पेराई सत्र 2011–12 में 364.07 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर कुल 33.14 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान की बात है तो गन्ना किसानों को देय गन्ना मूल्य 905.46 करोड़ रूपये के सापेक्ष अब तक 669.34 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है और 336.12 करोड़ अवशेष है, इसका भी शीघ्र भुगतान किया जाएगा। जहाँ तक हमारी चीनी की गुणवत्ता का सवाल है, हमारे प्रदेश में चीनी का एक दाना एम–30 है, जो पूरे देश में और कहीं नहीं बनता, वह हमारे प्रदेश में बनता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए कृषि और चीनी पर हमने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं सदन से चाहूँगा कि इस बजट को सर्वानुमति से पास करने की कृपा करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत मांगे गये 2918190 हजार रूपये के बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, एक तो विपक्ष पर जो बार–बार यह आरोप लगते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता है। आज 5 साल में मैं आपको भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि 5 साल में आपकी अध्यक्षता में बजट सत्र में पहली बार अच्छी तरह से कोई वार्तालाप हो रहा है। पिछली सरकार के दिनों में विपक्ष की तरफ से जितने बजट पेश हुए, इस तरह से उन पर कभी बहस हुई ही नहीं और न ही महत्वपूर्ण सुझाव आ पाए। इसके लिए इस सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष तथा विशेषकर आपको बधाई देना चाहता हूँ

जो नये सदस्य आते हैं, उनको कई बार बोलने का मौका नहीं मिलता था। जो अब दूसरी बार चुन कर आए हैं, उनको इसका आभास होगा कि कटौती क्या होती है कैसे होती है। कई लोग तो कटौती के प्रस्ताव के बारे में जानते भी नहीं होंगे। मान्यवर, जब हम भी पहले–पहले सदन में गये तो हम कहते थे कि घटाकर एक रूपया कर दिया जाय, यह क्यों होता होगा, फिर हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता होगा। अगर कटौती का प्रस्ताव हमारा पास हो जाता है, ट्रेजरी बेंच का बजट प्रस्ताव गिर जाता है, तो उस विभाग का पूरा का पूरा बजट लैप्स हो जाता है। वह विभाग बजट शून्य हो जाता है। इसका बहुत महत्व है। यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है। नैतिकता का दबाव रहता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो कई चीजें हम इस सदन के माध्यम से ही सीखते हैं। इसलिए आज मैंने बधाई दी कि 5 साल में पहली बार बजट पर चर्चा के समय सदन चल रहा है और जो ट्रेजरी बेंच बार–बार हम पर आरोप लगाती थी कि विपक्ष के लोग धपला करते हैं, बातें नहीं सुनते हैं, चलने नहीं देते हैं, सदन को। आज हालत खुद ही नजर आ रही है, आज कितने मंत्रीगण बैठे हैं। मंत्रीगण मुश्किल से तीन ही बैठे हैं, वैसे तीन ही पर्याप्त भी हैं। लेकिन जिस तरह का नजारा आज देखने में आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद हमारी आदतें खराब हो गई हैं, हमें यहां पर बैठने की आदत नहीं रही।

कई बातें यहां पर उठेंगी, कई सुझाव आयेंगे, सबकी कलेक्टिव रिस्पांसबिलिटी होती है। जब कैबिनेट में चर्चा होगी तो कहें कि हाँ, यह बात तो ठीक कही थी, क्योंकि कुछ चीजें ट्रेजरी बेंच नहीं कर सकती है, तो यह एक रिवाज होता है कि जो चीजें वह नहीं उठा सकते हैं, वह विपक्ष को बता देते हैं कि आप इस बात को उठाओगे तो सभी को फायदा हो जायेगा और यह सभी सदनों में होता है। तो सदन चलने के बहुत फायदे हैं इसलिये हमारा तो रूख बिल्कुल बरकरार है कि हम सदन चलायेंगे और हम निवेदन भी करेंगे कि कल से दो–तीन दिनों के लिये सदन को बढ़ा दिया जाय। ताकि और भी सीखने का अवसर सदस्यों को मिले, हमारी जो नियम 58, 310, 300 और 299 की सूचनायें हैं, वह कम आ पा रही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कल से बजट को दो–तीन दिन के लिए और बढ़ा दिया जाय।

मान्यवर, कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग है और माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा है तो मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूँ कि किसानों की हालत पूरे राष्ट्र में बहुत ज्यादा खराब है। चूंकि यहीं के बारे में बोलता लेकिन आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा तो आज तक आठ साल के मध्य में दो लाख से अधिक किसान इस देश के आत्महत्या कर चुके हैं। चूंकि आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें बोली थीं कि यह राष्ट्र की रीढ़ है तो वह हम भी जानते हैं, लेकिन मैंने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में केवल इतना बोलना चाहा है कि राष्ट्र के किसानों की हालत आज ठीक नहीं है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके किसानों की क्या हालत है, वह मैंने बता दिया है। माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा कि अभी तक 17 लाख 28 हजार मीट्रिक टन अनाज है और तिलहन में हमारी स्थिति खराब है। वास्तव में हमारी स्थिति खराब है, लेकिन इसको कैसे बढ़ाया जाय, इसे माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार और मन्त्री जी को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी हालत वर्ष 2016 में बहुत खराब होने वाली है, यह आंकड़े बताते हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह बताते हैं, कृषि विभाग के तजुर्बेकार अधिकारी बताते हैं कृषि कर्म में ज्यादा रूचि रखने वाले किसान बताते हैं। मान्यवर, इसके पीछे कारण है कि 24 हजार हेक्टेयर जमीन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में चली गई है। कृषि का जो आज रेशियो है, वह वर्ष 2016 तक बहुत कम हो जायेगा और उस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ जायेगी, इसलिये इस विषय में सरकार को आज से ही चिन्ता करना प्रारम्भ करना चाहिये।

मान्यवर, कृषि ठीक कैसे चलती है, बीज ठीक हो, खाद मिले, सिंचाई के लिये पानी मिले, बैंकों में ऋण समय पर मिले, ये तमाम चीजें कृषि कर्म में आती हैं और कृषि कार्य करने के लिये उत्प्रेरित करती हैं। लेकिन हमारे यहां का नजारा बहुत खराब है, मैं सिर्फ सिंचाई पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सिंचाई के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में तो भगवान की कृपा से अभी तक थोड़ा ठीक बना हुआ है, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, लेकिन वहां पर बिजली की गम्भीर समस्या है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है, हमारा मात्र 10 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है और शेष 90 प्रतिशत क्षेत्रफल असिंचित है। यह तो बड़ी अजीब बात है कि जब हमारा राज्य बना वर्ष 2000–01 के दौरान, पर्वतीय क्षेत्र में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल था, वह तीन लाख 45 हजार हेक्टेयर था मान्यवर, परन्तु जब राजस्व रिकार्ड देखे गये वर्ष 2009–10 में अभी 2011–12 का नहीं आया है अभी और घटेगा मान्यवर, राजस्व रिकार्ड के अनुसार अब 03 लाख 43 हजार ही शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल हमारे यहां पर है।

इसका मतलब हम घटे हैं सिंचाई में, तो कृषि कैसे बढ़ेगी हमारी, किसान कैसे सुरक्षित होंगे मान्यवर, यह विचारणीय प्रश्न है हमारे यहां जब घट गया तो लगभग–लगभग दो हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारा सिंचाई में घट गया है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये राजस्व विभाग के आंकड़े हैं। ये हालत आज कृषि की हो रही है। मैंने एक छोटी सी बात माननीय मंत्री जी के सामने लानी चाही, हालांकि यह सभी को चिंता करनी है, चाहे हम हों, चाहे आप हों, ये कैसे ठीक हो सकता है, चिंता का विषय है। गन्ना किसानों के विषय में मंत्री जी ने कहा उन पर 36 करोड़ रूपया चीनी मिलों का अभी तक बकाया है और देने के लिए कहीं से कहीं तक सोच नहीं रही है चाहे सदन में कुछ भी कह दें। माननीय मंत्री जी सदन में कुछ भी कहें किसानों के बारे में, आज कोई कट ऑफ डेट नहीं बता सकते हैं गन्ना किसानों के बारे में कि फलानी तारीख तक दे देंगे। 10 दिन में, 15 दिन में, 01 महीने में, 06 महीने में कह ही नहीं सकते हैं। यह हालत आज गन्ना किसानों की है। किसान जब सुरक्षित नहीं होगा मान्यवर, जो आर्थिक रीढ़ हम कहते हैं कृषि को, वो कैसे सुरक्षित होगी। ये एक विचारणीय प्रश्न है।

पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है भूमि कटाव। पिछले साल बहुत बड़ा डिजास्टर आया। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है उत्तराखण्ड का। कटाव इतना भयंकर था कि वो आज तक नहीं सम्भल पाये हैं। लोगों के आगे के आंगन टूट गये, मकान टूट गये, खेत बह गये और कटाव इतना तेज था कि खेतों के किनारे जो नदियां थीं छोटी या नाले थे, वो पूरा बहा कर ले गये। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊँ एक कुजगढ़ घाटी है, उसमें इतनी फल और सब्जी होती थी कि आसाम तक भेजते थे। इस बार वो बिल्कुल चौपट हो गयी है, रेता भर गया है उसमें। उसमें प्रपोजल भी मैंने दिया हुआ है बनाने के लिए। तो जो डिजास्टर आया था, कटाव भूमि संरक्षण विभाग, अब शायद उसका नाम जलागम रख दिया है या कुछ रख दिया है तो वो करेगा क्या। यह मेरी समझ में नहीं आता है। ये समस्या मैं समझता हूँ कि आपकी विधान सभा की भी होगी, प्रत्येक माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगणों के वहां की भी होगी। तो बजट तो दिया नहीं है।

भूमि कटाव होता है तो सब उनके ऊपर जाते हैं डंडा लेकर, कि चलिये भूमि कटाव हुआ है, सर्वेक्षण करिये, चलिये आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाईये, इनका आगणन बनवाईये। लेकिन बजट तो आप दे नहीं रहे हैं मान्यवर, जब एक पैसा आप उसमें नहीं रख रहे हैं इस विभाग में भूमि कटाव को रोकने के लिए तो फिर भूमि हमारी, एक तो कृषि कर्म की भूमि घट गयी हमारी। मैंने बताया था अभी करीब–करीब 24 हजार हेक्टेयर चली गयी औद्योगिकरण और शहरीकरण में और शेष भूमि आपकी भू कटाव में चली गयी। कृषि क्षेत्र बढ़ेगा कैसे, कृषक सुरक्षित कैसे रहेगा। उसकी जमीन तो चली गयी। जहां वो सब्जी उत्पादन करता था, फल सब्जी उगाता था, मंडुवा, धान झंगोरा, कोदा जो हमारे यहां की थी, उनको उगाता था, भट, गहत जो परम्परागत हमारे यहां की चीजें थी, उनको उगाता था। कहां गयी क्योंकि परम्परागत कृषि की ओर भी हमारे यहां ध्यान नहीं दिया गया चाहे कोई कुछ भी कह ले।

जैसे हमारी चकराता की राजमा है, मुनस्यारी की राजमा, हर्षिल की राजमा, उत्तरकाशी की राजमा, कई जगह की राजमा बड़ी फेमस है। जहां-जहां की जो चीजें होती हैं, उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि भूमि संरक्षण को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, उसका नाम आपने जलागम कर दिया है। अब मैं जलागम पर आता हूँ। इनका परीक्षण होना अति आवश्यक है मान्यवर, जलागम योजनाओं का, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब भी आप अपने अधिकारियों की बैठक लें, इसका परीक्षण करवायें, ये वैज्ञानिक तरीके से आज नहीं हो रहा है। इसको दे देते हम ग्राम सभाओं को, ग्राम सभाओं ने, मुझे कहना नहीं चाहिए, ग्राम सभाओं में रोजगार का जरिया बन गया है। इसका होना क्या चाहिए। हमारे प्रदेश में अभी तक 1500 से 1600 मिलीमीटर तक वर्षा होती है लगभग-लगभग। ये प्रदेश के आंकड़े हैं और इसमें से अगर हम 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत जल संभरण कर लें तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। सिर्फ 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत ही हम जल को रोक लें, कटाव को रोक लें बारिश वाले को तो हमारा कई चीजों का फायदा हो जायेगा। स्रोत हमारे रिचार्ज हो जाएंगे, भूमि कटाव हमारा बंद हो जायेगा, हमारे जंगलों में जो जानवर हैं उनको पेयजल मिल जायेगा और वहाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको भी पानी मिल जायेगा। यह अवैज्ञानिक क्यों है, ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर आपको बचाव करना है, जो वाटर शेड योजना है वह आपकी जल समेकित योजना पर नहीं चल रही है। अगर आपको इसको बचाना है, ठीक करना है तो मंत्री जी, आपको निरीक्षण करने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि हर सदस्य को ईमानदारी से देखना पड़ेगा। ये जो वाटर शेड योजना है जल समेकित सिद्धान्त, यह बहुत बड़ी अच्छी योजना है, मान्यवर, इसका क्रियान्वयन हो। यह पर्वतीय क्षेत्र से टाप से बाटम की ओर चलती है, सबसे ऊपर आपने ट्रेन्चिंग करी, खुदाई की, वहाँ आपने भरा, खाल बनाई, फिर नीचे को लाये, इस तरह से जड़ तक आया। जो तेज बहाव पहाड़ी का आता था एक तो इसने वह बचा दिया, पानी भरा रहा और जंगली जानवरों ने पानी पिया, जो स्रोत तलहटी में था वह रिचार्ज हो गया। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक हम इसको अवैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं, करोड़ों रूपया अभी तक इसमें फूंक दिया है। हम ठीक तरीके से उसका मैनेजमेंट अभी तक नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, क्योंकि यह बहुत गम्भीर मसला है, जब तक हम इसके प्रबन्धन को ठीक तरह से नहीं करेंगे। तब तक इसका हमको लाभ होगा यह कहना अतिशयोक्ति होगी।

मान्यवर, मैं दो तीन चीजों के बारे में माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ। वैसे खाली बजट भाषण में कुछ करने से होने वाला नहीं है। मैंने इस किताब में देखा थोड़ा सा, आपने एक चीज कह दी है कि पंतनगर विश्वविद्यालय में स्थापित किये गये 90.8 फिक्वेंसी बैण्ड के एफ0एम0 रेडियो की परिधि वर्तमान में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

नकदी फसलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे। मान्यवर, यह फ्रिक्वेन्सी बढ़ाने से क्या होगा, आप बजट में प्रोविजन करिये, आप सोयल इरोजन रोकिये, भूमि कटाव रोकिये, आपका जो जलागम विभाग है उसको पैसा दीजिए और वैज्ञानिक तरीके से उसके कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करवाईये। तब तो होगा, अब रेडियो में आ गया तो वैज्ञानिक क्या करेगा, भूमि तो है नहीं, चीजें मिल नहीं रही। जो खाद और बीज है उसको हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

टी0डी0सी0 आपका बीज देता है, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि आज तक टी0डी0सी0 में एम0डी0 नहीं है। टी0डी0सी0 के जन्म से आज तक सम्भवतः एम0डी0 नहीं है। मुझसे अगर कोई बात गलत होगी तो मैं संशोधन कर दूँगा। इसमें लम्बे समय से एम0डी0 नहीं है। जो बीज बनाता है पूरे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र ही नहीं, जो बहुत बड़ा उत्पादन देकर हमें लाभ में रखता है। पूरे देश में जिसकी शाखायें है। इतना बड़ा जो हमारा टी0डी0सी0 था जिसका नाम ही बीज प्रमाणीकरण था, जिसका काम बीज अच्छे पैदा करना और किसानों को उत्तम बीज देना था, आज उसकी यह दुर्दशा है। मैं कोई आलोचना वैसे नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे सुझाव हैं जिसकी ओर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

आज सबसे बड़ा खतरा क्या हो गया है, मेरा ही क्षेत्र नहीं, मैं उत्तराखण्ड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ पर किसानों ने फसल बोना बन्द कर दिया है। पहले हमारे यहाँ गढेरी होती थी उसे यहाँ बड़े पिनालू कहते हैं, उसका उत्पादन हमारे यहाँ बहुत होता था और लोग उसको बहुत बेचते थे, आज लोग उसको लगाते ही नहीं है, क्योंकि उसको सुअर खत्म कर जाते हैं। बंदरों ने इतना कर दिया कि जितने फल खेतों में होते थे वह सब खत्म कर दिये हैं और जितने अनाज बोते थे वह खत्म कर दिये। यह कोई साधारण बात नहीं है, हम कभी–कभी बंदर, सुअर कहकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन लोग आज वहाँ रो रहे हैं। हम वहाँ गये तो हमारे सामने सल्ट से लेकर रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया कई सेक्टर में गया तो एक ही माँग आई कि हमारे यहाँ सुअर, हमारे यहाँ बंदर और तराई में नील गाय और हाथी।

आखिर कई चीजों की व्यवस्थायें होती हैं। यह विदेशों में भी होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कई चीजें करायी हैं जिन पर रोक लग सके। अभी माननीय मंत्री जी के एक सवाल का उत्तर देख रहे थे कि बन्दरों की नसबंदी कर दी जायेगी, कब कर दी जायेगी और कहां करेंगे और कोई इंस्टीट्यूट चालू कर दिया है या पकड़ने चालू कर दिये हैं, कहीं इकट्ठा कर दिये हैं, कोई योजना तो बने। आप लग जायं कि आज हमने एक गाड़ी बन्दर पकड़ लिये हैं और उनको वहां रख दिया है तब तो कुछ हो। मान्यवर, एक हाथी छः महीने से मोहान पर परेशान घूम रहा है। आप एक पशु का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और उसके शरीर में कीड़े पड़े हैं और अखबारों में आ रहा है और दुनिया

देख रही है, वन्य जीव के जो प्रेमी हैं वह देख रहे हैं। आप एक चीज को नहीं देख पा रहे हैं तो बन्दीकरण के लिए कहां से डाक्टर लायेंगे और बन्दरों को कहां पर बन्द कर रहे हैं और क्या आपने प्रयोगशाला बनायी है ? मान्यवर, यह साफ होना चाहिए। आपने बजट भाषण में कह दिया है कि हमने यह कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मानीनीय भट्ट जी, आप अपना बजट भाषण संक्षेप करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अपना बजट भाषण कर रहा हूँ। आपने जो ब्यौरा बजट दिया है और मैं देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से आप कोटद्वार में एक बड़ी चीज ला रहे हैं। कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान की स्थापना हेतु भूमि क्रय करने हेतु, अभी तो क्रय ही नहीं हुई हैं। आप भूमि कब क्रय करेंगे और अगर कर ली हो तो सदन को भी पता लगे और कोटद्वार में क्या करेगा और क्या–क्या इसकी उपलब्धियां होंगी। उत्तराखण्ड की कृषि में इससे क्या फायदा होगा ? यह सारी चीजें आपके उत्तर भाषण में जानना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बातों से कोई बड़ा कार्य होने वाला है। मान्यवर, कृषि हमारी रीढ़ है और प्राकृतिक संसाधन इसी से मजबूत हो सकते हैं और अगर हम थोड़े वैज्ञानिक तरीके से पढ़ें और उसमें सरकार रूचि ले तो वास्तव में वारे–न्यारे हो सकते हैं।

अगर मेरे इन सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस भी ले लेता। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यहां पर जो भी बातें रखी हैं। उन्हें बहुत ही विनम्रता पूर्वक रखी हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं है। मान्यवर, इतनी बातें जो मैंने ही निकाल दी हैं और मेरे साथ और बोलेंगे तो वह भी कितने निकालेंगे। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री माल चन्द–

मान्यवर, मैं अपनी बातों को माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों के साथ सम्बद्ध करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूँ और आपका आभारी हूँ। मान्यवर, कृषि एक ऐसा विभाग है और हम लोगों की एक आजीविका है। चूंकि इस प्रदेश में पर्यटन, उद्यान और कृषि के अलावा और दूसरा रोजगार का साधन नहीं है। माननीय मंत्री जी के मीठे–मीठे भाषण हमने सुन लिये हैं और आपने कहा भी, पर्वतीय क्षेत्र के हैं या मैदानी क्षेत्र के, सभी लोग यहीं के हैं बाहर से कोई नहीं आया है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, आपने अपने बजट भाषण में जो कहा और आपसे मेरी एक विनती है और निवेदन के साथ कह रहा हूँ। आज देश प्रदेश में लोगों को घूमने के लिए ले जाते हैं। मैं जब कनिष्ठ प्रमुख था तो हम भी गये। (घोर व्यवधान) और अगर आपको घूमना है तो हिमाचल प्रदेश में जायें तो वहां कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। सब लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

अपनी बागवानी पर जीवित हैं। यह एक जीता–जागता उदाहरण है इसको हंसी मजाक में न लें। नगदी फसलों का काम तो हिमाचल प्रदेश में होता है आपने करोड़ रूपये का बजट यहां पर रखा है।

इस बजट में क्या, आपने पहाड़ी क्षेत्र में कहा कि हमारे यहां गांव में कहते हैं कि चीड़ी ढालो और हई मारो इसका अर्थ है जो जिन्दा है उसको मार दो। मान्यवर, जो खेती नहीं कर रहे हैं तो उनके खेतों में पेड़ लगा दो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो हमारी खेती है, जिस पर हमारी आजीविका है, तो आज ऐसी स्थिति है चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो। मान्यवर, जो आपने ईनाम देने की बात की है, अगर वास्तव में सरकार ईनाम देना चाहती है तो मैं अपने क्षेत्र पुरोला की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे क्षेत्र की बात आयेगी, क्योंकि जहाँ से हजारों ट्रक मटर आती हैं, हजारों ट्रक टमाटर के आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पुरोला का बता रहा हूँ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में माननीय मंत्री जी ने एक गन लगाई है जिससे ओला नहीं पड़ता है, तो इस बजट में यदि आप गन के लिए प्राविधान रखते तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार ओलावृष्टि में मुआवजा नहीं देगी और अगर मुआवजा देगी तो उस किसान को जिसकी 50 बोरी धान की या गेहूँ की होती है उसे 120 रूपये दे देते हैं और 120 रूपये लेने के लिए उसे 50 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, इसका भी संज्ञान लें।

मान्यवर, फसल बीमा होना चाहिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो ऋण देते हैं उसमें फसल बीमा होना चाहिए, मैंने सुबह भी प्रश्न किया जो ट्रेजरी बेंच से उत्तर आया कि कोई कम्पनी तैयार नहीं है। बैंक जब ऋण देता है तो इन्श्योर्ड करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसी में इन्क्लूड है, तो फसल बीमा होना चाहिए। मान्यवर, ओलावृष्टि के मुआवजे के लिए मुआवजा सरकार नहीं देती है, एक बार वर्ष 2010 में ओलावृष्टि से आपदा आई तो सबको ढाई सौ ग्राम तोड़िया दे दिया।

मान्यवर, खाद, बीज में सब्सिडी होनी चाहिए, हिमाचल ने विश्व ख्याति प्राप्त की है, हिमाचल में खाद–बीज में सब्सिडी मिलती है और लोगों को छोटे–छोटे परमिट दे रखे हैं, गाँव–गाँव में, मार्केट में लोगों को परमिट दे रखे हैं। यहाँ की यह स्थिति है कि तमाम काश्तकार लोग मण्डियों में आते हैं और मण्डियों से खाद–बीज उधार ले जाते हैं और अगर ओला पड़ जाता है तो उधार वापस नहीं कर पाते हैं और ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है मान्यवर, हमारे यहाँ से सारी जैविक खाद हिमाचल प्रदेश में ट्रक भरकर जाती है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और जैविक खाद के लिए आपको टीम का गठन करना चाहिए और मैं तो यह कहता हूँ कि इसमें एक इतिहास कायम करना चाहिए, आप एक क्षेत्र को पकड़ें और एक मॉडल पेश करें कि यह हमने छः महीने या साल भर के अन्दर करके दिखाया और हम आपका साथ देंगे और एक टीम का गठन करें, यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, पहाड़ों में सिंचाई की स्थिति ऐसी विकट है।

श्री अध्यक्ष–

मानननीय श्री माल चन्द जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप छोटी–छोटी झीलें बनायें जहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है और उस छोटी झीलों से पाईप के माध्यम से, नहर के माध्यम से व्यवस्था करें। मान्यवर, भूमि कटाव होता है तो उसके मुआवजे का भी प्राविधान करें। मान्यवर, जड़ी–बूटी के परमिट दें आप मान्यवर, इस बार एक नई जड़ी निकली है, जिसका नाम मैं इस समय भूल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसका परिमिट सरकार जारी करे। मैं चाहता हूँ प्रदेश में छोटे–छोटे रोपवे लगें, छोटी–छोटी झीलें बनें, प्रदेश में कलेक्शन सेंटर खुलें, इससे फायदा होगा। मान्यवर, दिल्ली से मदर डेरी की गाड़ी चलती है और हमारे यहां से मटर ले जाती है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप स्थानीय बच्चों को इसमें लगायें और मौके पर ही काश्तकारों को उनका मुआवजा दें, इससे दोनों को फायदा होगा। मान्यवर, आपका लगभग 8 करोड़ का बजट है इसमें से चार–पांच प्रतिशत इसमें लगा दें और निर्धारित मूल्य पर काश्तकार से सामान लें। इससे सरकार और काश्तकार दोनों को ही फायदा होगा।

मान्यवर, आजकल मंडुवा ढूंढे नहीं मिल रहा है, यह 250 रू0 किलो तक बिक रहा है, इसकी फसल विलुप्त हो रही है। हमारे यहां लाल चावल होता है, यह 200 रू0 किलो तक बिकता है, यह भी विलुप्त हो रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक–एक किलो लाल चावल एक दिन खिलाऊंगा। मान्यवर, आप अपने विभाग की ओर से परिमिट जारी करें, ताकि हमारा मंडुवा विलुप्त न हो, इसकी उपज तभी बढ़ेगी जब इसकी खपत होगी। मैं तो स्वयं डाईबिटीज का पेशेंट हूँ, मुझे ही मंडुवा ढूंढ–ढूंढ कर नहीं मिल रहा है मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप छोटे–छोटे शीतगृह बनायें और छोटे–छोटे किसानों को ऋण दें, छोटे–छोटे कलेक्शन सेंटर खोलें और एक ट्रक लगवा दें और अपने विभाग की ओर से काश्तकारों को ऋण दें ताकि काश्तकार अपना एक समूह बनाये। मान्यवर, जैसे एक गांव के चार लड़के मिलकर कलेक्शन करें, इससे लड़कों को भी रोजगार मिल जायेगा, काश्तकारों को उनकी कीमत वहीं पर मिल जायेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो खेत बंजर हैं वहां पेड़ लगा दिये जायं। अन्त में, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर माननीय प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी और माननीय विधायक श्री माल चन्द जी ने जो अपने सुझाव कटौती के प्रस्ताव पर दिये हैं........।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री दलीप सिंह रावत जी को भी इस पर बोलने का अवसर दें, चूंकि माननीय श्री दलीप सिंह रावत जी नये सदस्य हैं और कृषि के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य दलीप सिंह रावत को बाद में मौका मिलेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो शंकाएं माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्री माल चन्द जी ने रखी हैं, उन शंकाओं को और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बहुमूल्य 08 सुझाव दिये, इसके लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री माल चन्द जी की तरफ से 9 सुझाव आए, इस आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सुझाव आपने दिये, जो शंका आपने जाहिर की, उन शंकाओं पर सरकार की तरफ से जरूर विचार किया जाएगा। सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि आपके सुझावों पर गौर न करें। आपके बहुमूल्य सुझाव आए, उन सुझावों के आधार पर जो सबसे बड़ी चिन्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आयी, वह भूमि के कटाव और जलागम योजनाओं के परीक्षण की आयी। उनका परीक्षण कराया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

एम0डी0 की नियुक्ति का जो आपने सुझाव दिया, इसकी कार्यवाही गतिमान है, टी0डी0सी0 में। कृषि के क्षेत्र में कोटद्वार में नया संस्थान करने का जो प्रयोजन आपने महसूस किया, उसके बारे में जलागमों का वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल परीक्षण कराया जाएगा। हमारे पूरे प्रदेश में नई टैक्नोलॉजी के माध्यम से क्या नया किया जा सकता है, खेती के सवाल पर इस संस्थान का यह मकसद है। इसमें खेती की जो उपज है, खेती में बार–बार जो बदलाव आते हैं, उपज के सवाल पर, उन पर पूरा शोध होगा। यह इस संस्थान का मकसद है। श्री माल चन्द जी ने जो शंका व्यक्त की, कि खेती में वृक्ष मत उगाओ। यह मेरी मंशा नहीं थी, आप शायद उसको दूसरे अर्थ में ले गये। यह हमारी सरकार की मंशा नहीं है। हमारी सरकार की मंशा यह है कि जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, कोई फोर्स नहीं है, जो लोग स्वेच्छा से वृक्ष खेती करना चाहते हैं, उनके बारे में कहा।

आपने जो अन्य सुझाव दिये हैं, इनमें से कई सुझाव तो सरकार की योजनाओं में हैं। आपने जो हिमाचल की बात की है और आपने जो भ्रमण की बात की है, आप तो विश्व में भी घूम कर आ गये हैं और आपने देखा होगा कि कहाँ पर कैसा है। मैं तो पिछली तिवारी जी की सरकार में मंत्री रहा, मैंने कभी विदेश जाने की इच्छा जाहिर नहीं की क्योंकि जो हिन्दुस्तान में है, वह पूरे विश्व में कहीं नहीं है, यह मेरा मानना है। (व्यवधान) आपने जो रोप–वे की बात कही, वह भी इसमें प्राविधानित है, मण्डी परिषद के माध्यम से। छोटी झीलें भी इसमें प्राविधानित है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिये और जो छोटे शीतगृह की बात आपने की, उस

पर भी सरकार की कार्य योजना है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये, सरकार की उन योजनाओं में भागीदारी है। आपके जो सुझाव आए हैं, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भूमि कटाव की सबसे ज्यादा चिन्ता व्यक्त की गयी है, उस पर सरकार भूमि संरक्षण के माध्यम से और जलागम के माध्यम से और मनरेगा के माध्यम से भी इसमें कार्य योजना का प्राविधान रखा गया हैं। उसका बजट इसमें नहीं रखा गया है, मनरेगा का बजट अलग है। जहाँ तक भूमि कटाव का प्रश्न है, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इस पर सरकार की पूरी कार्य योजना है और उसी कार्य योजना के तहत इस पर कार्य किया जाएगा। अतः मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से और सम्मानित विधायक श्री माल चन्द जी से अनुग्रह करूँगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से 2–3 बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक तो वृक्ष खेती की बात आपने कही है, तो इसके लिए आपने अभी तक कितनी भूमि चिन्हित की है और कहाँ–कहाँ की है, अगर यह प्रारम्भ हो गया हो तो और जिलेवार कितने मृदा परीक्षण केन्द्र अभी तक आपके पास हैं तथा माइक्रोमोड परियोजना से अभी तक आपने उत्तराखण्ड में कितने लोगों को लाभान्वित किया है और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जैविक खेती में कितना उत्पादन कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो मेरा अधिकार है, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ कि आप मुझे नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं और समय भी नहीं दे रहे हैं, जब कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय, समय की बाध्यता नहीं होती है। मान्यवर, मैं समय का खुद ही पाबन्द हूँ और मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बजट में जिस दिन मेरा भाषण था, उस दिन भी मैं लिमिटेड बोला। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि मैं जो भी पूछता हूँ, वह सदन के हित में ही पूछता हूँ, तो थोड़ा समय देने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जैविक खेती में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन आप कर रहे हैं और जैविक उत्पाद परिषद ने जो गतिविधियां बढ़ाई हैं, उसके कार्यक्रम आप कहां–कहां लागू कर पाये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किये हैं, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां तक वृक्ष खेती का सवाल है, उसमें सरकार की यह मंशा है कि जो गांव की बंजर जमीन है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी चिन्हित हुई कि नहीं हुई, कोई कमेटी बनाई कि नहीं बनाई? चिन्हित तो होगी, लेकिन होगी 10 साल में। इसलिये मैं कह रहा था कि इसके लिये एक

कमेटी बन जाय, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने क्या किसी को चिन्हीकरण के लिये कह दिया है या रेवन्यू विभाग को आपका पत्र जारी हो गया है? किससे चिन्हित करवा रहे हैं, क्या आपके विभाग के कर्मचारियों की कोई कमेटी बन गई है ? ये चीजें मैंने स्पेसिफिक पूछी हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वृक्ष खेती पर हमने जो कार्य योजना तैयार की है, उसमें पूरे प्रदेश में जो हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं, उनके माध्यम से एक सर्वे कराया है और यह अभी गतिमान है। यह सर्वे उन इलाकों में हो रहा है, जहां पर लोग खेती भी कर रहे हैं और वृक्ष खेती भी करना चाहते हैं, नर्सरी बनाने का जो हमने कार्यक्रम रखा है, उसके माध्यम से जो प्रस्ताव आयेंगे, सरकार उस पर पूर्ण रूप से बजट देकर कार्यक्रम करवायेगी। हमारे पास मृदा परीक्षण केन्द्र हैं और जहां तक जैविक खेती का सवाल है, विगत वर्षों में जैविक खेती के प्रति किसानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। इसी आधार पर एक अभियान के तहत हमने निर्देश दिये हैं कि खेती के माध्यम से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनको कलैक्शन सेन्टर के माध्यम से मण्डी समितियों के माध्यम से मार्केटिंग की जायेगी। पहले सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में ही मण्डियां थीं, हमने इस बार मण्डी समितियों का विस्तार किया है और पर्वतीय अंचलों में भी मण्डी समितियों के माध्यम से मार्केटिंग की जायेगी। जिस चीज को किसान उत्पादित करेंगे, उनको हम खरीद करके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने का काम मण्डी समिति करेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या अभी तक हमने जैविक उत्पाद बाहर भेजे हैं, इसके कोई आंकडे या प्रमाण हमारे पास हैं कि जैविक खेती से कितना उत्पादन आज तक किया गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो हमारी पुरोला वाली बेल्ट है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का क्षेत्र है और लगभग प्रत्येक जनपद में खेती हो रही है। जहां तक उत्पाद भेजने की बात है तो इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं आ पाई है, आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन को जानकारी मिल जाती तो अच्छा होता।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जैविक खेती से एक लाख कृषक लाभान्वित हुये हैं और 45 हजार के क्षेत्रफल में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि कुछ बिन्दुओं पर स्पष्ट उत्तर नहीं आये हैं। आपने कहा कि जैविक खेती के उत्पादों को हम विदेशों में भेज रहे हैं, लेकिन मंत्री जी यह नहीं बता पाये कि कितने टन बासमती उगाई और मान्यवर, कई चीजों में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला है तो स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2918190 हजार (दो सौ इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–28 पशुपालन

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 897863 हजार (नवासी करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य के लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय परम्परागत रूप से रहा है। पशुपालन व्यवसाय में वर्ण संकर और स्वदेशी नस्लों के उन्नयन के लिये नवीनतम प्रोद्योगिकियों को शामिल कर काफी परिवर्तन आया है। प्रदेश में 18वीं पशुगणना वर्ष 2007 के अनुसार कुल पशु सम्पदा 51 लाख व कुक्कुट सम्पदा 26 लाख को रोगमुक्त तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करने एवं नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने तथा विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार एवं विस्तार करने हेतु पशुपालन विभाग तीर्थयात्रियों, पर्यटकों एवं राज्यवासियों को पशुजन्य उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त, भूमिहीन व

निर्बल वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुक्कुट पालन तथा बकरा, सांड वितरण की योजना चलाई जा रही है।

मान्यवर, प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय भाग में चारे की अत्यन्त कमी है। चारे की कमी दूर करने हेतु प्रथम चरण में ब्लाक स्तर पर चारा बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 89 चारा बैंक स्थापित किये जा चुके हैं द्वितीय चरण में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक चारा बैंक की स्थापना कर पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को निकटस्थ स्थान तक सुपाच्य पौष्टिक चारा काम्पैक्ट फीड तथा चाटन भेली उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। निराश्रित, अशक्त एवं आवारा पशुओं को उचित शरण स्थली प्रदान करने हेतु गौ सदन संचालक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गौ सदन, गौशाला संचालय संस्थाओं को गौ मूत्र संग्रह केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर गौ मूत्र विपणन से उनकी आर्थिकी में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछियाओं को न्याय पंचायत स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है तथा भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र सामालीती में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जाना है।

सूचनाओं को त्वरित संवहन एवं रोग नियंत्रण हेतु भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के समस्त ब्लाक स्तरीय पशु चिकित्सालयों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए वी0पी0एन0 सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं

मान्यवर, भारत सरकार की सहायता से ही राज्य में संचालित संस्थाओं (पशु चिकित्सालयों/औषधालयों) का सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। गम्भीर रूप से बीमार व दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को राज्य के 05 पशु चिकित्सालयों में आधुनिक तकनीक के अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे मशीनों से गहन परीक्षणोपरान्त उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु चारा विकास कार्यक्रम एवं स्वरोजगार परक कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु चारा विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 22.03 लाख तथा कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना योजनान्तर्गत 90.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, सीमान्त, भूमिहीन व निर्बल वर्ग के कृषकों तथा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारिता के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित दूध की उचित कीमत दिलाते हुए उन्हें अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने तथा ग्राम स्तर पर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने में डेयरी विकास विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, ठीक है, मैं यहीं पर अपना बजट भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो पशुपालन से सम्बन्धित बजट रखा है। निश्चित रूप से कदाचित उस बजट में, ये विभाग अलग करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड में यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के लोग निवास करते हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, उनके जीवन में हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं कि उनका जीवन स्तर उठे। ऐसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि इस समय उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 51 लाख से अधिक पशुधन हमारे पास हैं और लगभग 26 लाख से अधिक कुक्कुट पक्षी हमारे राज्य में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है उसके अनुसार कहीं भी, कोई भी योजना इस बजट में इस तरह की नजर नहीं आ रही है, जिसमें कहीं एक दूरदर्शिता नजर आये।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पाँच चिकित्सालय जो आधुनिक तकनीकी के हैं। मुझे माननीय मंत्री जी बतायें कि उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, क्या इनमें कोई चिकित्सालय है। जब आप पहाड़ के इन क्षेत्रों में चिकित्सालय नहीं दे रहे हैं, चिकित्सालय है भी नहीं तो आप पशुओं का इलाज कैसे करोगे, उनका आपरेशन कैसे करोगे, वे बीमार हो गये तो उनको कहाँ लाओगे ? क्या सबको देहरादून और हरिद्वार लेकर जाओगे ? सरकार का अगर बजट होता और मंत्री जी कहते कि हमने चिकित्सालय उत्तरकाशी में बनाया है, पौड़ी में बनाया है, रूद्रप्रयाग में बनाया है, चमोली में बनाया है, टिहरी में बनाया है। आप इसकी घोषणा करें, आप बजट में प्राविधान करते कि इस साल हम एक आधुनिक चिकित्सालय उत्तरकाशी में बनायेंगे। सरकार का यह अगले साल का बजट आ रहा है। यह बजट वर्ष 2012–13 का आ रहा है, जो शुरू हो रहा है और एक साल तक चलेगा। तो आप उसमें प्राविधान रखते कि एक चिकित्सालय हम पहाड़ में बनायेंगे। पहाड़ के जिलों में एक भी चिकित्सालय नहीं है।

मान्यवर, अगर कोई पशु बीमार है और चमोली में है। उसको यहां कैसे लेकर आओगे और उसके लिए क्या व्यवस्था है ? मान्यवर, जो यह विभागीय बजट है इसमें कहीं न कहीं सरकार की सोच नजर आती है। मान्यवर, अगर मैं माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूँ कि चिकित्सालय है तो उसमें बजट कितना रखा है आपने वर्ष 2012–13 के लिए पांच लाख रूपये, अब आप बतायें पांच चिकित्सालय हैं उसमें पांच लाख रूपये रखे हैं तो उसमें एक–एक लाख चले जायेगा तो कैसे होगा ? इसी प्रकार पशुचिकित्सालयों को, हम उसमें भी बजट देते हैं तो उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट रखा है वह बारह लाख रूपये का। मान्यवर, सेवा केन्द्रों की स्थापना हैं प्रदेश में 670 न्याय पंचायत हैं। अभी तक 150 और 200 सब में करने की योजना होगी, अगर 670 में योजना होगी तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे इसके लिए आपने जो बजट इस समय रखा है मान्यवर, वह बजट एक करोड़ रूपये से भी कम होगा। अगर आप 670 न्याय पंचायतों में एक करोड़ रूपये दे रहे हैं तो लगभग 10 लाख रूपये है। मान्यवर, आप हो सकता है केवल 10 में बजट देते और आप 10 में ठीक प्रकार से संचालन करते, कम से कम लगता कि जो पशुपालन विभाग का प्रमुख उद्देश्य है कि जिसके लिए हम वह गरीब लोगों को इसका लाभ देना चाहते हैं। इसमें कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति नजर नहीं आ रही है।

मान्यवर, पशुचिकित्सालय में जो वैक्सीन एवं दवा खरीदते हैं। उसमें आपने जो बजट रखा है वह बहुत कम रखा है। मान्यवर, आपने अभी चर्चा की गौ सदन की, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गौ सदन के लिए कोई नई योजना क्या बनायी है ? कितने गौ सदन आप खोलेंगे ? क्या आपने प्राइवेट सेक्टर में इसके लिए प्लानिंग की है ? यह तैयार किया है कि इस वर्ष हम दस खोलेंगे? मान्यवर, गौ सदन बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पिछली सरकार ने कहा था कि हम शुरूआत करेंगे तो हमने शुरूआत की। लेकिन इस सरकार की इस योजना में कहीं यह परिलक्षित नहीं हो रहा है। हम हर जिले में एक खोलेंगे या दो खोलेंगे उसके लिए हम इतना बजट रखेंगे। (घोर व्यवधान) मान्यवर, इस प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भेड़ प्रमुख आर्थिक साधन बन सकता है और इसी विभाग के अन्तर्गत आता है। लेकिन इस योजना को आप किस तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं। मान्यवर, चाहे वह बरसात का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, मान्यवर, वहां जब आपदा आती है तो भेड़ों की सबसे ज्यादा मौत होती है। इसी प्रकार जब उनमें बीमारी आती है तो बहुत तेज गति से आती है और किस प्रकार से उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि यह उन लोगों की प्रमुख जीविका का साधन है।

मान्यवर, इसके लिए आपने 9 लाख का बजट दिया, अब आप बतायें कि यह 9 लाख का बजट उनके लिए किस तरह से स्पेशल है, जो लोग दूर–दराज के उन क्षेत्रों में रहते हैं और इस पर कोई योजना नहीं बनाई जब बनानी चाहिए थी और इसी प्रकार से जो अन्य पशुधन विकास की बात आप करते हैं उसमें बजट की समुचित प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब देखें कि आपने गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान की संस्था की स्थापना के लिए कहा, लेकिन उसमें आपने केवल एक हजार रूपये रखे हैं, लेकिन आपने खुद लिखा है कि शिलान्यास कब हुआ

यह वर्ष 2007 में हुआ, तो पाँच साल पूरे चले गये और इस बार भी यही स्थिति है जो शुरू से चलती आ रही है, तो इसको आप नहीं बनायेंगे तो कैसे होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालन के क्षेत्र में हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और मैंने स्वयं मुर्गी पालन का कार्य अपने क्षेत्र में चालू किया है और करीब 25 लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार देने की व्यवस्था की है। मान्यवर, हम लोग पलायन रोकने की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग युवाओं को हैचरी लगाकर 2–2 सौ मुर्गी पालन के लिए दे दें तो काफी हद तक पलायन की समस्या कम होगी, लेकिन इसमें बजट बहुत कम रखा गया है और जैसे माननीय श्री मदन कौशिक जी ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है तो हम चाहें तो यह व्यवस्था विधायक निधि से कर सकते हैं, क्योंकि पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इसके लिए बहुत कम बजट है, वैक्सीन की कमी है, मुर्गी पालन में कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, उसमें सब्सिडी भी मिलनी चाहिए क्योंकि जब तक आदमी हैचरी नहीं लगायेगा तो कैसे होगा, तो इसका भी कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, कुक्कुट पालन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री मदन कौशिक जी और माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी का आभारी हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिये हैं, आपने कहा कि सभी जनपदों में विकासखण्ड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर चिकित्सालय नहीं हैं, तो हमारे उत्तराखण्ड में 308 पशु चिकित्सालय हैं और 744 पशु सेवा केन्द्र हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने जो कहा कि ये पाँच जिलों में हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी तो पाँच हैं और अगले पाँच साल में 13 जनपदों में और भी हो सकते हैं, तो यह आने वाले समय पर योजना बनेगी। मान्यवर, आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा कि धनराशि कम है तो हमारे पास भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता है और उसके लिए अलग से बजट प्राविधानित है और गौ सदन की बात, आपने कहा कि प्रत्येक जनपद में बढ़ाये जायें, तो वास्तव में इसकी जरूरत भी है तो मान्यवर, हम कोशिश कर रहे है कि जहां से समितियों की डिमांड आ रही है, जो संस्थाएं हैं उनको पंजीकृत कर, उनको बढ़ावा देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उनको जमीन दे दी गयी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जमीन तो नहीं देंगे लेकिन उनको और जो नियमानुसार सुविधाएं हैं, वे दी जायेंगी। समय–समय पर हम उनको मान्यता भी देते हैं, यह समिति तय करती है कि उनको क्या सहायता दी जानी चाहिए, वह हम समय–समय पर देते रहते हैं। आपने भेड़ पालन की बात कही तो भेड़ पालन का हमारा बजट पर्याप्त है। अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इस बजट को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्याः–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 897863 हजार (नवासी करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्याः–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 591212 हजार (उन्साठ करोड़ बारह लाख बारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस परम् सदन के सम्मुख श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं विभागीय उपलब्धियों के साथ–साथ वर्ष 2012–2013 का विभागीय बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, श्रम विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्तुति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ–साथ

जनहित सेवा प्रदाय संस्थानों में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बजट भाषण पढ़कर नहीं बोला जाता है, बल्कि आप इसकी केवल (हेडिंग्स) मुख्य बिन्दु देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बजट भाषण मंत्री जी पढ़ सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, ठीक है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, निश्चित रूप से श्रम एवं रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपने मंत्रीगण से कुछ कह दिया क्या, ये आज बड़े खुश हैं। मान्यवर, इस प्रदेश के लिए निश्चित रूप से श्रम और रोजगार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ इस प्रदेश के अन्दर पिछले 12 वर्षों में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस सबके होने के बावजूद आज यहाँ पर बेरोजगारों के पंजीकरण की जो संख्या है, वह 6 लाख से ज्यादा है और यदि इसमें हम उस संख्या को भी मिला दें जो आठवीं या उससे कम एजुकेटेड हैं तो वह संख्या लगभग 20–22 लाख बैठेगी। निश्चित रूप से सरकार को आज जो श्रम और रोजगार की स्थिति है, उसके लिए एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। आज इन उद्योगों में जो स्थिति है, ये उद्योग जिनके क्षेत्र में पड़ते हैं, वे सारे विधायक और आप सब भी कहीं न कहीं इस बात से चिन्तित रहते होंगे, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वह आपके पास आते होंगे कि हमें आप ऊधमसिंह नगर के फलाने उद्योग में भेज दीजिए, देहरादून में भेज दीजिए, हरिद्वार में भेज दीजिए लेकिन जब आप उनको वहाँ भेजते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है कि उनको 6 हजार रूपये सैलरी मिलेगी लेकिन 12 घण्टे काम करना पड़ेगा, 3 हजार रूपये मिलेगी, 11 घण्टे 12 घण्टे काम करना पड़ेगा। स्थिति यह हो गयी है कि वहाँ आज इतना बुरा हाल है, इस पर कहीं न कहीं हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है।

आज अगर हम इस राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। अनेक स्थितियों में हमारा राज्य भिन्न है। भौगोलिक परिस्थिति के कारण भिन्न है, उसमें कहीं न कहीं हमें इन सब चीजों में अन्तर रखना पड़ेगा और उस अन्तर को देखते हुए आज तक किसी काम को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कहीं आपने इस बजट में कोई जिक्र भी नहीं किया है। यह कहीं न कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब हमारे पास कोई नौजवान आता है और कहता है कि साहब मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मुझे 6 हजार रूपया मिलता है और मेरी क्वालिफिकेशन यह है और मुझसे वहाँ पर 12 घण्टे ड्यूटी ली जाती है और अगर कहीं एक दिन थोड़ा लेट हो गया तो निकाल कर बाहर कर दिया, उसके बाद जब वह श्रमायुक्त के पास गया कि साहब मुझे निकाल दिया, तो उसी में उसके 2–4–6 महीने गुजर जाएंगे और फैसला अल्टीमेटली किसके पक्ष में आएगा, वह उद्योग वाले के पक्ष में आएगा। इसी सत्र में पहले चर्चा हो चुकी है, कई बार बातचीत हो चुकी है कि आज जो बाल श्रमिक हैं, वह कहीं न कहीं इस स्थिति में हैं, उसमें सरकार की क्या योजना है ?

बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण, किस प्रकार से आप पुनर्वास करेंगे, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई हैं। इसमें सरकार ने एक खानापूर्ति की हैं। इस मद में सरकार ने केवल 2 लाख रूपये रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2 लाख रूपये में यह सरकार यह स्पष्ट करे कि बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करेगी या उनके पुनर्वास की योजना बनाएगी। दोनों में से 2 लाख रूपये में 13 जनपदों में क्या किया जा सकता है ? यह सबसे बड़ी बात इस सरकार के सामने आनी चाहिए, आखिर 2 लाख रूपये का बजट रखा है, 2 लाख रूपये में तो मैं यह समझता हूँ कि अगर आपने 10–12 श्रमिक भी छांटे तो कैसे उनके पुनर्वास की योजना बनाएंगे ?

माननीय अध्यक्ष जी, वेज बोर्ड की बात आयी। जितने प्राईवेट उद्योग हैं, उनमें वेज बोर्ड क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? कहीं न कहीं अगले वर्ष के कलेण्डर में यह शामिल होना चाहिए। अगले साल में वेज बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले हमारे जितने भी कारखाने हैं, उनमें हम इसको सख्ती से लागू करेंगे। उस स्थिति में कहीं न कहीं उन श्रमिकों को यह आस बंधती कि आने वाली सरकार में कहीं न कहीं दूरदर्शिता है, काम करने का कोई जज्बा है, कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसे ही झूठ नहीं बोलते हैं। हल्ला कर दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस बजट में कहीं नजर आ रहा है ? कहीं पर तो नजर आए। दुर्गापाल जी की तो बेचारों की क्या कहें, वे तो आपके खिलाफ ही चुनाव लड़े हैं।

*सैनिक कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, यह बेचारा शब्द कहाँ से आ गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर असंसदीय है, तो इसको निकाल दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, हरिद्वार तो हमारा आने–जाने का रास्ता है। हमेशा हम आपकी बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं उस दिन माननीय दुर्गापाल जी को देख रहा था, जिस दिन मंत्रिमण्डल का गठन हो रहा था, तो उस दिन दुर्गापाल जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता तो यह चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनू, लेकिन फिर भी मुझे कम से कम ऐसे विभाग तो मिलने चाहियें, जिनको क्षेत्र के लोग तो कहें कि ठीक है। अब आपने इनको दे दिया श्रम एवं रोजगार और इसमें भी बजट कितना दिया और उसमें से भी तनख्वाह निकाल दें तो क्या बचा। (व्यवधान) विभाग तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको बजट कितना दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूँ (व्यवधान) मान्यवर, कहीं न कहीं इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में इस महत्वपूर्ण विभाग के बारे में सोचने और चर्चा करने तथा एक दूरगामी नीति बनाने की आवश्यकता है और यह नीति यहां के बेरोजगारों के लिये होनी चाहिये। अब आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, विगत दिनों हमने इस बात को उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री हम पर नाराज हो गई थीं और इतनी नाराज हो गई कि हमारे श्री अजय भट्ट जी तो बहुत परेशान हो गये कि हमारी बड़ी बहन इतनी नाराज क्यों हो गई। हमने तो सिर्फ यह पूछा था कि दसवीं कक्षा से नीचे के बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं थी। आपने हाईस्कूल, इण्टर, बी0ए0 और एम0ए0 के लिये तो तय कर दिया कि इनको इतना देंगे। लेकिन बजट में पैसे का प्रावधान नहीं किया। आपने कहा कि 4 से 6 लाख लोगों को देंगे, हमारा कहना है कि जो 10–12 लाख नौजवान हैं, जो वास्तव में बेरोजगार हैं, उनके लिये आपने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की। (व्यवधान) मान्यवर, एक अलग से मद खोली कि बाल श्रमिकों को शिक्षा देंगे और बजट कितना रखा, मात्र एक हजार रूपया। अब आप यह बता दें कि इस एक हजार में आप कौन सी शिक्षा देंगे ? (व्यवधान) जब आप मेन बजट में टोकन मनी दे रहे हैं तो बजट कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। मान्यवर, यह पूरा बजट कहीं न कहीं बिना सोचे–विचारे और बिना किसी योजना के बनाया गया है तथा इस प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, जो श्रमिक हैं, इनके हितों की कहीं कोई पूर्ति नहीं करता है, इसलिये मैं इस बजट की आलोचना करता हूँ और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको अवश्य इस बजट में सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय मदन कौशिक जी से सम्बद्ध करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जैसा आदरणीय श्री मदन जी कह रहे थे, मैं रानीपुर–बी0एच0ई0एल0 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और हरिद्वार का सिडकुल इसी के अन्दर स्थापित है। मैंने विगत दिनों माननीय मंत्री जी से प्रश्न के द्वारा भी पूछना चाहा था और उन्हीं बिन्दुओं को मैं आज दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन उनका उत्तर नहीं मिल पाया था।

मान्यवर, हम लोग श्रम और रोजगार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस नवोदित राज्य को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से स्पेशल कैटेगरी मिली, औद्योगिक पैकेज मिला और जब उत्तराखण्ड आन्दोलन चल रहा था तो उसमें भी भावना थी कि राज्य बनने के बाद बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हमने सिडकुल की स्थापना की और 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि दी, लेकिन जो हमारा बेरोजगारी को दूर करने का उद्‌देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाया। चाहे इसके लिये हमने 70 और 30 के रेशियो की बात की हो, मुझे पता है कि वहां पर आज तक 70 और 30 के रेशियो में यहां के कर्मचारी, श्रमिक और टेक्निकल स्टाफ नहीं रखा गया है। फिर भी उन लोगों को रोजगार देने की कोई भी व्यवस्था इस बजट के अन्दर नहीं की गई है।

आज स्थिति यह है कि पूरे सिडकुल के अंदर जो लोग पिछले 5–7 साल के अंदर अपंग हुए हैं, किसी के पैर कट गये हैं, किसी की उंगलियाँ कट गयी हैं, उनकी चिकित्सा, उनकी आजीविका सुरक्षा का कोई प्राविधान बजट के अंदर नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि अभी पिछली 03 तारीख को एक महिला मेरे पास आयी, इसका पूरा का पूरा पैर डैमेज हो चुका था। उसको केवल 08 महीने फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए थे। उसके इलाज पर 03 लाख रूपये खर्च हुए, उसका पैर इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ और कम्पनी ने मात्र 60 हजार रूपये देकर उसे कम्पनी से बाहर निकाल दिया। उनके संरक्षण का कोई प्राविधान माननीय मंत्री जी के भाषण में मुझे नहीं मिला। (व्यवधान) जो योजनाएँ आपने श्रम विभाग को रोजगार देने के लिए दी हैं, मैंने आज उनको पूरा पढ़ा है, इसके अंदर कोई प्राविधान नहीं है।

दूसरे, हम रोजगार की बात करते हैं। हमने रोजगार मेले लगाये, हमने सेवायोजन कार्यालय खोले, लेकिन रिजल्ट क्या। आज स्थिति यह है कि हमारे यहां का कोई पॉलीटैक्निक किया हुआ बच्चा, हमारे यहां का बी०टेक०, बी०बी०ए०, एम०बी०ए०, एम०सी०ए० अगर किसी फैक्ट्री में जाता है तो उसको वहां किसी भी फैक्ट्री में इंट्री नहीं मिलती है। माननीय मदन जी भी जानते होंगे और मैं समझता हूँ कि रूड़की और मंगलौर के माननीय विधायक जी, यहां शायद नहीं हैं, वो भी जानते होंगे इस बात को, चाहे वो यहां का क्षेत्र हो, चाहे सेलाकुई का हो, चाहे ऊधमसिंह नगर का हो। कहीं भी टैक्निकल स्टाफ या उसके ऊपर के स्टाफ में पूरे उत्तराखण्ड के लोगों को नहीं रखा जा रहा है और हमारे बच्चे, हमारे ये बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। उनकी कोई चिंता मुझे पूरे लिटरेचर में देखने को नहीं मिली।

दूसरे, मेरा एक और कहना था कि जो न्यूनतम मजदूरी 120 रूपये बहुत कम है। अभी माननीय मदन जी बोल रहे थे कि 12 घंटे जो आई०टी०आई० अप्रेन्टिस वाले जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी मात्र 04 हजार या 36 सौ रूपये 12 घण्टे के बाद दिये जाते हैं अनेक घटनाएं इसकी उदाहरण हैं। उनकी पे स्लिप आप मंगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के पैटर्न पर इसको रिवाईज किया जाय और न्यूनतम मजदूरी इस समय 36 सौ रूपये प्रति माह बैठ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट में इसे 08 हजार रूपये कर दिया है। आप ऐसा कर देंगे तो पूरे उत्तराखण्ड के श्रमिकों का बहुत भला आप कर पायेंगे मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरे बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की है। मात्र 25 लाख रूपये का उसके अंदर आपने बजट रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा माननीय श्री मदन जी कह रहे थे लगभग 20-22 लाख बेरोजगार उत्तराखण्ड के अंदर हैं, आप कितना बेरोजगारी भत्ता देंगे उनको ? 20-25 लाख के अंदर कितने लोगों की व्यवस्था करेंगे आप ? मैं तो यह भी कहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता देना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है उन लोगों को रोजगार देना जो बेरोजगार आज सड़कों पर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। आज जो इतना बड़ा सिस्टम बनाया, इतनी बड़ी लैंड हमारे लोगों की चली गयी सिडकुल के अंदर या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर उसका पूरा एडवांटेज यहां की जनता को मिलना चाहिए, यहां के बेरोजगारों को मिलना चाहिए और उसके लिए निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता नहीं लोगों को रोजगार चाहिए।

मेरा एक आपसे और भी निवेदन है कि अभी सिडकुल के कारण, या इन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कारण जो उसके आस-पास के क्षेत्र हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बना है। हरिद्वार जिले के अंदर ही लगभग 3-4 लाख लोग अन्य प्रदेशों से आकर रोजगार कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के भी अन्य क्षेत्रों से लोग आकर हमारे यहां रोजगार कर रहे हैं लेकिन उनके रहने की, उनकी चिकित्सा की, उनकी किसी तरह की कोई व्यवस्था कोई भी विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक गांव है रावली महदूद।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, 76 हजार श्रमिक केवल एक ही गांव के अंदर रह रहे हैं। 10 बाई 12 के कमरे में 500–500 रूपये परहेड के हिसाब से 10 लोग रहते हैं। क्या बुरी हालत है, मुर्गीखानों से भी ज्यादा बुरी हालत में वे लोग रह रहे हैं। आवश्यकता है उनके आवास की व्यवस्था करने की, आवश्यकता है उन्हें सुविधाएं देने की, लेकिन यह हो नहीं रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि जो ई0एस0आई0 के अंदर जो पैसा उद्योगों के द्वारा या ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों का काटा जा रहा है। उसके अन्दर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी श्रमिकों के साथ की जा रही है। उसके अन्दर जो कम्पनी का शेयर है और जो श्रमिक का शेयर है, वे दोनों ही श्रमिक की पे से काटे जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान देंगे, जिससे श्रमिक हितों की रक्षा हो सके। मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए, कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, आप बार–बार श्रमिकों और उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य श्री जीना जी की किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाये।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक हमारे माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी ने कहा कि उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार उत्तराखण्ड के लोगों को मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हम सब इसके पक्षधर हैं और अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपके संज्ञान में यह भी बात लाना चाहता हूँ कि बाल श्रमिकों के बारे में वर्तमान में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उनका चिन्हीकरण किया जायेगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था विभाग के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न भी हमारे माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी ने उठाया है, ई0एस0आई0 के बारे में भी आपने चिन्ता जाहिर की है। निश्चित रूप से इसके लिए भी और श्रमिकों के लिए जो बात आपने कही है उसको प्रशासन के संज्ञान में लाकर के देखेंगे और मैं स्वयं भी वहाँ गया हूँ मुझे श्रमिकों ने पीड़ा बताई और कई तरह की बातें मेरे संज्ञान में आई हैं।

कुछ लोगों द्वारा हमारे श्रमिकों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है वह मेरे संज्ञान में है। हम उसकी पूरी जाँच करवायेंगे। जो आपकी भावना है कि स्थानीय लोगों को सिडकुल में रोजगार मिलें, श्रमिकों का उत्पीड़न न हो, ई0एस0आई0 में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान हो। निश्चित रूप से यह सब काम सरकार करेगी। अभी माननीय श्री कौशिक जी ने कहा कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन नियमावली, 2005 के अन्तर्गत मार्च 2008 तक 436 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ था। आप श्रमिकों की बात करते हैं जिसमें निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की निधि में 14 करोड़ 66 लाख रूपया जमा है। मैंने अधिकारियों की बैठक ली और उनसे पूछा कि इस मद में कितना पैसा है तो मुझे यह बताया गया और प्रगति बताई गई कि केवल एक श्रमिक की मदद की गई, यह बड़े दुःख की बात है। मैंने तुरन्त अधिकारियों को निर्देशित किया है और पूरे उत्तराखण्ड में जनपद वाईज मैं जाऊँगा और जो 14 करोड़ 66 लाख रूपया है वह श्रमिकों को मिलेगा।

ई0एस0आई0 में हरिद्वार भी है वहाँ पर एक अस्पताल प्रस्तावित है। ई0एस0आई0 के माध्यम से हमारे हल्द्वानी, सितारगंज, हरिद्वार के साथ एक मेडिकल कालेज भी उत्तराखण्ड में बनना है। इसके लिए कार्यवाही गतिमान है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हम उसमें आगे काम करेगें। माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी को हरिद्वार की बहुत चिन्ता रहती है हमको भी चिन्ता रहती है हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार हमारे आने जाने का रास्ता है। इसलिए हरिद्वार की हर खबर हमारे पास है।

मान्यवर, न्यूनतम मजदूरी के लिए एक समिति का गठन किया गया और उसके तुरन्त बाद आचार संहिता लग गयी। मान्यवर, यह मैं पूर्व की बात बता रहा हूँ। अभी हमारी सरकार को तो दो ही महीने हुए हैं। (व्यवधान) इसलिए यह सब काम पुरानी सरकार के ही नजर आ रहे हैं तो उस समिति में एक बैठक रखी गयी और उस समिति में सदस्य ही नहीं आये। फिर दुबारा बैठक हुई तो आचार संहिता लग गयी। इसमें हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विज्ञापन के माध्यम से यह जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसका हम समाधान करेंगे और जो आपकी शंका है उसको दूर करेंगे। (घोर व्यवधान) मुझे विश्वास है यहां पर जो माननीय श्री मदन कौशिक जी और माननीय श्री आदेश चौहान जी ने कहा है उसका हम समाधान करेंगे और इस पर आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको आप सम्मान सहित वापस ले लेंगे। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मदन कौशिक जी और श्री आदेश चौहान जी आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने के बाद अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर और अधिक बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 591212 हजार (उन्सठ करोड़ बारह लाख बारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मद संख्याः 11 (6) मद संख्याः (8) एवं मद संख्याः 11 (9) को एक साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं

स्वास्थ्य एवं गन्ना मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिएं आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 4393559 हजार (चार सौ उन्तालीस करोड़ पैंतीस लाख उन्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 5339499 हजार (पांच सौ तैंतीस करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1553936 हजार (एक सौ पचपन करोड़ उन्तालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और समाज के अन्दर जो वर्तमान में एक बहुत ही विकृत स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है तो उसके निस्तारण की दिशा में केन्द्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किये जाने का यह प्रस्ताव जो मैंने यहाँ पर रखा है, उसके अधीन यह बताना आवश्यक होगा कि जो परिकल्पना आजादी के बाद महात्मा गाँधी जी ने देश को बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक संदेश देने का प्रयास किया था और समाज में समस्या पैदा करते हुये समता मूलक समाज की जो एक मूल भावना थी उसको स्थापित करने के लिए वर्ष 1950 में अनुसूचित जातियों और जनजाति के लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई थी जिसके अधीन शैक्षिक उन्नयन की बात बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं समझता हूँ कि समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो तमाम निर्बल वर्ग के लोगों को अगर अन्य लोगों के समकक्ष खड़ा करना है तो स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक उन्नयन पर हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा और मुझे खुशी है कि इस बार का जो महामहिम राज्यपाल जी का बजट था और हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया उसको अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उसमें महसूस करते हैं, उसमें देखते हैं कि निचले–कुचले, दलित व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और मैं समझता हूँ कि यही एक प्रश्न बनता है और आगे बढ़ाने के लिए एक मकसद भी दिया जा सकता है। जनता के अन्दर एक संदेश देने का और उनके बेहतरी के लिए यह बजट बहुत उपयोगी है, जो कि अभी यहाँ पर पेश किया गया है। उसके अधीन बहुत सारी योजनाओं को हम लोग संचालित करते रहें, स्पेशल कम्पोनेण्ट के माध्यम से हम लोग उन लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों को अभी तक काफी समय से देखा नहीं गया था, उनके विकास के प्रति चिन्ता नहीं की गई थी और पहली बार वर्ष 2002 के बाद यह कोशिश की गई।

(सदन में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

मान्यवर, तो स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान मैं समझता हूँ कि वर्ष 2002 से वर्ष 2007 के बीच में करीब 9 सौ करोड़ रूपये का था और दुर्भाग्य से उसके बाद साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये कर दिया गया, लेकिन इस बार हम पुनः कोशिश करेंगे कि उस स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो अभावग्रस्त जीवन को जीने के लिए मजबूर होते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। आप यह भी जानते हैं कि जहाँ जो वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित है, विकलांग पेंशन है यह नियमित रूप से दिया जा रहा है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि नई पेंशन जो पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ पाई है या नई स्वीकृतियाँ नहीं हो पाई हैं उसमें बढ़ोत्तरी की जायेगी और जो 5 साल पहले जिन्होंने अपने पेंशन के फार्म भरे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जो भारत सरकार द्वारा उनके बच्चों को जो कक्षा 1 से 10 तक जिसमें एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और हायर एजुकेशन में भी काफी कुछ सुविधायें हैं उसमें रियायतें हैं। तो विश्लेषण किया जा सकता है कि समाज को यदि बेहतर बनाना है तो समता मूलक और समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके समकक्ष खड़ा करना होगा जो वास्तव में इस समय तक अभावग्रस्त हैं।

जो यहाँ पर व्यवस्थायें की गई हैं वह मैं बताना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति कल्याण सेक्टर में जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनकी संख्या मैं बताना चाहता हूँ कि 5 लाख 87 हजार 724 लोगों को लाभान्वित करने की योजना प्रस्तावित है, और पिछड़े वर्ग के कल्याण के अन्तर्गत 93503 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, विकलांग कल्याण सेक्टर में भी 108902 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सापेक्ष भी 945567 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है और इसी प्रकार परिवीक्षा सेवा क्षेत्र में भी 117167 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु लगभग 166260 व्यक्तियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्याः–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण तथा अनुदान संख्याः– 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए, वास्तव में जो समाज कल्याण विभाग का ढांचा है, जितना इस पर लाभ लेने की स्थिति है, मैं आंकड़े को जोड़ रहा था, लगभग 20–22 लोगों को यह विभाग अफेक्टिव करता है और यह समाज अभी टकटकी लगाकर सोच रहा होगा कि यह तीसरी निर्वाचित विधान सभा आज कैसा बजट देने वाली है। इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए वह आज 6 बजकर 6 मिनट हो रहे हैं, सुन भी रहे होंगे। मगर इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उस विभाग के मंत्री आज विदेश में भ्रमण में घूमने के लिए गये हैं, फिर भी सरकार के द्वारा अपना बजट प्रस्तुत किया गया। मैं भारतीय संविधान की धारा–46 में उपबन्धित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों को सुरक्षित करने के विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, 2001 की जनगणना के अनुसार 8479349 के अंगेस्ट अनुसूचित जाति का जो 1517186, ऐसा करके 17.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति का समाज उत्तराखण्ड के अंदर निवास करता है। वहीं समाज कल्याण विभाग में सम्बन्धित योजनाओं का लाभ लेने वाली ऐसी जनजाति का भी 3 प्रतिशत है और वहीं जहां हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं। पिछली बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो लगभग 320000 लोगों को पेंशन देने की योजना सरकार ने इस बजट के परिव्यय में दी है। मान्यवर, हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद समाज के बीच में जाते हैं, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की समस्या हम सब लोगों के बीच में आती है। मान्यवर, जो बहुत गरीब हैं, दीन–हीन हैं, किसी प्रकार से अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता, वह बातें हम तक पहुंचती हैं और उन्हीं का प्रतिफल होता है कि हम सरकार में इन योजनाओं को इस बजट में, अपनी उन समस्याओं को उन कठिनाईयों को एक–एक करके रखकर उनके लिए पैसों की व्यवस्था करें और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनायें।

एक महत्वपूर्ण प्रकार का समाज कल्याण का ढांचा है, इससे वृद्धजन जुड़े हुए हैं, विधवा बहिनों को अभी आश्रय हो रहा होगा कि सम्भवतया आज बजट में पेंशन सरकार ने 400 से बढ़ाकर 800 रू0 या 1000 रू0 कर दी होगी, यह सोच रहे होंगे। मान्यवर, बहुत सारी कठिनाईयां हैं। वर्ष 2007 में जब मैं भी समाज कल्याण मंत्री था, तो बहुत सारी कठिनाईयां होती थीं। सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, एक छोटी सी 400 रू0 की पेंशन लेने के लिए कठिनाई होती थी। उसमें यह कठिनाई थी कि कोई वृद्ध है वह 60 साल से ऊपर हो गया है, कहीं काम नहीं कर सकता है, कोई काम देने को तैयार भी नहीं है, चूंकि वह अपने स्वास्थ्य से ही परेशान है। उसको पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है चूंकि 10 बार फार्म भर लिये, चूंकि उसका बच्चा 18 साल का बालिग हो गया, बेरोजगार हो गया। मान्यवर, 2007 तक यह कठिनाई थी, इन कठिनाईयों को हमने दूर किया और कहा कि जिसका बच्चा बालिग हो गया, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, यानि

कि जो कठिनाई थी उसका समाधान किया। जैसा हमने कहा कि जो विधवा बहिनें हैं, उनका बच्चा अगर बालिग हो गया जो उसकी भी उस कठिनाई को हमने दूर करते हुए कहा कि बालिग हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको पेंशन मिलनी चाहिए।

मान्यवर, सरकारी सेवा में नहीं है तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे ही हमने विकलांग के लिए किया, जो 40 प्रतिशत विकलांग था, पहले 60 प्रतिशत में पेंशन मिलती थी, हमने कहा नहीं विकलांग तो विकलांग हैं। अगर उसका थोड़ा भी अंग विकलांग है तो कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि अगर वह 40 प्रतिशत भी विकलांग है तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कहने का अर्थ है कि समाज में जो सामाजिक परेशानियाँ और कठिनाईयाँ हैं, उनको हम पकड़ें और उनको आगे बढ़ाएं। हमने कहा कि घर के अन्दर दो वृद्ध हो गये तो दोनों को पेंशन मिलनी चाहिए। यह योजना किसी ने बनाई, हमने इस योजना के अन्दर परिवर्तन किया और उसमें यह प्राविधान किया। सभी विधवाओं को पेंशन देने के लिए स्पेशल बजट की व्यवस्था हमने की।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि माननीय मंत्री जी और उनके अधिकारी तथा उनका पूरा दल–बल इस पर अध्ययन कराता कि वास्तव में अनुसूचित जाति, वंचित समाज के लिए, वृद्ध जनों के लिए, विधवाओं के लिए, ऐसे ही पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम क्या–क्या कर सकते हैं। यह सारी चीजें तो पहले से चल रही हैं, जैसा हमने कहा कि जो बच्ची इण्टरमीडिएट कर रही है। 10–12 किलोमीटर दूर जाकर इण्टर करने के लिए पैदल जाकर पढ़ रही है, उसके बाद घर पर आकर अपना काम भी कर रही है, गाय–बच्छी भी पाल रही है। भैंस भी पाल रही है, घर के कपड़े भी धो रही है, खाना भी बना रही है, झाड़ू–पोछा भी कर रही है और साथ में इण्टर भी कर रही है तो उसको शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए हमने गौरादेवी योजना के माध्यम से वर्ष 2007 में 8 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया। जब बजट ज्यादा हुआ तो हमने वर्ष 2006 के लोगों को भी उसका लाभ दिया। यानि यह देखना चाहिए कि हम समाज में क्या–क्या नई चीज ला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तीन अनुदान हैं। क्या पता इस तरह सरकार को ध्यान आ जाए, अधिकारियों को ध्यान आ जाए तो सम्भवतः उसके अनुरूप कुछ काम हों। मैंने बताया कि लगभग 18 प्रतिशत हमारा अनुसूचित वर्ग है। इसमें लगभग

15 प्रतिशत वर्ग ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, जो शिल्पकार समाज है। जो अनुसूचित समाज के अन्तर्गत आता है, चाहे वह लोहार है, बढ़ई है, ओढ़ है, उन लोगों के लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई कि जो वह परम्परागत कार्य करता है, बांस पर, रिंगाल पर, लकड़ी पर। उनकी कलाकारी आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे गाँवों के घरों में ऐसे दरवाजे और ऐसी खिड़कियाँ मिलती हैं, जिनमें कलाकारी होती है। उनको हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, आज पर्यटक ऐसे क्षेत्रों में आ रहे हैं। आज पता चल रहा है कि उन कारीगरों की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको हमें प्रशिक्षण देना चाहिए और उनको प्रशिक्षित करके उनके जो ब्लड में है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुबोध जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह समाज आज पूरा का पूरा बेरोजगार हो गया है, उनके पास काम नहीं है। अगर हम उनको ट्रेंड करें और ट्रेंड करने के बाद उनके ब्लड में जो चीज है, उसको निखारें, उसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण दें। पहले कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं होते थे। शिल्पकार समाज के लोगों ने भवन बनाना सिखाया, जिसने लकड़ी की चारपाई में सोना सिखाया, जिसने खाना बनाना सिखाया। अगर यह समाज न होता तो मुझे नहीं लगता कि बर्तनों का निर्माण होता, मकानों का निर्माण होता, कपड़ों का निर्माण होता। अगर यह शिल्पकार समाज न होता तो अभी भी हम कन्दराओं और गुफाओं में निवास कर रहे होते। इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए।

अल्मोड़ा की ताम्रकारी पूरे विदेशों तक फैली हुई थी, मगर आज अल्मोड़ा की ताम्रकारी खत्म हो गयी है। इस पर अगर हम लोग थोड़ा अध्ययन करें, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, आप कहोगे आपने क्या किया, क्या नहीं किया। हमने जो किया, हमने किया, हम मानते भी हैं। हमको जो कठिनाईयाँ लगीं, पेंशनों में, वह हमने दूर की। अगर हम इस प्रकार की योजनाओं को बनाएंगे तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा। आपको बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सब छोटी-छोटी चीजों को पकड़कर यदि हम काम करेंगे तो हमारा जो अनुसूचित वंचित समाज है, वह आगे बढ़ेगा। ऐसा ही हमारा जनजाति का जो क्षेत्र है, चमोली का क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, चकराता का क्षेत्र है, जहाँ पर वहीं कच्चा माल आधारित उद्योग लगे हैं। भेड़ भी वे लोग पालते हैं, उनको आप ऊन भी नहीं देते। भेड़ पाल कर उन्हीं के ऊन से थुलमा बनाते हैं और वह विश्व विख्यात है। हम उनको प्रोत्साहित करें, उनको रोजगार दें। उनको ट्रेनिंग देने की कोई योजना बनती। सरकार इस पर विचार करती।

आज मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सब लोग इस पर चिन्तन करें, एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने पूरे समाज को रहना, खाना और जीना सिखाया, समाज को एक दिशा दी, उसके बारे में हम धीर-गम्भीर नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम धीर-गम्भीर हों और उनके अनुरूप योजनाएं बनाएं, क्योंकि यह समाज हर प्रकार से दबा है,

जिसके पास न रूपया हैं, न पैसा है, सामाजिक विषमता का शिकार हैं, सामाजिक समरसता उसके अन्दर नहीं हैं, उसके साथ समाज का आत्मीयता का भाव नहीं चल रहा है। इसलिये डा0 भीमराव अम्बेडकर ने भी उसको संविधान में अधिकार प्राप्त कराये, अगर उन अधिकारों का भी प्रयोग किया जाता, तो हम समाज को और आगे बढ़ा सकते थे। यदि आप शिक्षा के बारे में कहें तो मैंने इसका पूरा अध्ययन किया, इसमें हम अभी भी 50 रू0 और 70 रू0 छात्रवृत्ति दे रहे हैं। कम से कम हमें छात्रवृत्ति तो इतनी देनी चाहिये कि उसके महीने भर की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। मेरा आग्रह है कि इन छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाय, इसी प्रकार से जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिये हर जिले में प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिये। अभी तक मात्र अल्मोड़ा और देहरादून में ही यह केन्द्र हैं, इनको प्रत्येक जनपद स्तर पर किया जाना चाहिये क्योंकि देहरादून आदि महंगे शहर हैं, हर कोई यहां आकर पढ़ाई नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं काफी चीजें बोलना चाहता था, लेकिन समय की कमी है, इसलिये मैं अनुरोध करूँगा कि मेरे सुझावों को बजट में जोड़ दिया जाय, साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरे केवल चार बिन्दु हैं, मेरा अनुरोध है कि इनको माननीय मंत्री जी अपने संज्ञान में लायें। पहला बिन्दु है समाज कल्याण विभाग में वृद्ध, विधवा और विकलांग की पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का प्रावधान आपके इस बजट में कहीं नहीं है। दूसरा बिन्दु यह है कि ओ0बी0सी0 की छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, 66 करोड़ का बैंक लोन चल रहा है, ओ0बी0सी0 के छात्र विद्यालय छोड़ रहे हैं। तीसरा बिन्दु यह है कि एस0सी0, एस0टी0 और बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों की शादी के लिये कम से कम 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जाना चाहिये। चौथा बिन्दु यह है कि एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और बी0पी0एल0 के परिवार के बीमार सदस्यों के लिये अनिवार्य बीमा योजना होनी चाहिये। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूँ। आज इस उत्तराखण्ड को बने 12 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम यहां पर जनजाति के लोगों की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से जनजाति का 80 से 85 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड में पृथक हुआ और यहां पर निवास कर रहा है। आज बजट में जो प्रस्ताव अवस्थापना सुविधाओं के प्रति आया है, जिसमें पेयजल, बिजली, सड़क, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र और अनेक सारी योजनायें हैं और इन योजनाओं का लाभ जनजातियों को मिलता है। पिछली सरकार के समय वर्ष 2011–12 में इस मद में 95.57 लाख रूपया दिया था, लेकिन वर्ष 2012–13 के बजट में इसमें डेढ़ गुना कटौती कर दी गई है, इसे आज 40 लाख के आस–पास कर दिया गया है, जो बड़ी चिन्ता का विषय है। जहां पर विकास की बात आती है, आप वहां पर कटौती कर देते हैं, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ।

इसी तरह से कन्या धन योजना की जो बात चल रही है, लगातार जनजातियों के विकास की बात चल रही है। मान्यवर, कन्या धन योजनाओं में लाभ मिलना था उसके लिए काफी कम बजट का प्राविधान है तो आज जनसंख्या को देखते हुए, शिक्षा के स्तर को देखते हुए वृद्धि हुई तो इसमें भी बढ़ोत्तरी का प्राविधान है, बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। इसी तरह अटल आवास योजना का जो प्रावधान था पिछली सरकार ने लगभग डेढ़ करोड़ रूपये इस योजना में दिया था और आज वर्ष 2012–13 के बजट में इसको एक करोड़ लगभग किया है। ये भी कम किया गया है। यह खेदजनक बात है और आज माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि जनजाति के उत्थान के लिए आश्रम पद्धति बिढौरा में जो हाईस्कूल विद्यालय है उसका उच्चीकरण इंटरमीडिएट में किया जाय जिससे जनजाति के लोगों का विकास हो और इन्हीं के साथ 1–2 सुझाव जिस तरह से व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिक शिक्षा के तहत अगर आश्रम पद्धति की व्यवस्था हो, ये मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। (व्यवधान)

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कल्याण योजनाओं के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, अपना समाज कल्याण विभाग प्रदेश में सबसे बड़ा विभाग है। आपने देखा होगा इसमें 15, 30, 31 तीन अलग–अलग स्तर से इसमें बजट का प्राविधान भी है। मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, बहुउद्देशीय वित्त निगम, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता पेंशन, छात्रवृत्ति, आई0टी0आई0, आश्रम पद्धति और एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बजट में निहित हैं। मैं 3–4 चीजें मुख्य रूप से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जैसा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ एक योजना है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में जो कमाऊ व्यक्ति होता है, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस महिला को यह लाभ दिया जाता है। पिछले वर्ष तक इसमें काफी लाभार्थियों को इस योजना में रखा था और जो मैंने आपकी योजना पढ़ी इस वर्ष परिवारिक लाभ योजना में एक रूपये का भी धन का आवंटन नहीं है। यह खेद का विषय है।

दूसरा, गौरा देवी कन्या धन योजना, यह प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। जिसमें इंटर पास बी0पी0एल0 बालिकाओं को, अनुसूचित जाति की बालिकाओं को भी, बी0पी0एल0 सभी प्रकार की बालिकाओं को भी इसमें 25 हजार रूपये की धनराशि मिलती है। जैसा कि अभी कोई पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने तो किया ही नहीं। मैं आपके संज्ञान में माननीय अध्यक्ष जी, डालना चाहता हूँ पिछली सरकार ने विगत वर्ष में एस0सी0 की बालिकाओं के लिए 2983 का प्राविधान किया था और अन्य वर्ग की बालिकाओं के लिए 12840 बालिकाओं के लिए प्राविधान किया था। परन्तु इस वर्ष के बजट में आपने अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए 2400 कर दिया और सामान्य बालिकाओं के लिए 12000 कर दिया। तो बढ़ाने के बजाये घटाने का क्या औचित्य रहा। आपको तो बढ़ाना चाहिए था इस साल, पर आप कह रहे थे कि पिछले वाले तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं तो आपने क्यों इस साल कम कर दिया, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कटौती प्रस्ताव हम ला रहे हैं और कटौती आपने पहले ही कर दी। (व्यवधान)

मैंने आपकी सरकार का जो राज्यपाल का अभिभाषण था, उसको मैंने पढ़ा था। उसमें यह स्पष्ट कहा था कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति को बढ़ायेंगे। मगर इस बजट में छात्रवृत्ति बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है और मान्यवर, उस भाषण में मैंने यह भी पढ़ा था कि विधवाओं, विकलांगों और वृद्धावस्था पेंशन को हम बढ़ायेंगे। इसका भी इसमें कोई प्राविधान नहीं है। पिछली सरकार ने परित्यक्ता महिलाओं के लिए 01 अप्रैल से 35 वर्ष से ऊपर अविवाहित बहिनों के लिए और जिनके पति लापता हो गये हैं उन बहिनों के लिए भी एक योजना स्वीकृत की थी। आपने पिछली बार भी कहा कि इसका परीक्षण किया जा रहा है। मगर इस बजट में कोई प्राविधान इन तीनों वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं किया गया। अटल आवास योजना के बारे में भी माननीय सदस्य श्री प्रेम सिंह जी ने बता दिया है, इसमें भी कोई प्राविधान नहीं है। एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जो अवस्थापना मद है, अवस्थापना मद में भी जो पिछली धनराशि थी उसी का आपने आवंटन किया है, उसमें भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं करी। इसके साथ–साथ पिछले साल यह निर्णय ले लिया गया था कि प्रत्येक जनपद मुख्यालय में एक अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। उसके लिए शायद टोकन मनी भी उसमें रखी थी। मैंने इस बजट का अध्ययन किया और इस बजट में अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है, जो बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्दन राम दास जी, संक्षेप करिये।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, तीन विभागों का बजट तो आप इकट्ठा रख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बजट पर बोल रहा हूँ। एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और अल्पसंख्यकों के लिए बैकलॉग भरने का विशेष भर्ती अभियान छेड़ने की न इस बजट में कोई मंशा है और न ही बजट में कोई प्राविधान किया गया है। बहुउद्देशीय वित्त निगम द्वारा हमारे कल्याण के लिए पहले बहुत सी योजनायें चलती थीं। जिसमें गरीबों के लिए गाड़ियाँ दी जाती थीं, ट्रक दिये जाते थे, टैम्पो दिये जाते थे। इस बजट में कोई भी प्राविधान बहुउद्देशीय वित्त निगम में नहीं है। शिल्पी गाँव योजना, कौशल विकास योजना सहित बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिनका बजट में कोई प्राविधान नहीं है। जो पूर्व में ही बजट होगा वही इसमें रखा गया है।

अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ी जाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग ये जो तीनों महत्वपूर्ण आयोग हैं। इन आयोगों में भी पद सृजन का कोई प्राविधान नहीं है। इन आयोगों में जब हम जाते हैं तो अध्यक्ष के यहाँ कोई चपरासी तक नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे लिए इन आयोगों में कोई पद नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कम से कम जो ये आयोग बने हैं, इनको मजबूत करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था, इन्फास्ट्रक्चर की व्यवस्था, इनके कार्यालयों की व्यवस्था ठीक–ठाक होनी चाहिए, इसके लिए भी इसमें प्राविधान होना चाहिए। नये जनपदों में अभी चाहे वह प्रोबिसन के कार्यालय हों, चाहें अन्य कार्यालय हों, चाहे शिशुओं के कल्याण के कार्यालय हों, इन नये जनपदों में अभी कोई कार्यालय नहीं खुले हैं। जो समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं इन कार्यालयों को भी खोलने के लिए इस बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी तक इसमें कोई व्यवस्था नहीं हैं।

इसके साथ–साथ जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है उस पर अभी तक किसी ने नहीं बोला है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान यद्यपि अभी भारत सरकार से हमारे राज्य का योजना बजट पास नहीं हुआ है। परन्तु मुझे जो ज्ञान है हमारी जो राज्य योजना है उस राज्य योजना का 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति एस0सी0पी0 के लिए और 4 प्रतिशत धनराशि टी0एस0पी0 में खर्च होनी चाहिए। मैं भले ही पिछले साल सत्ता पक्ष में था और इस साल विपक्ष में हूँ। सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी हम अपनी पार्टी के लोगों से कहते थे कि एस0सी0पी0 की धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हमारा परिव्यय होता है 19 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के हिसाब से वह परिव्यय भी स्वीकृत नहीं किया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 का परिव्यय होता है 19 प्रतिशत और 4 प्रतिशत वह परिव्यय पूरा रखा जाये, शतप्रतिशत उसका उपयोग भी किये जाने की आवश्यकता है।

(कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं तमाम साथियों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव समाज कल्याण की दिशा में दिये हैं। सम्मानित सदस्य श्री अजय टम्टा जी ने अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में बहुत सारे सुझाव दिये हैं कुछ ऐसी योजनायें बनानी चाहिए जिससे सीधा–सीधा असर इन लोगों पर पड़े। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग के लिए जो भी सुझाव आपके स्तर से आयेंगे, जो योजना आप चिन्हित करने का या जो भी विचार आपके मानस पटल पर हो, उनको अगर आप सरकार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने पेंशन के बारे में भी कहा यह पेंशन अब तीन महीने में दी जा रही है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार हम लोगों ने करीब 13 हजार लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था की है और भी लोग आना चाहेंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था की जायेगी।

इसके अतिरिक्त उन्होंने जो अल्मोड़ा में ताम्र उद्योग है उसके बारे में चिन्ता प्रकट की है। यह बात सही है कि हमारे यहां ऐसे उद्योग धन्धे बहुत कम हैं। अगर इसमें इन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो उनको रोजगार मिल पायेगा। आपने छात्रवृत्ति के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है और इस पर गौर किया जायेगा। इसी प्रकार माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता जी ने 66 करोड़ रूपये बैकलॉग की बात कही है। आपको यह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ धनराशि अतिरिक्त दे दी गयी थी और जो भारत सरकार के मानक थे, उससे कहीं अधिक दिये जाने से बैकलॉग है और सरकार प्रयास कर रही है। भारत सरकार से निरन्तर अनवरत रूप से मांग करती रही है कि इस धनराशि को उपलब्ध कराया जाय। जिससे इस धनराशि को लाभार्थियों को दिया जा सके। आपने एक और महत्वपूर्ण बात कहीं, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लिए आपने कहा कि बीमा योजना होनी चाहिए और आपकी बात से हम सहमत हैं। इस प्रकार की व्यवस्था पिछले के पिछले पांच सालों में और मुझे पता नहीं कि पिछले पांच साल क्या हुआ। लेकिन एक समूह के रूप में बीमा योजना है। एक बहुत अच्छा प्रयास इसमें किया जाना चाहिए।

इसमें माननीय सदस्य श्री प्रेम सिंह जी ने कन्याधन योजना, आश्रम पद्धति पर जो बातें कहीं उनका संज्ञान लिया जायेगा और उन पर भी कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास जी द्वारा परिवारिक लाभ योजना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और मैं समझता हूँ कि किसी परिवार का जब मुखिया चल बसता है तो उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। चूंकि यह योजना भारत सरकार से वित्त पोषित है और इसके लिए राज्य सरकार लगातार भारत सरकार से मांग

करते आयी है कि इसमें कुछ धनराशि और बढ़ायी जाय ताकि लोगों को इनके परिवार वालों को पालन–पोषण के दिशा में सहायता दी जा सकती है। गौरा देवी कन्याधन के बारे में भी आपने कहा और परित्यक्ता पेंशन के बारे में भी आपने कहा इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस बारे में पिछली बार एक शासनादेश हुआ था और यह भी कहा गया था कि इसका सर्वे कराया जाय। मान्यवर, इसमें अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी सर्वे जारी है। अभी शासनादेश के उपरान्त इसमें कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। इस पर विचार किया जा सकता है।

आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बहुउद्देश्य कौशल विकास के सम्बन्ध में जो पदों का बैकलॉग है उस बारे में सरकार क्या कर रही है इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बैकलॉग को भरने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि शायद सभी बातें यही थीं। मान्यवर, माननीय श्री चन्दन राम दास जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने इस कटौती के प्रस्ताव को समाज के कल्याण के हित में, निरीह लोगों के लिए, जिसकी समाज की परिकल्पना को लेकर आप चिन्तित हैं, इसलिए इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11(6), 11(8), 11(9) पर क्या माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री प्रेमसिंह जी, श्री चन्दन राम दास जी माननीय समाज कल्याण मंत्री के उत्तर के दृष्टिगत अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर और अधिक बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 4393559 हजार (चार सौ उन्तालीस करोड़ पैंतीस लाख उन्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 5339499 हजार (पांच सौ तैंतीस करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1553936 हजार (एक सौ पचपन करोड़ उन्तालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–24 परिवहन

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 739890 हजार (तिहत्तर करोड़ अठ्ठानवे लाख नब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, परिवहन उत्तराखण्ड की भौगोलिक संरचना को देखते हुये बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात का साधन है और आप और हम सब लोग भिज्ञ हैं कि यहाँ पर एक मात्र साधन परिवहन के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सैलानी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग चार धाम यात्रा के लिए आते हैं देश और विदेश से, जहाँ पूरे देश के लोग इन सुन्दर नजारों को देखने के लिए नैनीताल, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं स्वाभाविक रूप से परिवहन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के लिए है और परिवहन विभाग के लिए समय–समय पर बहुत सारी कोशिशें यह की जाती रही हैं कि कैसे पर्यटकों को सुविधाजनक सेवा बसों के माध्यम से दी जा सके।

परिवहन विभाग लगातार कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से यहां पर नयी से नयी तकनीकी का प्रयोग करते हुए सैलानियों को और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो, इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग भी किये गये और वाल्वो, ए0सी0 चेयर कार जैसी व्यवस्थाओं को करते हुए जो घाटे पर चल रहा था

परिवहन विभाग, उसको घाटे से उबारने का प्रयास किया गया। मान्यवर, घाटा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां की जो विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से जो घाटे का बजट परिवहन विभाग द्वारा हर साल महसूस किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात की सुविधाओं में बहुत बड़ा योगदान परिवहन विभाग का है। यदि हम घाटे की चिंता करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यातायात बाधित होने के लिए जनता को परेशान होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का जो समय-समय पर पूंजी के रूप में ऋण के रूप में परिवहन विभाग को कुछ न कुछ देती रहती है, ताकि समाज को यातायात की सुविधा मिलती रहे, इसी दिशा में प्रयास किये जाते रहे हैं और इसी दिशा में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब काफी समय भी हो गया है।

मान्यवर, मैं चाहूँगा क्योंकि एक मात्र साधन हमारा यातायात का बसें हैं, हालांकि परिवहन से जुड़ी हुई हम और भी सेवाएं देते हैं, जैसे प्राईवेट बसें हैं। गढ़वाल में गढ़वाल मण्डल निगम की यातायात की बसें हैं और कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल निगम की यातायात की बसें है। लेकिन कहीं न कहीं योगदान परिवहन विभाग का है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने सुझावों को देते हुए जो घाटे में चलने वाली व्यवस्था जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, इसको लाभ में परिवर्तित करने की दिशा में अपने सुझाव देने का कष्ट करें।

श्री बिशन सिंह चुफाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या:-24 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में परिवहन निगम के घाटे की बात कही है। इस बजट में परिवहन निगम के इस घाटे को कम करने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, एक प्रश्न के उत्तर में जो परिवहन विभाग के निगम द्वारा दिया गया था कि निगम की 456 बसें घाटे में चल रही हैं, परन्तु घाटे में कहां पर चल रही हैं, पर्वतीय क्षेत्र में और उसी रूट में कुमायूँ क्षेत्र में के0एम0ओ0यू0 की बसें चलती हैं और गढ़वाल क्षेत्र में जी0एम0ओ0यू0 की बसें चलती हैं और प्राईवेट बसें भी चलती हैं वे घाटे में नहीं चलती हैं। ये तीन-चार साल बाद दूसरी गाड़ी की बस की परिमिट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन परिवहन निगम की बसें घाटे में क्यों चलती हैं, इसका आपने कहीं भी बजट में उल्लेख नहीं किया है।

मान्यवर, इसका कारण एकमात्र है, परिवहन निगम का जो वर्कशॉप है, ये सारी बीमारियों वर्कशॉप में हैं। परिवहन निगम की बसें हम टाटा से खरीदते हैं और प्राईवेट बसें भी टाटा से खरीदते हैं, प्राईवेट बसें तो घाटे में नहीं जा रही हैं। इसका मूल कारण वर्कशॉप है। यदि आपने टाटा से गाड़ी खरीदी तो इसका फिटनेस भी सीधे टाटा के यहाँ

से कराना चाहिए। क्योंकि आपको अलग से वर्कशॉप की आवश्यकता पड़ी, जब गाड़ी खरीदते समय एम0ओ0यू0 करते हैं तो साल भर में एक बार फिटनेस की आवश्यकता होती है तो हम सीधे टाटा के वर्कशॉप में क्यों नहीं चले जाते हैं। वर्कशॉप में सारे पाट्‌र्स डुप्लीकेट हैं सारी गड़बड़ी वहीं पर है, यदि आपने इसको ठीक कर दिया तो निश्चित रूप से परिवहन निगम जो हमारा प्रतिवर्ष घाटे में जा रहा है वह धीरे-धीरे इससे उभरेगा। मान्यवर, एक सुझाव तो यह है।

दूसरा, परिवहन निगम में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और कहीं-कहीं आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उस परिवार के मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती। निगम घाटे में जा रहा है, इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन कुछ लोगों को चिन्हित करें जो वास्तव में उसी पर निर्भर हैं, जो कमाने वाला है, उसकी मृत्यु हो गयी और परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है तो उस परिवार के मृतक आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। यह काम यदि आप कर देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लोग आज बेरोजगार हैं, मृतक आश्रित जो दर-दर भटक रहे हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। मान्यवर, आपके जो बस अड्डे हैं। बरसात में बहुत सारे बस अड्डों में पानी भर जाता है। यात्रियों को बस में चढ़ने के लिए घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन आपने बजट में कहीं भी इसके लिए प्राविधान नहीं किया। केवल 4-5 के लिए बजट दिया है। अगर सभी बस अड्डों के लिए बजट देते, बरसात में जो पानी भरता है, यदि उसको पक्का कर देते तो निश्चित रूप से यात्रियों को चढ़ने और उतरने में सुविधा हो जाती। आपने हरबर्टपुर के लिए किया, गदरपुर के लिए किया, सितारगंज का तो किया ही है। सारा बजट जिसकी बात कर रहे हैं, सारा सितारगंज का है और बागेश्वर का किया है। लेकिन इसमें एक पिथौरागढ़ का भी है, जो बिल्कुल कच्चा है, उस स्टेशन को अगर ठीक कर देते तो यात्रियों को बरसात में गाड़ियों में बैठने में सुविधा हो जाती।

मान्यवर, अन्य राज्यों की बसें भी हमारे प्रदेश में चल रही हैं। हिमाचल की बसें भी हैं, राजस्थान की भी हैं। इसी तरह हरियाणा की भी हैं, दिल्ली प्रदेश की भी बसें हैं। ये बसें जो संचालित हो रही हैं, वे हर साल मांग कर रहे हैं कि हम और बसें आपके प्रदेश में संचालित करना चाहते हैं। वह घाटे में नहीं चल रही हैं। अभी राजस्थान की 39 बसें चल रही थीं, सरकार ने उनको 56 बसों की अनुमति दे दी है। अन्य राज्यों में हमारे यहाँ से जो बसें जाती हैं, हिमाचल जाती हैं, यू0पी0 जाती हैं, यह घाटे में क्यों जा रही हैं। इस घाटे को दूर करने के लिए हमने आपको जो सुझाव दिया, वर्कशॉप को ठीक करने का, अगर आपने उसे ठीक कर दिया तो निश्चित रूप से परिवहन निगम फायदे में आ जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में जो मझली बसें जाती हैं, ठेके की बसें जाती हैं, ये बसें घाटे में नहीं चल रही हैं। सारी बसें लाभ में हैं। जिसके पास एक बस होती है, वह 3-4 साल बाद दूसरी बस के लिए अप्लाई करता है, वह क्यों अप्लाई कर रहा है?

यदि वह घाटे में चलता तो कभी दूसरी बस के लिए अप्लाई नहीं करता। तो मैं सोचता हूँ कि इस बजट में जो सुझाव हमने आपको दिये हैं और जो मृतक आश्रित वाली बात हमने कही है, निश्चित रूप से आप उस पर विचार करेंगे और आने वाले समय में हमारा जो परिवहन निगम है, वह आगे बढ़ेगा। जो आपने बजट पेश किया मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिवहन के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूँगा। माननीय मंत्री जी का ध्यान एक–दो विशेष बिन्दुओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में परिवहन को चार धाम यात्रा या पर्वतीय क्षेत्र तक ही सीमित रखा है। (व्यवधान) यह भी माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हमारा परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को यहाँ सच्चाई के ऊपर एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इस निगम को आप अगर प्राइवेट सेक्टर में दे दो तो जितना घाटा है, उससे 3 गुना प्रॉफिट सरकार उठा सकती है। यह निगम अगर घाटे में चल रहा है। (व्यवधान)

मान्यवर, जिसके चारों तरफ आर0टी0ओ0 की चौकियां और सारी सरकार की मशीनरी इस बजट को बनाने में लगी हो। चाहे उसका प्रारूप दूसरा हो, फिर भी यह बजट घाटे में हो और निगम घाटे में हो, यह बहुत चिन्ता का विषय है, यह शोचनीय विषय है । मान्यवर, खनन के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा, एक–एक डम्पर, जिसका कोई नम्बर नहीं, न आगे न पीछे। (व्यवधान) देखिये, थोड़ा सच्चाई सुनने की शक्ति रखिये, यह मौज–मस्ती का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, यहां पर परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह परिवहन से रिलेटेड है, उन डम्परों पर नम्बर प्लेट नहीं होती और वजन 600 से 700 क्विंटल का होता है और आर0टी0ओ0 की तीन–तीन चौकियां पार करके दिन और रात 70–70 डम्पर निकल रहे हैं। तो आपका बजट कहाँ बढ़ेगा, कहाँ जा रहा है यह बजट और क्या साधन हैं आपके बजट को बढ़ाने के? आपकी पूरी सरकारी मशीनरी फेल है और आपके बजट को कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाने का काम कर रही है, यह सोचने का विषय है। मान्यवर, मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आपके इस परिवहन की वजह से सिर्फ हमारे ऊधमसिंह नगर में खटीमा से लेकर जसपुर तक वर्ष 2011–12 में लगभग 480 एक्सीडेंट हो चुके हैं और लगभग 350 मौतें हो चुकी हैं, कई घरों के 350 चिराग बुझ चुके हैं। रोज

सुबह अखबार में प्रथम पेज पर आता है कि आज खटीमा, आज बाजपुर, आज सितारगंज, आज रूद्रपुर, आज जसपुर में भिड़ंत हो गयी, दो मरे–तीन मरे। एक दिन भी कोई ऐसा नहीं बीतता जब इन मौतों की खबर अखबार में नहीं आती है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है/क्या हमारे प्रदेश में इंसान की कोई कीमत नहीं है? (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए, साहब यह सच्चाई है। (व्यवधान) आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, जब हम लोग घर से निकलते हैं ऊधमसिंह नगर से देहरादून आने के लिये, घर से निकलने के समय अलविदा कहकर आते हैं कि भई वापसी आते हैं या नहीं यह तो परमात्मा जाने। आप बजट की बात करते हैं कि यह घाटे में जा रहा है, आपका निगम घाटे में जा रहा है, ऐसे में निगम घाटे में नहीं जायेगा तो कहां जायेगा। मैं इन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता था। माननीय मंत्री जी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप एक सच्चे–सुच्चे, ईमानदार और नेक नीयत मंत्री हैं, इनकी ओर आपका ध्यान जरूर जायेगा, धन्यवाद।

श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि प्रेमनगर, देहरादून से कोटद्वार तथा प्रेमनगर, देहरादून से श्रीनगर गढ़वाल, काफी समय से इन रूटों की मांग की जा रही है। यदि आप इनको स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से आपको इनमें लाभ भी मिलेगा और नुकसान कतई नहीं होगा। साथ ही तीसरी मांग देहरादून से हस्तिनापुर की है, यदि आप इन तीनों रूटों को स्वीकृति प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही मिलेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक–दो सुझाव देना चाह रहा हूँ क्योंकि परिवहन निगम जो बसें चला रहा है, उसमें हम जहां निगम को लाभ की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें यात्रियों की सुविधाओं को भी हमें देखना चाहिये। अक्सर यह देखने में आया है कि जो लांग रूट की बसें हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून की बसें हैं, वे किसी एक ढाबे पर जाकर खड़ी हो जाती हैं, और उस ढाबे में खड़ी हो जाती हैं, जहां पर खाना–पीना महंगा होता है और यात्रियों को मजबूरी में वहां चाय–पानी महंगी दरों पर पीनी पड़ती है।

मान्यवर, और सुरक्षा की दृष्टि से जब रात को गाड़ी वहां पर खड़ी होती है तो वहां पर डर सुरक्षा का भी रहता है। महिलाएं, पुरूष तमाम लोग अक्सर देखने में यह आया है कि उत्तराखण्ड से आगे जब ये गाड़ियों आगे बढ़ती हैं, जिस ढाबे पर वहां रूकती हैं अक्सर वहां पर इस प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं जिसमें यात्रियों के सामान की चोरी आदि हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सुझाव दीजिए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा कहना है कि ऐसे ढाबों में कम से कम यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां पर बसों को रोकने की बिल्कुल परमीशन नहीं दी जाय। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऋषिकेश में पिछले दिनों जो बस अड्डा चल रहा था, वो कोर्ट में हारने के कारण, हमारे परिवहन निगम के हारने के कारण वो वहां से खाली कराना पड़ा। आज की तारीख में वहां बस अड्डे की जमीन तलाशने की बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण एक स्थान ट्रांजिट कैंप के अंदर वो आज बस अड्डा चल रहा है जिसका हजारों–हजार रूपये का किराया परिवहन निगम को पे करना पड़ रहा है। यदि अपनी भूमि और अपना बस अड्डा वहां पर बन जायेगा, जहां सुविधा भी मिलेगी यात्रियों को, बसों को, तमाम कन्डक्टर को, ड्राईवर को, इसके साथ–साथ परिवहन निगम को लाभ भी होगा। मात्र इतना कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, लक्सर रेलवे जंक्शन है उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा, औद्योगिक क्षेत्र है, नगर पंचायत है और हरिद्वार जनपद का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां कोई रोडवेज बस स्टैंड है ही नहीं। (हंसी) एक बात। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मेरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बिल्कुल हरिद्वार से ज्वालापुर होते हुए सराय एथल, बुजुर्ग और एथल वहां इस रूट पर बस चलनी चाहिए। हरिद्वार–ज्वालापुर–सराय एथल बुजुर्ग–लक्सर ये 40 किलोमिटर का रूट है। दूसरा हरिद्वार से भोगपुर और रायसी यह भी 45 किलोमीटर का रूट है, यात्री परेशान हैं। बस चल नहीं रही। पता नहीं कहां चलती है। स्कूल में बस छोड़ने जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी का, सम्मानित श्री हरभजन सिंह चीमा जी का, सम्मानित श्री हरबन्स कपूर जी का, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी का, श्री संजय गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य और व्यवहारिक सुझावों को यहां पर रखा और स्वभाविक रूप से सदस्यों की यह जिज्ञासा हम भी महसूस करते हैं कि कैसे लाभ अर्जित करने की दिशा में परिवहन निगम जाय। तो उसके लिए आपके माध्यम से उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सम्मानित सदस्य चुफाल साहब ने बसों को घाटे पर चलने की बात कही और यह कहा कि कोई भी उपाय नहीं सुझाये गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में तो घाटे से उबरने

की कोई उम्मीद आप करें नहीं, पहली बात। लेकिन घाटे से उबारने के लिए हम मैदानी क्षेत्र में बसों की अतिरिक्त व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए मंत्रि–मण्डल की एक सब कमेटी, जो मंत्रि–मण्डल की है उप समिति उसको गठित कर दिया गया है। 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। ताकि यहां जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपने कहा कि जो हमारे यहां की संस्थाएं हैं के0एम0ओ0यू0 हैं, जे0एम0यू0 है या विभिन्न यातायात की कम्पनियां हैं, वो फायदे में चल रही हैं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इस व्यवसाय से सीधे तो नहीं जुड़ा हूँ लेकिन कोटद्वार मंडी होने की वजह से बहुत बड़ा एक वहां पर संस्थान है आज एक भी मोटर मालिक इस बात से कहीं भी लाभ अर्जित करने की दिशा में नहीं है। सिर्फ एक व्यवस्था है कि जो तीन महीने के लिए यहां जो यात्रा चलती है चार धाम की या उधर यात्रा चलती है पूर्णागिरी की, उसी समय पूरे साल का उनको थोड़ा–बहुत जो कुछ भी धन अर्जित कर सकते हैं वही कर पाते हैं बाकी सेवाएं सब जो हैं हानि में चल रही हैं। आपने कहा कि वर्कशॉप, वर्कशॉप के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था है कि गाड़ी जब टाटा के वर्कशाप से बाहर निकलती है तो उसके लिए गारन्टी पीरियड में जो भी टूल्स उसके बदले जाने हैं वह कम्पनसेट हो जाते हैं, उन पर कुछ लगता नहीं है। आपने एक्सीडेन्ट में मरने वालों के मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए कहा, इसको संज्ञान में लेने की स्थिति में मैं इसको समझता हूँ।

बसों के स्टापेज में जिसमें आपने पिथौरागढ़ का भी जिक्र किया, इसमें मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो बस अड्डे हमारे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए निर्णय ले लिया गया है कि पी0पी0पी0 मोड पर तमाम उन बस अड्डों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और उनको बेहतर बनाये जाने की दिशा में प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चीमा साहब ने जो मैदानी क्षेत्र में गाड़ी चलती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की बात कही, उन्होंने शायद सुना नहीं है। मैंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में यातायात का साधन एकमात्र बसेज हैं, टैक्सी है या जो भी व्यवस्थायें है। मैदानी क्षेत्र में बसेज भी चलती हैं इसके साथ अन्य सुविधायें भी हैं जैसे रेल के द्वारा हम चल सकते हैं, बाई एयर हम चल सकते हैं, या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोग अपनी व्यवस्थायें कर सकते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हमारा एकमात्र साधन परिवहन निगम है, उसके साथ अन्य हमारी जो कोसिस्टर कह दें या उनके साथ कम्पनियाँ हैं वह इस काम को करती हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, और व्यवस्थायें कौन सी हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, और प्रदेशों की भी गाड़ियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं। राजस्थान की आती है, हिमाचल की आती है, उत्तर प्रदेश की आती है। हानि के बारे में आपने जरूर पूछा, सबसे ज्यादा हानि पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए होती है कि आप जब गाड़ी चलाते होंगे और आप काशीपुर जाते हैं तो आपकी गाड़ी का डीजल खर्चा ठीक रहता है। जैसे ही आप अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं, नैनीताल की तरफ जाते हैं तो उसका एवरेज कम हो जाता है। इसी प्रकार बसेज में भी उसका एवरेज और कम आ जाता है, ढाई–तीन लीटर में एक दो किलोमीटर गाड़ी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में ज्यादा जाती है। यह एक घाटे का सौदा है, इसीलिए मैंने कहा इसे उबारने की बहुत कम गुंजाईश है। इसमें मैन्टीनेन्स का खर्चा ज्यादा है। वहाँ पर टायर तीन महीने में घिस जाता है जबकि मैदान में वही टायर एक साल तक चलता है। इसी प्रकार टूट फूट भी होती है। इसलिए मैंने खुलासा किया कोई छिपाने का प्रयास नहीं किया।

आपने खटीमा जसपुर के बारे में कहा कि 480 एक्सीडेन्ट हो गये और 350 मौतें हो गयीं। वास्तव में यह गम्भीर मसला है इसको देखा जायेगा। आखिर परिस्थितियाँ कौन सी रही कि जो ये इतनी मौतें हुई। माननीय गुप्ता जी ने हरिद्वार भोगपुर की बात कही, लक्सर बस अड्डे की बात कही, हरिद्वार से ज्वालापुर सराय और लक्सर जो 40 किलोमीटर है उसकी बात कही, इसका सर्वे करा दिया जायेगा। इसका एक सिस्टम होता है, इन मार्गों का सर्वेक्षण होता है पी0डब्लयू0डी0 के द्वारा और जो परिवहन निगम है उसका एक व्यक्ति जाता है और वह सर्वे करता है। इसमें अनुमति दे दी जायेगी, यह एक अच्छी बात आपने बताई। माननीय श्री हरबन्स कपूर जी ने प्रेमनगर–कोटद्वार और श्रीनगर और हस्तिनापुर के लिए कहा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश होगी कि यह रूट्स उपयोगी पाये जाते हैं तो निश्चित रूप से इन पर गाड़ी चलाये जाने का प्रयास होगा।

माननीय अग्रवाल साहब ने बताया, यात्रा की सुविधा होने की बात कही है और जो ऋषिकेश में जमीन है और वहां का बस अड्डा भी खराब स्थिति में है और किराये में चल रहा है। इस बारे में मैं कह रहा हूँ कि जमीन को तलाशा जा रहा है। बहुत जल्दी जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी तो बस स्टेशन का निर्माण हो जायेगा और वहां जो ढाबे पर बसें खड़ी होने की बात है मान्यवर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और वहां पर बहुत सारे लोगों को जहर दे दिया जाता है और उनको बेहोश कर दिया जाता है। इसमें वहां पर शक्ति का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय मंत्री जी, आप माननीय अध्यक्ष जी से इसमें क्या गुजारिश करना चाह रहे हैं? निर्णय तो आपको लेना है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपके और हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं। (कई माननीय सदस्यगण बैठे–बैठे एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हुआ) (घोर व्यवधान के मध्य) माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाने के लिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ। मान्यवर, ऐसा तो नहीं इससे पहले जो मंत्री रहे हों उन्होंने इसमें संज्ञान न लिया हो। लेकिन आज भी स्थिति यथावत बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी होती है। इस सदन के सर्वोच्च मुखिया हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यगण बैठे–बेठे एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हुआ) (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी इस विषय पर संज्ञान लेते हुए एक महीने के अन्दर सुनिश्चित करायें कि इसमें क्या कार्यवाही हुई। (कई माननीय सदस्यगण बैठे–बैठे एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हुआ) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री हरबन्स कपूर जी, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी, श्री संजय गुप्ता जी, क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर सुनने के बाद आप अपना कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 739890 हजार (तिहत्तर करोड़ अट्ठानवे लाख नब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था(संशोधन) विधेयक,2012

संसदीय कार्य मंत्री(श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक में एक बहुत छोटा सा संशोधन है। राज्य के गठन से पूर्व दूनघाटी महायोजना, 2001 लागू किये जाने हेतु दिनांक 07–12–1993 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित की गयी थी। उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 1986 की धारा–11 में यह व्यवस्था उपबन्धित है कि धारा–10 के अधीन कोई योजना अनुमोदित किये जाने के पश्चात तुरन्त राज्य सरकार उसे गजट में और ऐसी अन्य रीति से जैसे विहित की जाए, प्रकाशित करायेगी और योजना गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। परन्तु कदाचित कतिपय कारणों से इसका गजट में प्रकाशन नहीं हो सका है। केवल समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। गजट प्रकाशित न होने के फलस्वरूप दूनघाटी महायोजना द्वारा निर्वहन किये गये कृत्यों के विधिमान्यकरण तथा योजना को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से लागू किये जाने के लिये कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया था। फलतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 विधान सभा के विश्रान्तिकाल में होने के कारण विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–116XXXVI(3)/2002/77(1)/2011 दिनांक 4 मई, 2012 द्वारा प्रख्यापित किया गया। मान्यवर, इसमें एक संशोधन होना था, इसका गजट में प्रकाशन होना था इसलिए संशोधन के लिए लाया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें 19 साल हो गये हैं और आज इसको गजट करेंगे, अखबार में देंगे, आखिर कितनी सरकारें बदल गई हैं, आखिर अभी तक किसी भी अधिकारी को नजर क्यों नहीं आया, यह आश्चर्य की बात है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह गजट नोटिफिकेशन न होने की वजह से हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह निश्चित रूप से गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, (संशोधन) विधेयक, 2012
{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2012}

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में होगा।

(3) यह उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में 01 नवम्बर, 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा–11 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–11 के पश्चात् निम्नवत् एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगाः अर्थात्:–

"परन्तु यह कि राज्य सरकार अनुमोदित योजना को गजट के अतिरिक्त न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकेगी और समाचार पत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से अनुमोदित योजना को प्रवृत्त कर सकेगी।"

विधिमान्यकरण 3. धारा–11 द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन 01 नवम्बर, 1993 से किये गये समझे जायेंगे और तद्नुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाई या बात, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गयी और सदैव की गयी समझी जायेगी, मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

निरसन एवं अपवाद 4. (1) उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गणेश जोशी, श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार, श्री चन्दन राम दास, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री तीरथ सिंह, श्री संजय गुप्ता, श्री पुष्कर धामी, श्री अजय टम्टा, श्री प्रेम सिंह, श्री ललित फर्स्वाण, श्री हरबन्स कपूर, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महावीर सिंह, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री चन्द्र शेखर की कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बनाली ग्राम समूह व आनन्द चौक ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल

योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री यतीश्वरानन्द की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पथरी क्षेत्र में टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिन्सर–बैजनाथ–पिण्डारी ग्लेशियर सर्किट का कार्य लगभग 728.54 करोड़ की स्वीकृति के बाद पूर्ण न होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

[वित्तीय वर्ष 2006–07 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "बिन्सर–बैजनाथ–बागेश्वर टूरिस्ट सर्किट योजना" के विकास हेतु रू0 728.54 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 582.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

इस योजना के अन्तर्गत कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जो कार्य पूर्ण कराये गये हैं उनका विवरण निम्नवत् है:–

1. बिन्सर पर पर्यटकों हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लोक सुविधायें, जंगल ट्रेल, रैन शैल्टर, कार पार्किंग, जिम, चिल्ड्रन पार्क, हाल का निर्माण, व्यू प्वाइंट का विकास, पुरानी पेयजल योजना का नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण, सोलर हीटिंग एवं लाईटिंग सिस्टम, गारबेज डिस्पोजल, साईनेज एवं लैण्ड स्केपिंग आदि।

2. दीनापानी के विकास के अन्तर्गत क्राफ्ट सेंटर, लोक सुविधायें, बुकिंग काउण्टर, कार पार्किंग के लिये दुकानों का निर्माण, पक्षियों के दृश्यावलोकन हेतु मचान का निर्माण, व्यू प्वाइंट, बैठने हेतु बैंचों, सन एवं रैन शेल्टर का निर्माण, विद्युत व्यवस्था, साईनेज, गारबेज व्यवस्था।

3. पर्यटक आवास गृह परिसर एवं बैजनाथ मंदिर पर पर्यटकों हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत पर्यटन सूचना केन्द्र, लोक सुविधायें, कार पार्किंग, पर्यटक छतरियां एवं बैंचों का निर्माण, गारबेज डिस्पोजल, साईनेज आदि।

4. बैजनाथ पर कोटभ्रामरी परिसर एवं मंदिर का सौन्दर्यीकरण कार्य के अन्तर्गत आन्तरिक वाकवे, फ्लोवर बेड्स, पर्यटक छतरियां, पेयजल, एवं टॉयलेट का निर्माण, द्वार का निर्माण, गारबेज डिस्पोजल, साईनेज, लैण्ड स्केपिंग एवं सोलर–विद्युतीकरण।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5. बागेश्वर पर चण्डिका टॉप पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाये जाने के अन्तर्गत चण्डिका टॉप एवं बागेश्वर पर पिकनिक स्थल का विकास।

6. बागेश्वर पर बैजनाथ मंदिर के निकट स्नान घाट का विस्तारीकरण।

7. सौंग पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाये जाने के अन्तर्गत स्वागत, लॉन्ज, डायनिंग, टॉयलेट, सोलर हीटिंग एवं विद्युतीकरण, साईनेज।

8. लोहारखेत पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाये जाने के अन्तर्गत रैन शेल्टर/समर हाउस, लकड़ी की बैंचों एवं लोक सुविधाओं का निर्माण।

उक्त के अतिरिक्त जो कार्य गतिमान हैं का विवरण निम्नवत् है, जिनमें अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जायेंगेः-

1. धाकुरी पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स का निर्माण कार्य 85 प्रतिश्त पूर्ण कर लिया गया है।

2. खाती पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स एवं सोलर वाटर हीटिंग एवं विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं, शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

3. द्वाली पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स का निर्माण कार्य 26 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

4. कफनी पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स का निर्माण कार्य 56 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

5. जैतोली पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लोक सुविधाओं का निर्माण कार्य एवं लॉग हट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सोलर वाटर हीटिंग एवं विद्युतीकरण का कार्य 67 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

6. कथलिया पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स का निर्माण कार्य 18 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

7. फर्किया पर ट्रैक रूट में अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत लॉग हट्स का निर्माण कार्य 49 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

पिण्डारी मार्ग के सभी पड़ाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं तथा कार्य स्थल हेतु पैदल मार्ग होने के कारण मौसम अनुकूल होने पर वर्ष में केवल 4–5 माह ही कार्य हो पाता है, इस कारण उक्त योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करने में अत्यधिक समय लग जाता है। इस वर्ष अक्टूबर, 2012 तक मौसम के अनुकूल होने पर योजना का समस्त कार्य पूर्ण कर, हस्तान्तरण के उपरान्त पर्यटकों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र कपकोट द्वारा दी गयी सूचना में उक्त योजना में सुन्दरढुंगा ग्लेशियर के कटेलिया कैम्प में अभी तक कोई कार्य नहीं होने, 8 से 10 हट्स स्थान खरकिया वाछमगावं के पास पड़ी होने एवं कफनी ग्लेशियर में कोई कार्य नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर योजना कार्य में विलम्ब के लिए यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में गरूड़ गंगा से गरूड़ वृहद् पेयजल योजना बनाने की कार्यवाही दो वर्षों से लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

पेयजल एवं शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ की गरूड़ पम्पिंग पेयजल योजना के लिये योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त बिमोला, मालदे, नौघर, भकुनखोला, गढ़सेर(टानीखेत), पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटैनी, फुलवारीगूंठ (बैजनाथ), मेला डूगरी, थान डंगोली आदि 12 ग्राम पंचायतों के 20 राजस्व ग्रामों में 55 तोक सम्मिलित करते हुए आधार वर्ष 2015 की जनसंख्या 9051 एवं डिजायन वर्ष 2045 की जनसंख्या 14044 को आंकलित करते हुए पूर्व दरों पर अनुमानित लागत रू 734.81 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रस्तावित योजना वर्ष 2011–12 में स्वीकृत दरों के आधार पर बनाई गई है, जिसे अब मई, 2012 से लागू नवीनतम पी0 डब्लू0 डी0 के सर्किल दरों के आधार पर प्राक्कलन पुनरीक्षित किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात् योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 7 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून, डी0पी0 गैरोला,
दिनांकः 7 जून, 2012 प्रमुख सचिव
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–19 पर)

वित्त विहीन/सवित्त मान्यता हेतु मुख्य मानक निम्नवत हैः–

1. संस्था/विद्यालय सोसाइटी पंजीकृत तथा अतिथि नवनीकृत होना अनिवार्य है।
2. विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
3. प्राभूतकोष के रूप में रू0 20,000 तथा सुरक्षित कोष रू0 10,000 विद्यालय के नाम जमा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम बन्धक होना अनिवार्य है।
4. संस्था के भवन में कक्षा कक्षों की माप विनियम में वर्णित किये गये हैं।
5. भूमि विद्यालय के नाम हो, प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं हैं। भूमि/भवन, क्रीड़ास्थल विद्यालय के नाम होने का निजी स्वामित्व के सम्बन्ध में रजिस्ट्री तथा खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
6. आवेदन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
7. कोष्ठोपकरण, पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान उपकरण व अन्य शिक्षण सामग्री, विनियम में वर्णित प्राविधानानुसार होना अनिवार्य है। उक्त सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा निर्धारित धनराशि अलग–अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिश्रुत होने पर स्वीकार होगा।
8. गत दो वर्षों का परीक्षाफल औसत 50 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो।
9. हाईस्कूल स्तर पर मान्यता हेतु जूनियर हाईस्कूल स्तर पर 'अ' श्रेणी की मान्यता आवश्यक है।
10. प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या प्रस्तुत की जानी होगी तथा कक्षा 6,7,8 में कम से कम 135 छात्र होने आवश्यक हैं। (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 75 से कम नहीं होगी)।
11. संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक है।
12. संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी। इण्टर की नवीन मान्यता सर्वप्रथम छः विषयों में प्रदान की जायेगी। शर्तें पूर्ण होने पर वन–टाइम मान्यता दी जायेगी।
13. हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन टाइम दी जायेगी।
14. संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।

15. संस्था द्वारा मान्य कक्षायें ही विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलायी जायेंगी।

16. केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षायें ही संचालित की जायेगी।

17. संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद विनियमों के अध्याय–दो के विनियम एक के परिशिष्ट "क" में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होना चाहिये।

18. संस्था शिक्षण संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते हैं।

19. संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने अथवा परिषद्/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा किसी गम्भीर अनियमितता के बरतने का दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधान सभा/374–12–09–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधान सभा / 332–14–02–2020–000 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।

नोट 19 विधान सभा/374 दिनांक 12–9–2013 का आथर से वापस आ कर रीडिंग गया है। दिनांक 1–3–2018 को